अध्याय – 1
प्रस्तावना

1.1 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 – महामहीम राष्ट्रपति द्वारा 16 जून 2005 को सूचना के अधिकार अधिनियम मोहर लगाकर पारित किया गया जिससे सूचना का अधिकार कानूनी दर्जा प्राप्त हो गया ।

1.2 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्‌देश्य जन सामान्य के विभाग से संबंधित सभी योजनाए प्रकियाओ व निराकरण ।

1.3 यह हस्त पुस्तिका नव उद्यमियो शिक्षित बेरोजगारो एवं उद्योग पतियो के लिये उपयोगी है ।

1.4 पुस्तिका में उद्योग विभाग से संबंधित नियम प्रक्रियाएं योजनाओ का समावेश किया गया है ।

1.5 आधार भूत विकास कार्य – आशा उद्योगिक संस्थानों/प्रक्षेत्र में किसी भी उद्योगिक इकाई के पूर्ण विकास हेतु आधार भूत सुविधाए सड़क पानी बिजली आदि की व्यवस्था करना ।

शिक्षित बेरोजगार शासन के विभिन्न स्वरेागार योजनाए है शिक्षित बेरोजगार 8 वी/10 वी पास उर्म्र 18 से 45 वर्ष तक मान्य किया गया जिसकी पारिवारिक आमदनी योजनानुसार सुनिश्चित है ।

स्थाई पूंजी किसी उद्योग में लगने वाले उपकरण विनियोजित पूंजी है ।

1.6 विभागीय नियम प्रकिया अनुदान योजनाओ वेतन भत्ता बजट आवंटन की जानकारी साहित है ।जान कारी के लिये सहायक लोक सूचना अधिकारी श्री एम . एल चौधरी सहा. प्रबंधक उद्योग लोक सूचना अधिकारी श्री अखिल चौरसिया प्रबंधक संपर्क अधिकारी ।

1.7 विभाग के अभिलेख प्राप्त करने के लिये सामान्य प्रकिया कार्यालय समय मे निर्धारित शासन द्वारा प्रस्तावित आवेदन शुल्क 10रूपय का नान जुडिशियल स्आंम अथवा कार्यालय मे 10 रूपया नगध जमा किये जाने का प्रावधान है एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियो को इस शुल्क से छुट की पात्रता होगी ।

अध्याय – 2 (मैनुअल – 1)
संगठन की विशिष्टयां,कृत्य एवं कर्तव्य

2.1 नवीन उद्योगिक इकाईयो कि स्थापना शिक्षित बेरोजगारो को स्वरोजगार स्थापित करना ।

2.2 जिले को उद्योगिकरण करना तथा बेरोजगारी हटाना ।

2.3 जिला उद्योग केन्द्र में जिला प्रबंधक महाप्रबंधक सहायक प्रबंधक स्तर के अधिकारी कार्यालय में पदस्त रहते है। इसके गठन का प्रसंग – औद्योगिक इकाई के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य के विभिन्न अनुदान देना तथा युवाओ को विभिन्न स्वरोजगार का लाभ देना ।

2.4 नव उद्यमियों/शिक्षित बेरोजगारो युवाओ को नवीन उद्योग कि जानकारी देना ऋण प्रकरण तैयार करना तथा प्रशिक्षण देना ।

2.5 नवान उद्योगो के प्रस्तावित/स्थाई पंजीयन करना औद्योगिक संस्थानो में भूमि आवंटन कर उद्योग स्थापित करना तथा विभिन्न प्रकार के अनुदान उपलब्ध कराना शिक्षित बेरोजगारो को स्वरोजगार उपलब्ध कराना ।

2.6 लद्यु उद्योगो का स्थाई पंजीयन करना , दुर्लभ कच्चा माल उपलब्ध कराना उनके उत्पाद के विपणन हेतु मेला , प्रदर्शिनी , पुरूस्कार के लिये प्रस्तुत करना ।शिक्षित बेरोजगारो को विभिन्न योजनाओ में स्वरोजगार स्थापित करना ।

2.7 म0प्र0 शासन वाणिज्य एवं उद्योग रोजगार मंत्रालय भोपाल

उद्योग संचालनालय भोपाल

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह

महाप्रबंधक

–प्रबंधक

सहा0प्र0

स्टेनो ग्राफर
लेखापाल
सहायक ग्रेड–2 एवं 3
भ्रत्य एवं चौकीदार

2.8 जन सहयोग से कोई कार्य नही किया (लागू नही है)

2.9 जन सहयोग से कोई कार्य नही किया (लागू नही है)

2.10जनता से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र/शिकायत का यथा संभव शीघ्र निराकण किया जाता है 2.11प्रमुख सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग रोजगार मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल

उद्योग आयुक्त वाणिज्य एवं उद्योग रोजगार संचालनालय विन्धयाचल भवन भोपाल

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह

महाप्रबंधक प्रबंधक सहायक प्रबंधक

2.12 कार्यालय खुलने का समय 10.30 Am कार्यालय बंद का समय 5.30 Am

अध्याय – 3

3.1 अधिकारी कर्मचारियो कि शक्तियो एवं कर्तव्य का विवरण ।

कमांक	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	शक्तिया		कर्तव्य
			प्रशासकीय	वित्तीये	
1	श्री एस.एस ठाकुर	महाप्रबंधक	अधिनस्थ कर्मचारियो पर नियंत्रण,कार्यालीन कार्य संचालन	वेतन अवकाश लेखा	विभिन्न कार्य एवं योजनाओ का कियांवयन
2	श्री अखिल चौरसिया	प्रबंधक	प्रस्तावित पंजियन जारी करना	–	विभिन्न इकाईयो का निरिक्षण विभिन्न योजनाओ का प्रचार प्रसार करना प्रकरण तैयार कराना आदि
3	श्री एम.एल चौधरी	सहा.प्रबंधक	–	–	सूचना दीनदयाल रोजगार योजना अल्पसंख्यक रोजगार योजना म0प्र0 आदिवासी वित्त विकास निगम एवं तहसील जबेरा तेन्दूखेड़ा
4	श्री व्ही.सी. जैन	सहा.प्रबंधक	–	–	आईडी , एफ.ए. एस.एस. आई एल. एम.आई.समन्वय एवं दमोह तहसील
5	श्री मति रागनी मिश्रा	सहा. प्रबंधक(निलंबित)	–	–	–
6	श्री मो. नासिर अंसारी	सहा.प्रबंधक	–	–	पी.एम.आर.वाई.एवं पथरिया बटियागढ़ तहसील
7	श्री एम.पी.	सहा.प्रबंधक	–	–	आर.डी.वाइ.एस.ईडी.पी सामान्य

	प्रजापति				एवं तहसील हटा पटेरा
8	श्री एस के चौबे	स्टेनो ग्राफर	–	–	सूचना डी.डी. आर वाई प्रशिक्षण एवं ई.डी.पी
9	श्री मति सुनीता चौबे	स्टेनो ग्राफर	–	–	निज , सर्तकता , लद्यु उद्योग , मध्यम उद्योग ,
10	श्री एस के खरे	लेखापाल	–	–	बजट आडिट लेखा
11	श्री जी पी नेमा	सहा. ग्रेड–2	–	–	प्रधानमंत्री रोजगार योजना रानी दुर्गावती सामान्य कक्ष
12	श्री जे एस ठाकुर	सहा. गेड–2(निलंबित)	–	–	मुख्यालय गुना
13	श्री दिनेश तिवारी	स्टेनो टाईपेस्ट	–	–	अधोसंरचना वित्तय सहायता समन्वय कक्ष
14	श्री रामदास रोहित	सहा. गेड–3	–	–	अल्पसंख्यक पिछडा वर्ग विकलांक योजना आदिवासी योजना सामान्य ऋण विशेष पंजीयन
15	श्री बी डी राय	सहा.गेड–3	–	–	स्थापना कक्ष जनशिकयत विपणन
16	श्री लालजी राम	सहा.गेड–3	–	–	आवक जावक कक्ष
17	श्री चंदूलाल अहिरवाल	वाहनचालक	–	–	सूचना कक्ष से संबंधित
18	श्री रामचंद्र अहिरवाल	भृत्य	–	–	डाक वितरण
19	श्री रूप सिंह	भृत्य	–	–	भृत्य
20	श्री ध्रुव कुमार अहिरवाल	भृत्य	–	–	लेखा कक्ष से संबद्व

21	श्री मति लक्ष्मी देवी राजपूत	चौकीदार	—	—	कार्यालय की चौकी दारी करना
22	श्री राजेश यादव	चौकीदार	—	—	रात्रि कालीन चौकीदारी करना

अध्याय – 5

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन–प्रतिनिधी से परामर्श के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

नीति निर्धारण हेतु

5.1 लोक प्रधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में

क0सं0	विषय / कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागी दारी अनिवार्य है(हां / नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गई व्यवस्था
1	राज्य की औद्योगिक नीति	हां	विघान सभा द्वारा निर्धारित समीतिया एवं विधान मंडल

नीति के कार्यान्वयन हेतु

5.2 लोक प्राधिकरण द्वारा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्स / भागीदारी के प्रावधान ।

क0सं0	विषय / कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागी दारी अनिवार्य है(हां / नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गई व्यवस्था
1	राज्य शासन द्वारा नवीन औद्यौगिक ईकायो को विभिन्न अनुदान / सुविधाए देने हुतु	न्ही	जिलास्तरीय निवेश संबर्द्धन साधिकार समीती में दो सदस्य राज्य शासन द्वारा नियुक्त किये जाते है।

अध्याय – 6

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजो का प्रवर्गो के अनुसार विवरण

6.1 लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेज की जानकारी

क्र0 सं0	प्रवर्ग	छस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1	प्रधानमंत्री रोजगार योजना	ऋणप्रकरण आवक , प्रषित स्वीकृत एवं वितरण पंजीयन	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महा.प्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र दमोह
2	दीन दयाल रोजगार योजना	ऋणप्रकरण आवक , प्रषित स्वीकृत एवं वितरण पंजीयन , मार्जिन मनी पंजीयन	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महा.प्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र दमोह
3	रानी दुर्गावती रोजगार योजना	ऋणप्रकरण आवक , प्रषित स्वीकृत एवं वितरण पंजीयन , मार्जिन मनी पंजीयन , विशेष पंजीयन पंजी	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महा.प्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र दमोह
4	अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग येाजना(म0प्र0 अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग	प्रकरण पंजीयन	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महा.प्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र दमोह

	निगम)			
5	आदिवासी योजना(म0प्र0 आदिवासी वित्त विकास निगम)	प्रकरण पंजीयन	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महा.प्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र दमोह
6	अद्योसंरचना विकास कक्ष	भूमि / शेड आवेदन , आवंटन पंजी , किराया पंजी एवं नस्तिया	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महा.प्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र दमोह
7	वित्तीय सहायता कक्ष	अनुदान संबंधी नस्ति एवं पंजीया	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महा.प्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र दमोह
8	स्थापना कक्ष	उपस्थित पंजी सेवा पुस्तिकाय व्यक्तिगत अभिलेख	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महा.प्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र दमोह
9	लेखा कक्ष , बजट एंव आडिट	लेखा संबंधी पंजीया	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महा.प्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र दमोह
10	निज / सर्तकता कक्ष	गोपनीय चरित्रावली एवं गोपनीय कार्य(अधिकारी कर्मचारी से संबंधित)	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महा.प्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र दमोह
11	लद्यु उद्योग कक्ष , ब्रहद मध्यम कक्ष	स्थाई एवं अस्थाई पंजीयन पंजी	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महा.प्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र दमोह
12	आवक जावक कक्ष	आवक जावक पंजी	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महा.प्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र दमोह

13	सामान्य कक्ष	स्टेशनरी डेड स्टाक एवं स्टाक पंजी	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महा.प्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र दमोह
14	समन्वय कक्ष	मुख्यालय तथा अन्य कार्यालय को प्रेषित जानकारी की नस्तिया	सूचना के अधिकार के अंतर्गत	महा.प्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र दमोह

अध्याय – 7(मनुअल 6)

बोर्ड परिषदो समितियों एवं अन्य निकायो का विवरण

7.1 लोक प्राधिकरण से संबंध बोर्ड परिषदो एवं अन्य निकायो का विवरण

1. समिति

(अ) टास्क फोर्स समिति प्रधान मंत्री रोजगार योजना ।जिला स्तर

1. अध्यक्ष :– डिस्टिक मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिशनर
2. सदस्य सचिव :– महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
   संचालक , एस. आई . एस आई
3. सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी डी आर डी ऐ
   2. रोजगार अधिकारी ।
   3. जिला अग्रणी अधिकारी ।

(ब) टास्क फोर्स समिति प्रधानमंत्री रोजगार योजना

1. अध्यक्ष :– महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
2. सदस्य सचिव :– प्रबंधक साख जिलाव्यापर एवं उद्योग केन्द्र
3. अन्य सदस्य :– 1. अग्रणी बैंक अधिकारी
   2. जिला रोजगार अधिकारी
   3. संचालक एस आई एस आई
   4. शाखा प्रबंधक राष्ट्रीय कृत बैंक

2. संस्था का प्रकार :– समिति

3. संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय

स्थापना वर्ष :– 1993 में समीति गठित हुई

उद्देश्य :– शिक्षित बेरोजगारो के लाभान्वित कर स्वरोजगार स्थापित कराना ।

मुख्य कृत :– शिक्षित बेरोजगरो को रोजगार से संबंधित आवेदनो को जांच कर अनुंशसित करना

4. सबंद्ध संस्था की भूमिका :– कार्य कारणी

5. स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य :–1. महा प्रबंधक
   2. प्रबंधक
   3.सहा.प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
   4. जिला रोजगार अधिकारी
   5 अग्रणी बैंक अधिकारी

6 रास्ट्रीय बैक के सदस्य

6. मुख्य अधिकारी का नाम श्री एस. एस. ठाकुर महा प्रबंधक
7. मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओ के पते – जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एस पी अफिस के पास दमोह ।
8. बैठक कि आवृत्ति प्रकरणो की उपलब्धता अनुसार
9. क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ं–नही
10. क्या बैठक के कार्य वृत्त तैयार की जाती है – हां
11. क्या जनता बैठक का कार्य वृत्त प्राप्त कर सकती है ।
    यदि हा तो प्रक्रिया का विवरण दे – हां सूचना के अधिकार के अंतर्गत ।

समिति –2

1. सम्बद्ध संख्या का नाम एवं पता :– दीन दयाल रोजगार योजना समीक्षा समिति
    - अ. अध्यक्ष :– कलेक्टर
    - ब. सदस्य :– जिला अगणी बैक अधिकारी
    - स. राष्ट्रीय कृत बैंको के 3 सदस्य
    - द. सेडमेप एवं एम. पी. कान. जिला प्रतिनिधि
    - व एस आई एस आई के प्रतिनिधि
    - ड जिला महिला बाल विकास अधिकारी
    - प जिला रोजगार अधिकारी
    - इ पालिटिक्निक एवं आई.टी.आई के प्रतिनिधी
    - ई महाप्रबंधक जिलाव्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह – सचिव सदस्य
2. संबद्ध संस्था का प्रकार :– समिति
3. सबंद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय :–

    स्थापना वर्ष :–2004–05

    उद्देश्य :–शिक्षित बेरोजगारो को उद्योग सेवा व्यवसाय स्वरोजगार स्थापना को प्रोसाहन देने हेतु बैको के माध्यम से लक्ष्य निश्चित कर ऋण उपलब्ध कराना एवं मार्जिन मनी की सहायता अनुदान के रूप मे देना ।
4. संबद्ध संस्था की भूमिका :– कार्य कारिणी ।
5. स्वरूप एंव वर्तमान सदस्य :– 1. कलेक्टर महोदय

    2. महाप्रबंधक जि0 व्या0 एवं. उद्योग

    3. जिला अग्रणी बैंक अधिकारी

    4. जिला महिला बाल विकास अधिकारी

    5. जिला महिला बाल विकास अधिकारी

6. पालिटेक्निक एवं आई टी आई के प्रतिनिधि

7. राष्ट्रीय कृत बैको के सदस्य

6. मुख्य अधिकारी का नाम :— श्री एस. एस. ठाकुर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह

7. मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओ के पते :— जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह

8. बैठक की आवृत्ति :— योजना की प्रारंभ एवं मूल्यांकन हेतु

9. क्या बैठक मे जनता भाग ले सकती है ं। नही

10. क्या बैठक की कार्य वृत्ति तैयार की जाती है। हां

11. क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है । हां
अगर हां तो प्रक्रिया का विवरण दे ।
(सूचना के अधिकार के तहत् ।)

समिति 3

1. संबद्ध संस्था का नाम एवं पता :— रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति/जनजाति स्वरोजगार योजना , चैयन समिति ।

2. संबद्ध संस्था का प्रकार :— समिति

2. संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय

स्थापना वर्ष :— 2003—2004

उद्देश्य :— अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियो को स्वरोजगार के रूप में उद्योग/सेवा व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से सहायता उपलब्ध कराना जिसमे उद्यम के चयन से लेकर प्रशिक्षण वित्तीय सहायता विवरण स्थापना आदि सूचि चरणो में सहायता व सघन अनुश्रवण सम्मिलित है ।

मुख्यकृत :— शिक्षित बेरोजगार युवको को स्वरोजगार लगाना

4. संबंध संस्था की भूमिका :— कार्यकारिणी

5. स्वरूप् एवं वर्तमान सदस्य

1. अध्यक्ष :— महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह
2. सदस्य सचिवः— प्रबंधक स्वरोजगार जिला व्यापार उद्योग केन्द्र
3. सदस्य :— 1. जिला रोजगार अधिकारी
   2. जिला अग्रणी बैंक अधिकारी
   3. राष्ट्रीय कृत बैंक के प्रतिनिधि
   4. आदिवासी वित्त विकास निगम के जिला प्रतिनिधी

5. मध्य प्रदेश राज्य सरकारी अनुसूचित जाति विता एवं विकास निगम के जिला प्रतिनिधी

6. जिला समन्वय उद्यमिता विकास केन्द्र के सदस्य

7. जिला ग्राम उद्योग के अधिकारी

8. परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण

6. मुख्य अधिकारी का नाम :– श्री एस एस ठाकुर

महाप्रबंधक

जि0 व्या0 उ0 केन्द्र दमोह

8. मुख्य कार्यालय में अन्य शाखाओ के पते :– जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह

9. बैठक की आवृत्ति :– योजना प्रारंभ करने में तथा समय समय पर मूल्यांक हेतु

10. क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है । नही

11. क्या बैठक की कार्य वृत्त तैयार कि जाती है । हा

12. क्या जनता बैठक का कार्य वृत्त प्राप्त कर सकती है ं। हां

सूचना के अधिकार के तहत ।

समिति – 4

1. संबद्ध संस्था का नाम एवं पता :– जिला स्तरीय निवेष संबद्धन साधिकार समिति

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह

2. संबद्ध संस्था का प्रकार :– समिति

3. सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय

स्थापना वर्ष :– 2004

उद्देश्य :– औद्योगिक नीति 2004 एवं कार्य योजना के कियान्वयन एवं राज्य के औद्योगिकि करण को वाछित गति प्रदान करने एवं राज्य के पूंजी निवेष को आकर्षित करने की दृष्टि से सामान्य कठिनाईयो गतिरोध के सामयिक निराकरण व उन्हे प्रदान किये जाने वाले आदानो को सामेक स्वीकृति कें एकल बिंदु निराकरण के उद्देश्य से 1.00 करोड़ रूपये तक के विनियोजन कि परियोजना के संबंध में आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने एवं जिलास्तर पर औद्योगिक एवं आधार भूत सुविधाओ का विकास करना ।

मुख्यकृत :— जिला स्तर पर औद्योगिक एवं आधार भूत सुविधाओ का विकास करना ।

4. संबद्ध संस्था की भूमिका :— कार्यकारिणी

5. स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य :—

अध्यक्ष :— जिला कलेक्टर

उपाध्यक्षः— परिक्षेत्रिय उद्योग अधिकारी

सदस्य सचिव :— महाप्रबंधक जिला व्यापार एवंउद्योग केन्द्र दमोह

सदस्य :— विद्युत मंडल अधिकारी

नगर एवं ग्राम निवेष अधिकारी

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के प्रतिनिधि

श्रमविभाग अधिकारी

वाणिज्य कर अधिकारी

प्रदूषण नियंत्रण मंडल रीजनल अधिकारी

नगर पालिका/नगर निगम अधिकारी

अग्रणि बैंक अधिकारी

राज्य शासन द्वारा नामांकित उद्योगो के दो प्रतिनिधी

6. मुख्य अधिकारी का नाम :— श्री एस एस ठाकुर

महा प्रबंधक

जिला व्या.उ.केन्द्र दमोह

7. मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओ के पते :— जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह

8. बैठक की आवृत्ति :— मासिक

9. क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है । नही

10. क्या बैठक की कार्य वृत्त तैयार कि जाती है । हा

11. क्या जनता बैठक का कार्य वृत्त प्राप्त कर सकती है । हां

सूचना के अधिकार के तहत ।

समिति – 5

1. संबद्ध संस्था का नाम एवं पता :— पुरूस्कार योजना चयन समिति

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह

2. संबद्ध संस्था का प्रकार – समिति

3. संबद्ध संस्था का परिचय –

स्थापना वर्ष :– 2004

उद्देश्य :– 1.रोजगार स्थापना में अभिनव प्रयोग कर सफलता पूर्वक स्वरोजगार स्थापित करना । 2. बेरोजगार युवको में विभिन्न स्वरोजगार को लोकप्रिय बनाते हुये उनहे स्वंय का उद्यम लगाने हेतु आत्म बल प्रदान करना 3. स्वतः रोजगार योजना अन्तर्गत ऋण गृहिताओ को उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु अभिप्रेरित करना एवं जागृति लाते हुऐ बैंक ऋण की समय पर अदायगी सुनिश्चित करना 4. स्वरोजगार स्थापना में एवं संचालन में उत्कृष्ट उद्यमिता प्रदर्शित करना ।

मुख्य कृत – विभिन्न योजनाओ में लाभान्वित हितग्राहीयो द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर पुरस्कार से सम्मानित करना ।

4. संबद्ध संस्था की भूमिका :– कार्य कारिणी ।

5. स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य :– जिलास्तरीय चयन समिति सदस्य ।

अध्यक्ष :– कलेक्टर

उपाध्यक्ष :– संयुक्त संचालक उद्योग

सदस्य सचिवः– महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह

सदस्य :– प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक

जिला रोजगार अधिकारी

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

6. मुख्य अधिकारी का नाम :– श्री एस एस ठाकुर

महा प्रबंधक जि0 व्या0एवंउ0 केन्द्र दमोह

7. मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओ के पते –

महा प्रबंधक जि0 व्या0 एवं उ0 केन्द्र दमोह

8. मुख्य बैठक की आवृत्ति :– वार्षिक

9. क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है । नही

10. क्या बैठक की कार्य वृत्त तैयार कि जाती है । हा

11. क्या जनता बैठक का कार्य वृत्त प्राप्त कर सकती है ं। हां

सूचना के अधिकार के तहत ।

समिति – 6

1. संबंद्ध संस्था का नाम एवं पता :– जिला रोजगार योजना निर्माण बोर्ड दमोह

2. संबद्ध संस्था का प्रकार :– बोर्ड

3. संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय :–

स्थापना वर्ष :– 2004

उद्‌देश्य :– प्रदेश में संचालित स्वरोजगार योजनाओ की मध्य समन्वय कर रोजगार के अवसरो का निर्माण करना

मुख्य कृत :– जिला इकाई द्वारा जिले में रोजगार के अवसरो का निर्माण करने स्वरोजगार की योजनाओ को क्रियान्वित करने तथा उत्पादित सामग्री की सुनिश्चित विक्री व्यवस्था करना ।

4. संबद्ध संस्था की भूमिका :– कार्यकारिणी

5. स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य :–

अध्यक्ष :– जिला कलेक्टर दमोह

मुख्य संमन्वयक – मुख्य कार्यपालन अधिकारी दमोह

सदस्य सचिव :– महाप्रबंधक जि0 व्या0 एवं0 उद्योग केन्द्र दमोह

सदस्य :– सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत

परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अधिकरण

सहायक संचालक खादी एंव ग्राम उद्योग

मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनु. जाति वित्त विकास निगम

जिला अग्रणि बैंक प्रबंधक दमोह

जिला रोजगार अधिकारी

6. मुख्य अधिकारी का नाम :– श्री एस एस ठाकुर

महा प्रबंधक जि0 व्या0एवंउ0 केन्द्र दमोह

7. मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओ के पते –

महा प्रबंधक जि0 व्या0 एवं उ0 केन्द्र दमोह

8. मुख्य बैठक की आवृत्ति :– वार्षिक

9. क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है । नही

10. क्या बैठक की कार्य वृत्त तैयार कि जाती है । हा

11. क्या जनता बैठक का कार्य वृत्त प्राप्त कर सकती है ं। हां

सूचना के अधिकार के तहत ।

अध्याय – 8(मनुअल 7)

लोक सूचना अधिकारियो के नाम,पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

8.1 लोक प्राधिकरण में लोक सूचना अधिकरी सहायक लोक सूचना तथा विभागीय अपिलेट अधिकारी के संबंध ।

सहायक लोक सूचना अधिकारी :

क0स0	नाम	पदनाम	एस.टी.डी.कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल0	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री एम. एल. चौधरी	सहायक प्रबंधक	07812	222714	–	–	–	एम.आई.जी. 5 एस.पी.एम. नगर दमोह

लोक सूचना अधिकारी :

क0स0	नाम	पदनाम	एस.टी.डी.कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल0	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री अखिल चौरसिया	प्रबंधक	07812	222714	222356	–	–	वैशाली नगर दमोह

विभागीय अपिलेट अथौरटी :

क0स0	नाम	पदनाम	एस.टी.डी.कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल0	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री एस. एस. ठाकुर	महाप्रबंधक	07812	222714	–	–	–	–

अध्याय – 9(मनुअल 8)

निर्णय लेने की प्रकिया

8.1 विभागीय नियम/निर्देश/प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिये जाते है।

8.2 प्रत्येक विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए अलग–अलग नियम प्रकिया निर्धारित है।

1. स्थायी पंजीयन निरीक्षण कर्ता और अधिकारी के अनुशंसा पर ।
2. विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के मापदण्डो को पूरा करने पर पात्रता एवं बैक लक्ष्य अनुसार निर्णय लिया जाता है।
3. विभागीय सुविधा – अनुदान भूमि आवंटन नियम निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया अनुसार निर्णय लिये जाते है।

9.3 1. समाचार पत्र के माध्यम से

2. व्यक्तिगत पत्र के माध्यम से
3. सूचना पटल के माध्यम से
4. विभिन्न बैठको में जानकारी के माध्यम से

9.4 1. औद्योगिक इकाईयो के स्थाई पंजीयन हेतु प्रबंधक/महाप्रबंधक के निरिक्षण प्रतिवेदन हेतु

2. विभिन्न स्वरोजगार योजनाओ में टास्कफोर्स समिति के सदस्यो की अनुसंशा।
3. भूमि आवंटन/अनुदान सुविधा है प्रथम आओ प्रथम पाओ नियम तथा प्राथमिकता श्रेणी के अनुसार

9.5 जिला स्तरीय प्रकरणो के के लिये महाप्रंबधक तथा शेष के लिये उद्योग आयुक्त तथा राज्य शासन ।

9.6

कमांक	पंजीय	प्र0मं0रो0यो0	दी0द0रो0यो0	र0दु0रो0यो0	सुविधाए अनुदान	भूमि आंटन
विषय	प्रस्तावित/स्थाई	स्वरोजगार हेतु रणअनुदान	स्वरोजगार हेतु रणअनुदान	स्वरोजगार हेतु रणअनुदान	राज लाकत अनुदान एवं अन्य सुविधा	भूमि शेड आवंटन
दिशा निवेश	शासन के निर्देशुसार	शासन के निर्देशसानुसार	शासन के निर्देशसानुसार	शासन के निर्देशसानुसार	शासन के निर्देशसानुसार	भूमि शेड आंटन 1974
निर्णय	निरिक्षण उपरांत	टास्क फोट	टास्क फोट	टास्क फोट	निवेश संबंर्धन	निर्धारित

लेने की प्रक्रिया		समिति से अनुमोदन उपरान्त बैंक प्रेषित ।	समिति से अनुमोदन उपरान्त बैंक प्रेषित ।	समिति से अनुमोदन उपरान्त बैंक प्रेषित ।	साधिकार समिति के निर्णय अनंसार	नियम अनुसार
निर्णय लेने के शामिल अधिकारी के पद नाम	महाप्रबंधक जिला व्यापर एवं उद्योग दमोह	महाप्रबंधक जिला व्यापर एवं उद्योग दमोह	महाप्रबंधक जिला व्यापर एवं उद्योग दमोह	महाप्रबंधक जिला व्यापर एवं उद्योग दमोह	कलेक्टर	महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र दमोह
निर्णय लेने के शामिल अधिकारी के पद नाम	जिला व्यापर एवं उद्योग दमोह 222714	जिला व्यापर एवं उद्योग दमोह 222741	जिला व्यापर एवं उद्योग दमोह 222741	जिला व्यापर एवं उद्योग दमोह 222741	222345	222741
निर्णय लेने विरूद्ध कहा और कैसे अपील करें	उद्योग आयुक्त	स्वरोजगार हेंतु कलेक्टर	स्वरोजगार हेंतु कलेक्टर	स्वरोजगार हेंतु कलेक्टर		उद्योग आयुक्त

अध्याय – 10 (मेनुअल 9)

अधिकारियों और कर्मचारियो की निर्देशिका

10.1 अधिकारी कर्मचारियो की जानकारी

क मां क	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष कार्यालय	आवास	फैक्स	ई0मेल	पता
1	श्री एस.एस ठाकुर	महाप्रबंधक	07812	222714	–	–	–	–
2	श्री अखिल चौरसिया	प्रबंधक	07812	222714	222356	–	–	वैशाली नगर दमोह
3	श्री एम.एल चौधरी	सहा.प्रबंधक	07812	222714	–	–	–	एम.आई.जी 5 एस.पी. एम.नगर दमोह
4	श्री व्ही.सी. जैन	सहा.प्रबंधक	07812	222714	–	–	–	श्री खुशालचंद्र जैन गल्लामंडी दमोह
5	श्री मति रागनी मिश्रा	सहा. प्रबंधक(निलंबित)	07812	222714	–	–	–	कटरा मुहोल्ला पन्ना
6	श्री मो. नासिर अंसारी	सहा.प्रबंधक	07812	222714	–	–	–	जूनियर एम.आई. जी.200 एस.पी.एम. नगर दमोह
7	एम.पी. प्रजापति	सहा.प्रबंधक	07812	222714	–	–	–	एस.पी.एम. नगर दमोह
8	श्री एस के चौबे	स्टेनो ग्राफर	07812	222714	–	–	–	एस.पी.एम. नगर दमोह
9	श्री मति सुनीता चौबे	स्टेनो ग्राफर	07812	222714	–	–	–	एस.पी.एम. नगर दमोह
10	श्री एस के खरे	लेखापाल	07812	222714	–	–	–	जबलपुर नाका दमोह
11	श्री जी पी	सहा.	07812	222714	–	–	–	पुराना थाना

	नेमा	ग्रेड–2						दमोह
12	श्री जे एस ठाकुर	सहा. गेड–2(निलंबित)	07812	222714	–	–	–	मुख्यालय गुना
13	श्री दिनेश तिवारी	स्टेनो टाईपेस्ट	07812	222714	–	–	–	एल.आई. जी.155 विवेकानन्द नगर दमोह
14	श्री रामदास रोहित	सहा. गेड–3	07812	222714	–	–	–	पजरिया 7 दमोह
15	श्री बी डी राय	सहा.गेड–3	07812	222714	–	–	–	–
16	श्री लालजी राम	सहा.गेड–3	07812	222714	–	–	–	जबलपुर नाका दमोह
17	श्री चंदूलाल अहिरवाल	वाहनचालक	07812	222714	–	–	–	चैनपुरा दमोह
18	श्री रामचंद्र अहिरवाल	भृत्य	07812	222714	–	–	–	मल्लपुरा दमोह
19	श्री रूप सिंह	भृत्य	07812	222714	–	–	–	मरूताल दमो
20	श्री ध्रुव कुमार अहिरवाल	भृत्य	07812	222714	–	–	–	मल्लपुरा दमोह
21	श्री मति लक्ष्मी देवी राजपूत	चौकीदार	07812	222714	–	–	–	जटाशंकर के पास दमोह
22	श्री राजेश यादव	चौकीदार	07812	222714	–	–	–	जबलपुर नाका दमोह

अध्याय – 11 (मेनुअल 10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्वति

क्र0सं0	नाम	पदनाम	मासिक परिश्रामिक	पारितोषित／पारितोषिक भत्ता	पारिश्रामिक के निर्धारिण की पद्वति जो नियमाबली मे दी गयी हो
1	श्री एस.एल.ठाकुर	महा प्रबंधक	22101	-	D.A. मूल बेक का 55%H.R.A.-//- 4%
2	श्री अखिल चौरसिया	प्रबंधक	17967	-	---"-----
3	श्री एम.एल. चौधरी	सहा. प्रबंधक	11528	-	---"-----
4	श्री व्ही. सी. जैन	सहा. प्रबंधक	11528	-	---"-----
5	श्री मो. नासिर अंसारी	सहा. प्रबंधक	9739	-	---"-----
6	श्रीमति रागिनी मिश्रा	सहा. प्रबंधक	10140	-	---"-----
7	श्री एम . पी . प्रजापति	सहा. प्रबंधक	7155	-	---"-----
8	श्री मति सुनीता चौबे	स्टेनो टाईपिस्ट	12919	-	---"-----
9	श्री एस . के . चौबे	स्टेनो टाईपिस्ट	12051	-	---"-----
10	श्री. एस . के . खरे	लेखापाल	7723	-	---"-----
11	श्री जे . एस . ठाकुर	सहा. ग्रेड 2	7473	-	---"-----
12	श्री जी . पी . नेमा	सहा. ग्रेड 2	7473	-	---"-----
13	श्री दिनेश तिवारी	स्टेनो टाईपिस्ट	7089	-	---"-----
14	श्री बी डी राय	सहा. ग्रेड 3	5923	-	---"-----
15	श्री रामदास रोहित	सहा. ग्रेड 3	6161	-	---"-----
16	श्री लाल जी राउ	सहा. ग्रेड 3	5335	-	---"-----
17	श्री रूपसिंह	भृत्य	5118	-	---"-----
18	श्री राम चन्द्र	भृत्य	5118	-	---"-----
19	श्री डी. के . अहिरवाल	भृत्य	4627	-	---"-----
20	श्री चन्दू लाल	वाहन चालक	7329	-	---"-----
21	राजेश यादव	चौकी दार	4736	-	---"-----
22	श्री मति लक्ष्मी राजपूत	चौकी दार	4927	-	---"-----

8

अध्याय – 12 (मेनुअल 11)

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

(सभी योजनाओ,व्यय व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

अन्य लोक प्राधिकरणो के लिये

क्र0सं0	मद	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत(किश्तों में)	कुल व्यय
1	11 – ग्रामीण उद्यमी विकास योजना प्रशि.	0.50	0.50	-	-
2	7432 – अंतराष्ट्रीय व राज्य स्वरीय प्रसार प्रचार योजना	0.50	0.50	-	-
3	9068 – औद्योगिक ईकाईयों को लागत पूँजी आदान	1.00	1.00	-	-
4	7891 – रानी दुर्गावती सहायता योजना (आदिवासी अनु. जति)	7.50	7.50	1.78	-
5	7891 – रानी दुर्गावती सहा. योजना अनु.जाति	21.50	3.44	3.44	3.42
6	दीन दयाल स्वरो. जागर योजना	20.39	6.30	-	0.59
7	प्रधानमंत्री रोजगार येाजना	2.00	2.94	2.94	2.20

वेतन एवं भत्तो में प्राप्त आवंटन व्यय की जानकारी

क्र0	मद	प्राप्त आं	व्यय(माह सितम्बर क)
1	11–001 वेतन	7.40	4.96
2	11–003 मेहंगाई भत्ता	4.34	2.74
3	11–008 अन्य भत्ते	0.25	0.18
4	11–009 चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	0.03	-
5	11–011 त्यौहार अग्रिम	0.02	-
6	11–016 अनाज अग्रिम	0.18	0.16
7	12–000 मजदूरी	0.06	0.06
8	21–001 यात्रा भत्ता	0.20	0.09
9	22–001 डाक व तार व्यय	0.08	-
10	22–002 दूरभाष व्यय	0.10	0.10
11	22–003 फर्नीचर कार्यालय उपकरण	0.01	-

12	22–004 पुस्तके नियत कालिक पत्रिकाएं	0.01	–
13	22–005 बिजली व जल प्रभार	0.35	0.26
14	22–006 बर्दिया	0.03	0.03
15	22–007 लेखन सामग्री	0.13	0.05
16	22–008 अन्य व्यय	0.02	-
17	31–007 परिवहन व्यवस्था	0.05	-

अध्याय–13 मैनुअल

अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

1. मध्य प्रदेश उद्योग निवेश अनुदान योजना।

2. टर्म लोन पर ब्याज अनुदान योजना।

13.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध करायें

- **कार्यक्रम/योजना का नाम** :– म0प्र0 उद्योग निवेश अनुदान योजना।
- **कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा** :– 01–04–04 से 31–03–2009 तक।
- **कार्यक्रम का उद्देश्य** :– पात्र लघु उद्योगों विद्यमान मध्यम/वृहद श्रेणी के उद्योगों के विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/आधुनिकीकरण, थ्रस्ट सेक्टर एवं पुर्नवासित लघु/मध्यम एवं वृहद उद्योगों द्वारा स्थाई पूँजी निवेश पर (दमोह जिले में) 15 प्रतिशत अधिकतम 15.00 लाख तक अनुदान की पात्रता है।
- **कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यक लक्ष्य (विगत वर्ष में)** :– निरंक (प्राप्त आवेदन पत्र के आधर पर निराकरण किया जाता है)।
- **लाभार्थी की पात्रता** :– पात्र औद्योगिक इकाईयों (म0प्र0 शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी अपात्र इकाइयों को छोडकर) को अनुदान का लाभ मिलेगा।

उद्योग स्थाई निवेश अनुदान योजना अंतर्गत **''अपात्र उद्योगों की सूची ''**(पुनरीक्षित)

(उद्योग संवर्धन नीति–2004 की कंडिका क्र–4.2.2 के अंतर्गत)

''अपात्र उद्योगों की सूची ''

1. फ्लोर मिल (रोलर फ्लोर मिल छोड़कर)
2. आईल मिल
3. दाल मिल
4. राईस मिल, राईस हालिंग, पारवाईलिंग आफ पेडी, पोहा, मुरमुरा
5. कागज बनाने वाले कारखाने (बगास पर आधारित उद्योगों को छोड़कर)
6. सभी प्रकार के प्रिटिंग प्रेस
7. काटन जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रीज
8. आइस फैक्ट्रीज, कोल्ड स्टोरेज
9. बीयर, पोटेबल अल्कोहल निर्माण व इंडस्ट्रीयल अल्कोहल का निर्माण
10. टेलरिंग

11. कारपेन्टरी, लकड़ी की चिराई, आरामिल, जायनरी, लकड़ी का सभी प्रकार का सामान बनाना
12. ड्रायक्लिनिंग
13. रस्सी बनाना
14. बुक बाइंडिंग
15. पेपर बैग्स
16. रबर स्टाम्प्स मेकिंग
17. एक्सरसाइज नोटबुक्स तैयार करना
18. लिफाफे बनाना
19. बेकरी, प्रोडक्ट्स एवं बिस्कुट्स
20. पोल्ट्री, केटल फीड, पोल्ट्री फीड
21. कन्फेक्शनरी
22. मिठाई, नमकीन सामग्री बनाना, मसाले तैयार करना
23. फोटो स्टेटे का कार्य
24. क्लिनिक पेथालाजिकल लेबोरेटरी
25. डाटा प्रोसेसिंग
26. पटाखे बनाना
27. ब्यूटी पार्लर
28. स्कोअरिंग
29. होजियरी समान बनाना
30. पत्तल दोना बनाना
31. बोरवेल, ट्यूबवेल ड्रीलिंग
32. हायब्रोड सीड निर्माण
33. गेस्ट हाउस, होटल हाउस बोट
34. जूते बनाने के पेटर्न व मोल्इण
35. स्मोकलेस फ्यूल बनाना, बिहाई बहाई कोक बनाना
36. कार्क मेकिगं
37. ब्रास/कॉपर प्लेट तथा सर्कल निर्माण
38. आल टाइप्स आफ लेंमीनेशन (जुट बेग्ज, लेमिनेशन छोड़कर)
39. स्टील क्लिप बनाना
40. पेपर से बनाई वस्तुएं जैसे पेपर ट्यूब मेंकिंग
41. फिशिंग नेट मेंकिंग

42. स्टोन क्रशिंग एवं गिट्टी निर्माण
43. सभी प्रकार का प्रिंटिंग कार्य (हेंडीक्रफ्ट प्रिंटिंग को छोड़कर)
44. इलेक्ट्रिकल जाब वर्क
45. इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पेनल असेंबलिग
46. टायर रिस्ट्रेडिंग जाब वर्क
47. रिकंडीशनिंग एवं सर्विसींग आफ आटो ऐंजिन
48. वुड वूल इन्सूलेशन बोर्ड
49. रिट्रेडिंग आफ द इन्डस्ट्रीयल आटोमोबाईल मोल्डेड प्रोडक्ट व रबर होजेज
50. डिस्टल वाटर का निर्माण (स्वतंत्र इकाई)
51. फ्लेईग कार्ड मेकिंग
52. प्रिटिंग आफ एल.डी.पी. व एच.डी.पी. बैग्ज
53. लाईम पावडर, लाईम चिप्स एवं डोलोमाईट पावडर बनाना
54. ग्राईडिंग आफ मिनरल (स्वतन्त्र इकाई)
55. साफ्ट ड्रिंक्स मेंकिंग व बाटलिंग
56. स्लाटर हाउस
57. ऐरिऐटेड कोल्ड ड्रिंक्स, सोफ्ट ड्रिंक्स मेंकिंग व वाटलिंग (पल्प पर आधारित कोल्ड ड्रिंक्स को छोडकर)
58. तम्बाकू एवं तंबाकू पर आधारित उत्पाद
59. मदिरा
60. पान मसाला
61. गुटखा
62. अन्य ऐसे उद्योग जो कि राज्य शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित किऐ जावें।

नोटः—

1. रूपये 1.00 करोड से अधिक स्थाई पूँजी वेष्ठन करने वाली ईकाई यदि उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2004 की सुविधा नहीं चाहती है तो ही इस योजना में लाभ ले सकेगी।
2. किसी पात्र औद्योगिक इकाई को उद्योग स्थाई निवेश अनुदान योजना के साथ टर्म लोन पर ब्याज अनुदान योजना का लाभ तो प्राप्त हो सकता है किन्तु ऐसी इकाई उद्योग निवेश संर्वधन सहायता योजना 2004 की पात्रता नहीं रखेगी।
3. रूपये 1.00 करोड से अधिक स्थाई पूँजी वेष्ठन करने वाली इकाई को यह विकल्प देना होगा की वह केवल उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना—2004 की सुविधा का लाभ

लेना चाहता है, अथवा इसके विकल्प के रूप में उद्योग स्थाई निवेश अनुदान योजना एवं टर्म लोन पर ब्याज अनुदान योजना का लाभ लेना चाहती है। एक बार विकल्प दिये जाने के पश्चात् उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

4. नवीन उद्योग नीति में प्रावधान अनुसार डायवर्सिफिकेशन/क्षमता/विस्तार/तकनीकि उन्नयन किये जाने पर देय सुविधा हेतु भी उपरोक्त सूची लागू होगी।

❖ **पूर्वापेक्षाऐं :—**

1. इकाई दमोह जिले में स्थापित हो।
2. लघु उद्योगों, विद्यमान, मध्यम/ वृहद श्रेणी के उद्योग के विस्तार, थ्रस्ट सेक्टर एवं पुर्नवासित लघु/मध्यम वृहद उद्योगों हेतु भी योजना लागू है। विस्तार करने वाली करने वाली इकाई अपनी इकाई में पूर्व में स्थापित इकाई पूँजी वेष्ठन का कम से कम 50 प्रतिशत के तुल्य इकाई में प्लांट एवं मशीनरी मद में कम से कम 5.00 करोड रूपये का अतिरिक्त पूँजी निवेश अनिवार्य होगा।
3. इकाइयाँ नगर निगम की अधिसूचित सीमा में स्थापित न हों।
4. नगर/शहर जिनकी आबादी 2.00 लाख या अधिक (वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर) न हो।
5. नगर निगम की अधिसूचित सीमा से 8 किलोमीटर की परिधि के बाहर हो।
6. उपरोक्त शर्त क्र. 3, 4 एवं 5 म.प्र. शासन द्वारा विकसित औद्योगिक संस्थानों औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों द्वारा विकसित किये औद्योगिक क्षेत्रों/केन्द्रो पर लागू नही होगी।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित लघु उद्योगों के लिए स्थाई पूजी निवेश पर अनुदान की अधिकतम सीमा 17.50 लाख होगी।
8. थ्रस्ट सेक्टर उद्योगों को 50 लाख से अधिक के स्थाई पूजी वेस्ठन करने वालो उद्योगो को जिले दमोह में स्थापित होने वाले उद्योगो को विशेष प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 25% अधिकतम 25 लाख रूपये अनुदान राशि उपलब्ध कराई जावेगी।
9. इकाई/उद्यमियों द्वारा इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 1 वर्ष भीतर आवेदन निर्धारित प्रापत्र में कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

❖ **अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :—**

आवेदक को निर्धारित प्रापत्र में आवेदन पत्र वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 1 वर्ष के अंदर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में निम्नाकित सहपत्रों/प्रमाण पत्रों सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ।

2. पार्टनर शिप डीड फर्म की रजिस्ट्री की अभिस्वीकृति मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोशिऐशन की प्रति ।

3. जनरल पावर ऑफ एटार्नी ।

4. औद्योगिक इकाई के पंजीयन/लायसेंस/मेमोरेण्डम ऑफ इनफर्मेशन जो की लागु हो की प्रति ।

5. केंद्रीय एवं राज्य विक्रयकर के स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपी ।

6. परियोजना रिर्पोट की प्रति ।

7. वित्तीय संस्थाओं से ऋण स्वीकृति व वितरण की स्थिति स्वीकृति आदेश की प्रति सहित ।

8. निजी भूमि कृय करने की दशा में डायवर्सन प्रमाण पत्र एवं भूमि रजिस्ट्री की प्रति ।

9. भूमि/भवन में उत्पादन दिनांक तक किये गये पूंजी विनियोजन की सूची अनुमोदित ब्लू प्रिंट नक्शा एवं चार्टेड इंजीनियर का प्रमाण पत्र बिल वाउचर्स की प्रतियां ।

10. मशीनरी अन्य असेट व प्रीआरेटिव में उत्पादन दिनांक तक किये गये पूंजी विनियोजन की सूची एवं बिल वाउचर्स की प्रति तथा चार्टेड अकाउन्टेट का प्रमाण पत्र ।

11. उत्पादन दिनांक के बाद परियोजना पर किये व्यय की सूची ।

12. विद्युत कनेक्शन प्रमाण पत्र म.प्र. विद्युत मंडल का ।

13. महाप्रबंधक द्वारा जारी उत्पादन दिनांक प्रमाण पत्र ।

14. एक घोषणा पत्र की स्थापित मशीनरी नवीन है एवं स्थापित भूमि, भवन व मशीनरी उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप है। पुरानी मशीन लेने की दशा में वेल्यूएसन व चार्टेड इंजीनियर का इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीनरी बावत प्रमाण पत्र व इकाई की घोषणा कि पुरानी मशीन पर कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है।

15. इकाई से सबंधी अन्य इकाइयों की जानकारी व इकाई अथावा संबंधित इकाई द्वारा पूर्व प्राप्त अनुदान आदि की जानकारी ।

16. प्रदूषण निवारण मंडल का जल एवं वायु संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र व इपको का साइट किलियरेंस ।

17. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति होने पर जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो।

18. अन्य कोई विवरण/पत्र

1. पात्रता निश्चित करने के लिये मानदण्ड :–

1. इकाई दमोह जिले में स्थापित हो।
2. लघु उद्योगों, विद्यमान, मध्यम/वृहद श्रेणी के उद्योग के विस्तार, थ्रस्ट सेक्टर एवं पुर्नवासित लघु/मध्यम वृहद उद्योगों हेतु भी योजना लागू है। विस्तार करने वाली करने वाली इकाई अपनी इकाई में पूर्व में स्थापित इकाई पूँजी वेष्ठन का कम से कम 50 प्रतिशत के तुल्य इकाई में प्लांट एवं मशीनरी मद में कम से कम 5.00 करोड रूपये का अतिरिक्त पूँजी निवेश अनिवार्य होगा।
3. इकाइयाँ नगर निगम की अधिसूचित सीमा में स्थापित न हों।
4. नगर/शहर जिनकी आबादी 2.00 लाख या अधिक (वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर) न हो।
5. नगर निगम की अधिसूचित सीमा से 8 किलोमीटर की परिधि के बाहर हो।
6. उपरोक्त शर्त क्र. 3, 4 एवं 5 म.प्र. शासन द्वारा विकसित औद्योगिक संस्थानों औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों द्वारा विकसित किये औद्योगिक क्षेत्रों/केन्द्रो पर लागू नही होगी।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित लघु उद्योगों के लिए स्थाई पूजी निवेश पर अनुदान की अधिकतम सीमा 17.50 लाख होगी।
8. थ्रस्ट सेक्टर उद्योगों को 50 लाख से अधिक के स्थाई पूजी वेस्ठन करने वालो उद्योगो को जिले दमोह में स्थापित होने वाले उद्योगो को विशेष प्रोत्साहन देने के उद्‌देश्य से 25% अधिकतम 25 लाख रूपये अनुदान राशि उपलब्ध कराई जावेगी।
9. इकाई/उद्यमियों द्वारा इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 1 वर्ष भीतर आवेदन निर्धारित प्रापत्र में कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

❖ **दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो):–**

1. स्थाई पूँजी वेष्ठन राशि पर 15% अधिकतम राशि रूपये 15.00 लाख तक।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को 15% अधिकतम 17.50 लाख तक अनुदान की पात्रता होगी।

❖ **अनुदान सहायता के वितरण की प्रक्रिया :–**

1. नवीन लघु उद्योगो को, आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रो/सहपत्रों सहित निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त होने पर 30 दिवस में जिला स्तरीय निवेश सम्बर्धन साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाते है। समिति द्वारा स्वीकृत राशि को उद्यमि द्वारा अनुबंध करने के उपरान्त उपलब्ध कराई जावेगी। यदि उद्यमि स्वीकृत अनुदान राशि से सन्तुष्ठ नहीं है या अन्य किसी कारणो से सन्तुष्ट नहीं है तो वह राज्य स्तरीय निवेश सम्बर्धन साधिकार समिति के सदस्य सचिव को अपनी अपील कर सकता है।

2. मध्यम/वृहद उ़द्योग होने की दशा में आवेदन पत्र जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा महाप्रबंधक 15 दिवस में अपनी अनुशंसा सहित प्रकरण उद्योग आयुक्त भोपाल को प्रेषित करेंगे जिस पर राज्य स्तरीय निवेश सम्बर्धन साधिकार समिति द्वारा अनुदान स्वीकृति पर निर्णय लिया जावेगा।

❖ **आवेदन करने के लिये कहा/किससे सम्पर्क करें :– जिले में स्थापित कार्यालय महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह (म.प्र.)**

❖ **आवेदन शुल्क** :– कोई शुल्क नहीं है

❖ **अन्य शुल्क** :– कोई शुल्क नहीं है

❖ **आवेदन पत्र का प्रारूप**

FORM 3(SCS)

FORM OF COLLECTION FOR CLAIMING STATE CAPIAL SUBSIDY BY THE NEW INDL. UNITS

1. Name of the applicant unit and address
2. Constitution
   (Please state whether it is Proprietary /Partnership /Jt. Stock Company /Cooperative Society etc. and give names and address of proprietors /Partners /Directors Com. of dated registration be supplied.)

3. Location of the unit/undertaking Place Block District
   a) Existing
   b) Proposed
4 Registration No. & dt. Item Capacity
   a) SSI registration
      i) Provisional
      ii) Permanent
   b) Any other authority
      i) Drug Controller
      ii) Excise Commissioner

iii) Sales Tax regn. Central State

iv) Others

(Please furnish copy/copies of the licence/registration certificate etc. undercol.4)

5. State of commencement of production:

i) Partial production (It started)

ii) Full production

iii) Probable date of commencement of production, if partial or full production not started.

6. Products proposed/manufactured

a) Name of the products.

b) Annual Capacity

i) Quantity

ii) Value in Rs.

7. Cost of project. Furnish the copy of the latest project report.

(A) Fixed Capital (in Rs.)

i) Land

ii) Building

iii) Plant & Machinery

a) Indigenious

b) Imported

iv) Other fixed assets

Total

(B) Working capital ________Rs.

Grand Total

---

8. Source of finance

(a) Own funds

(b) Loans

i) M.P. Financial Corporation

ii) Name of the Banks

iii) Director of Industries

iv) Other

(These totals should tally with the total in the last column under item No.7 above)

9. Appraisal of project cost admitted by financial institution/Bank.

A. Fixed Assets

i) Land

ii) Building

iii) Plant & Machinery

iv) Other Fixed Assets

v) Contingencies

B. Working Capital -

Total -

10. Machinery on Hire Purchase basis procured/to be procured — Name of the Institution — Plant & Machinery to be procured — Value

11. Magnitude of effective steps taken — Evidence

i) Value of land acquired

ii) Building value of construction work

Plant & Machinery

a) Value of firm orders placed

b) Value of machines obtained out or the orders placed.

12. Details of fixed capital investment

Position as on	Total expenditure proposed (excluding working capital)	Expenditure incurred on fixed assets actually acquired		Likely Total expenditure proposed
		before	after	

2.4.81 2.4.81

a) Land
b) Building & electrical installation
c) Plant & Machinery
d) Tools, Jigs, dies, moulds etc.
e) Goods carriers
f) Other fixed assets
g) Contingencies -

____

Total -

____

13. Physical progress as on __________________

(A) Land*
Rented/Leased/Purchased

(B) Building
Rented/leased/construction
completed/under construction and expenditure incurred.

(C) Plant & Machinery*

14. Employment

a) Managerial
b) Supervisory/Technical
c) Workers-
   Skilled
   Semi-Skilled
   Un-skilled
d) Others

15. Proposed/actual requirement of

a) Water
b) Electrical power with consent of MPEB
c) Furnace oil etc.

I/We ____ name(s) ____________________________ being the proprietor/partner/Managing Director/Authorised Attorney etc) hereby certify that the information as given above is true and correct by the best of my/our knowledge and belief.

Place	Signature of applicant.
Date	Name and Designation
	Address and Telephone No.

❖ **संलग्नकों की सूची** – निम्नानुसार है

1 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ।

2. पार्टनर शिप डीड फर्म की रजिस्ट्री की अभिस्वीकृति मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोशिऐशन की प्रति ।

3. जनरल पावर ऑफ एटार्नी ।

4. औद्योगिक इकाई के पंजीयन/लायसेंस/मेमोरेण्डम ऑफ इनफर्मेशन जो की लागु हो की प्रति ।

5. केंद्रीय एवं राज्य विक्रयकर के स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपी ।

6. परियोजना रिर्पोट की प्रति ।

7. वित्तीय संस्थाओं से ऋण स्वीकृति व वितरण की स्थिति स्वीकृति आदेश की प्रति सहित ।

8. निजी भूमि कृय करने की दशा में डायवर्सन प्रमाण पत्र एवं भूमि रजिस्ट्री की प्रति ।

9. भूमि/भवन में उत्पादन दिनांक तक किये गये पूंजी विनियोजन की सूची अनुमोदित ब्लू प्रिंट नक्शा एवं चार्टेड इंजीनियर का प्रमाण पत्र बिल वाउचर्स की प्रतियां ।

10. मशीनरी अन्य असेट व प्रीआरेटिव में उत्पादन दिनांक तक किये गये पूंजी विनियोजन की सूची एवं बिल वाउचर्स की प्रति तथा चार्टेड अकाउन्टेट का प्रमाण पत्र ।

11. उत्पादन दिनांक के बाद परियोजना पर किये व्यय की सूची ।

12. विद्युत कनेक्शन प्रमाण पत्र म.प्र. विद्युत मंडल का ।

13. महाप्रबंधक द्वारा जारी उत्पादन दिनांक प्रमाण पत्र ।

14. एक घोषणा पत्र की स्थापित मशीनरी नवीन है एवं स्थापित भूमि, भवन व मशीनरी उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप है। पुरानी मशीन लेने की दशा में वेल्यूएसन व चार्टेड इंजीनियर का इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीनरी बावत प्रमाण पत्र व इकाई की घोषणा कि पुरानी मशीन पर कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है।

15. इकाई से सबंधी अन्य इकाइयों की जानकारी व इकाई अथावा संबंधित इकाई द्वारा पूर्व प्राप्त अनुदान आदि की जानकारी ।

16. प्रदूषण निवारण मंडल का जल एवं वायु संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र व इपको का साइट किलियरेंस ।

17. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति होने पर जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो।

18. अन्य कोई विवरण/पत्र

- **सलग्नको का प्रारूप** – सिर्फ आवेदन पत्र का प्रारूप निर्धारित है।
- **प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें** – महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह/उद्योग आयुक्त उद्योग संचालनालय भोपाल/सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग भोपाल।
- **उपलब्ध धन राशि का विवरण** – जिला स्तर पर वर्ष 2005–06 हेतु राशि रूपये 1 लाख रूपये का बजट में प्रावधान है।
- **लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप में)**

क्र.	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	पिता का नाम	पात्रता का आधार	निवास				
					जिला	शहर	मुहल्ला	ग्राम	मकान क्र.
1.	निल	निल	निल	निल	निल	निल	निल	निल	निल

टीपः विगत 5 वर्षो से कोई अनुदान किसी भी इकाई को जिले में प्रदाय नहीं किया गया है।

2. उद्योगो को टर्म लोन पर ब्याज अनुदान योजना 2004

- **कार्यक्रम / योजना का नाम :–** उद्योगो को टर्म लोन पर ब्याज अनुदान योजना 2004
- **कार्यक्रम / योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :–** 01–04–04 से 31–03–2009 तक
- **कार्यक्रम का उद्देश्य :–** पात्र लघु उद्योगों विद्यमान मध्यम / वृहद श्रेणी के उद्योगों के विस्तार / डायवर्सिफिकेशन / आधुनिकीकरण, थ्रस्ट सेक्टर एवं पुर्नवासित लघु / मध्यम एवं वृहद उद्योगों द्वारा स्थाई पूँजी निवेश हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान अधिकतम राशि रूपये 20.00 लाख (सात वर्ष) तक अनुदान की पात्रता है।
- **कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :–** निरंक (प्राप्त आवेदन पत्र के आधर पर निराकरण किया जाता है)।
- **लाभार्थी की पात्रता :–** पात्र औद्योगिक इकाईयों (म0प्र0 शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी अपात्र इकाइयों को छोडकर) को अनुदान का लाभ मिलेगा।

टर्म लोन पर ब्याज अनुदान योजना अन्तर्गत अपात्र उद्योगो की सूची (पुनरीक्षित)

(उद्योग संवर्धन नीति–2004 की कंडिका क्र–4.2.1 के अंतर्गत)

1. फ्लोर मिल (रोलर फ्लोर मिल छोड़कर)
2. आईल मिल
3. दाल मिल
4. राईस मिल, राईस हालिंग, पारवाईलिंग आफ पेडी, पोहा, मुरमुरा
5. कागज बनाने वाले कारखाने (बगास पर आधारित उद्योगों को छोड़कर)
6. सभी प्रकार के प्रिटिंग प्रेस
7. काटन जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रीज
8. आइस फैक्ट्रीज, कोल्ड स्टोरेज
9. बीयर, पोटेबल अल्कोहल निर्माण व इंडस्ट्रीयल अल्कोहल का निर्माण
10. टेलरिंग
11. कारपेन्टरी, लकड़ी की चिराई, आरामिल, जायनरी, लकड़ी का सभी प्रकार का सामान बनाना
12. ड्रायक्लिनिंग
13. रस्सी बनाना
14. बुक बाइंडिंग
15. पेपर बैग्स
16. रबर स्टाम्प्स मेकिंग
17. एक्सरसाइज नोटबुक्स तैयार करना

18. लिफाफे बनाना
19. बेकरी, प्रोडक्ट्स एवं बिस्कुट्स
20. पोल्ट्री, केटल फीड, पोल्ट्री फीड
21. कन्फेक्शनरी
22. मिठाई, नमकीन सामग्री बनाना, मसाले तैयार करना
23. फोटो स्टेटे का कार्य
24. क्लीनिक पेथालाजिकल लेबोरेटरी
25. डाटा प्रोसेसिंग
26. पटाखे बनाना
27. ब्यूटी पार्लर
28. स्कोअरिंग
29. होजियरी समान बनाना
30. पत्तल दोना बनाना
31. बोरवेल, ट्यूबवेल ड्रीलिंग
32. हायब्रोड सीड निर्माण
33. गेस्ट हाउस, होटल हाउस बोट
34. जूते बनाने के पेटर्न व मोल्डिंग
35. स्मोकलेस फ्यूल बनाना, बिहाई बहाई कोक बनाना
36. कार्क मेकिगं
37. ब्रास/कॉपर प्लेट तथा सर्कल निर्माण
38. आल टाइप्स आफ लेंमीनेशन (जुट बेग्ज, लेमिनेशन छोड़कर)
39. स्टील क्लिप बनाना
40. पेपर से बनाई वस्तुएं जैसे पेपर ट्यूब मेंकिंग
41. फिशिंग नेट मेंकिंग
42. स्टोन क्रशिंग एवं गिट्टी निर्माण
43. सभी प्रकार का प्रिंटिंग कार्य (हेंडीक्रफ्ट प्रिंटिंग को छोड़कर)
44. इलेक्ट्रिकल जाब वर्क
45. इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पेनल असेंबलिग
46. टायर रिस्ट्रेडिंग जाब वर्क
47. रिकंडीशनिंग एवं सर्विसींग आफ आटो ऐंजिन
48. वुड वूल इन्सूलेशन बोड
49. रिट्रेडिंग आफ द इन्डस्ट्रीयल आटोमोबाईल मोल्डेड प्रोडक्ट व रबर होजेज

50. डिस्टल वाटर का निर्माण (स्वतंत्र इकाई)

51. फ्लेईग कार्ड मेकिंग

52. प्रिटिंग आफ एल.डी.पी. व एच.डी.पी. बैग्ज

53. लाईम पावडर, लाईम चिप्स एवं डोलोमाईट पावडर बनाना

54. ग्राईडिंग आफ मिनरल (स्वतन्त्र इकाई)

55. साफ्ट ड्रिंक्स मेंकिंग व बाटलिंग

56. स्लाटर हाउस

57. ऐरिऐटेड कोल्ड ड्रिंक्स, सोफ्ट ड्रिंक्स मेंकिंग व वाटलिंग (पल्प पर आधारित कोल्ड ड्रिंक्स को छोडकर)

58. तम्बाकू एवं तंबाकू पर आधारित उत्पाद

59. मदिरा

60. पान मसाला

61. गुटखा

62. अन्य ऐसे उद्योग जो कि राज्य शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित किऐ जावें।

नोटः–

1. रूपये 1.00 करोड से अधिक स्थाई पूँजी वेष्ठन करने वाली ईकाई यदि उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2004 की सुविधा नहीं चाहती है तो ही इस योजना में लाभ ले सकेगी।
2. किसी पात्र औद्योगिक इकाई को उद्योग स्थाई निवेश अनुदान योजना के साथ टर्म लोन पर ब्याज अनुदान योजना का लाभ तो प्राप्त हो सकता है किन्तु ऐसी इकाई उद्योग निवेश संर्वधन सहायता योजना 2004 की पात्रता नहीं रखेगी।
3. रूपये 1.00 करोड से अधिक स्थाई पूँजी वेष्ठन करने वाली इकाई को यह विकल्प देना होगा की वह केवल उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना–2004 की सुविधा का लाभ लेना चाहता है, अथवा इसके विकल्प के रूप में उद्योग स्थाई निवेश अनुदान योजना एवं टर्म लोन पर ब्याज अनुदान योजना का लाभ लेना चाहती है। एक बार विकल्प दिये जाने के पश्चात् उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
4. नवीन उद्योग नीति में प्रावधान अनुसार डायवर्सिफिकेशन /क्षमता/विस्तार/तकनीकि उन्नयन किये जाने पर देय सुविधा हेतु भी उपरोक्त सूची लागू होगी।

❖ **पूर्वापेक्षाऐं :–**

1. इकाई दमोह जिले में स्थापित हो।

2. लघु उद्योगों, विद्यमान, मध्यम/ वृहद श्रेणी के उद्योग के विस्तार, थ्रस्ट सेक्टर एवं पुर्नवासित लघु/मध्यम वृहद उद्योगों हेतु भी योजना लागू है। विस्तार करने वाली करने वाली इकाई अपनी इकाई में पूर्व में स्थापित इकाई पूँजी वेष्ठन का कम से कम 50 प्रतिशत के तुल्य इकाई में प्लांट एवं मशीनरी मद में कम से कम 5.00 करोड रूपये का अतिरिक्त पूँजी निवेश अनिवार्य किया गया है तो ऐसी ईकाईयों को यह सुविधा वित्तीय संस्थाओं से लिये गये टर्मलोन पर ब्याज अनुदान की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही ईकाई द्वारा अपनी औसत उत्पादन क्षमता विगत 3 वर्षो के उत्पादन के आधार पर आंकलित की जावेगी, से अतिरिक्त उत्पादन पर ही सुविधा का लाभ दिया जावेगा।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों को ब्याज अनुदान बिना किसी अधिकतम सीमा एवं जिले की श्रेणी के 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध कराया जायेगा।

4. ब्याज अनुदान की मात्रा एवं अवधि प्रथम टर्मलोन के भुगतान दिनांक से होगी।

5. दिनांक 01–04–2004 के पूर्व उत्पादन प्रारंभ करने वाले ईकाईयों को पूर्व नियम प्रभावशील रहेंगे।

❖ **अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :–**

1. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ।

2. औद्योगिक इकाई के पंजीयन/लायसेंस/मेमोरेण्डम ऑफ इनफर्मेशन जो की लागु हो की प्रति ।

3. वित्तीय संस्थाओं से ऋण स्वीकृति व वितरण की स्थिति स्वीकृति आदेश की प्रति सहित ।

4. उत्पादन दिनांक के बाद परियोजना पर किये व्यय की सूची ।

5. ऋण नियमित भुगतान के संबंध में शाखा प्रबंधक (बैंक) द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति होने पर जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो।

❖ **पात्रता निश्चित करने के लिये मानदण्ड :–**

1. इकाई दमोह जिले में स्थापित हो।

2. लघु उद्योगों, विद्यमान, मध्यम/वृहद श्रेणी के उद्योग के विस्तार, थ्रस्ट सेक्टर एवं पुर्नवासित लघु/मध्यम वृहद उद्योगों हेतु भी योजना लागू है। विस्तार करने वाली करने वाली इकाई अपनी इकाई में पूर्व में स्थापित इकाई पूँजी वेष्ठन का कम से कम

50 प्रतिशत के तुल्य इकाई में प्लांट एवं मशीनरी मद में कम से कम 5.00 करोड रूपये का अतिरिक्त पूँजी निवेश अनिवार्य होगा।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित लघु उद्योगों के लिए ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत सात वर्ष हेतु बिना किसी अधिकतम सीमा एवं जिले की श्रेणी के 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध कराया जावेगा।
4. इकाईयों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से टर्म लोन प्राप्त किया गया हो।

- **दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो) :–**

1. टर्म लोन पर 5% – 7 वर्ष हेतु – रूपये 20.00 लाख तक
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को ब्याज अनुदान बिना किसी अधिकतम सीमा एवं जिलों की श्रेणी के 5% की दर से 5 वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध कराया जावेगा।

- **अनुदान सहायता के वितरण की प्रक्रिया :–**

1. वित्तीय संस्था से महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इस योजना अन्तर्गत क्लेम प्राप्त होने के पश्चात् औद्योगिक इकाईयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन का सत्यापन कराने के उपरान्त अनुदान राशि 7 दिवस में स्वीकृत कर आवंटन की राशि से वित्तीय संस्था को संबंधित इकाई के टर्म लोन पर ब्याज की राशि में समायोजित करने हेतु भुगतान किया जावेगा।
2. इस योजना में मार्ग दर्शन/व्याख्या उद्योग आयुक्त द्वारा किया जावेगा जो अंतिम एवं एवं बाध्यकारी होगा।

- **आवेदन करने के लिये कहा/किससे सम्पर्क करें :–** जिले में स्थापित कार्यालय महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह (म.प्र.)
- **आवेदन शुल्क** :– कोई शुल्क नहीं है
- **अन्य शुल्क** :– कोई शुल्क नहीं है

❖ आवेदन पत्र का प्रारूप

STATEMENT OF INTEREST SUBSIDY CLAIMED FROM DISTRICT INDUSTRIES CENTRE SAGAR (M.P.)

Name of Bank :- Dena Bank **Branch : - Sagar City**

S. No.	Name & Address of The Unit	S.S.I. Registration No. & Date	Date & Amount of Loan Sanctioned	Date of Disbursement I[st] Installment	Period	Products of Each Quarter	Interest Charged For Each Quarter	Amount of Interest Subsidy Received From DTIC So Far	Total Interest Subsidy Amount Claimed	Weather Unit Is Installment Regularly Yes or Not	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											

BRANCH MANAGER

CERTIFIED THAT

1. The above unit is not defaulter as per Bank's rules.
2. The above claims have been charged on Term Loans.
3.
4.

BRANCH MANAGER

❖ **संलग्नों की सूची :–**

1. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया हो।

2. औद्योगिक इकाई के पंजीयन/लायसेंस/मेमोरेण्डम ऑफ इनफर्मेशन जो की लागु हो की प्रति।

3. वित्तीय संस्थाओं से ऋण स्वीकृति व वितरण की स्थिति स्वीकृति आदेश की प्रति सहित ।

4. उत्पादन दिनांक के बाद परियोजना पर किये व्यय की सूची ।

5. ऋण नियमित भुगतान के संबंध में शाखा प्रबंधक (बैंक) द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति होने पर जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो।

❖ **संलग्नों का प्रारूप :–** सिर्फ आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिये।

❖ **प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें** – महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह/उद्योग आयुक्त उद्योग संचालनालय भोपाल/सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग भोपाल।

❖ **उपलब्ध धन राशि का विवरण** – जिला स्तर पर वर्ष 2005–06 हेतु राशि रूपये 1 लाख रूपये का बजट में प्रावधान है।

❖ **लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप में)**

क्र.	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	पिता का नाम	पात्रता का आधार	निवास				
					जिला	शहर	मुहल्ला	ग्राम	मकान क्र.
1.	निल	निल	निल	निल	निल	निल	निल	निल	निल

टीपः विगत 5 वर्षो से कोई अनुदान किसी भी इकाई को जिले में प्रदाय नहीं किया गया है।

अध्याय – 14 (मैनुअल 13)

रियायतो ,अनुज्ञापत्रो तथा प्राधिकारो के प्राप्तिकर्ताओ के संबंध में विवरण

1. म0प्र0 उद्योग निवेश संबद्धन सहायता योजना 2004

2. परियोजना व्यय प्रतिपूर्ति

3. पेटेन्ट व्यय प्रतिपूर्ति

4. आई.एस.ओ. 9000 प्रमाणीकरण व्यय प्रतिपूर्ति।

5. मध्यप्रदेश उद्योग (शेड,प्लाट एवं भूमि आवंटन)नियम 1974 (दिनांक 01.07.1999 तक संशोधित)

14.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराय

1. कार्यक्रम/योजना का नाम – **मध्यप्रदेश उद्योग निवेश संबर्धन सहायता योजना 2004**

2. प्रकार – यह योजना उद्यमियो को वाणिज्यकर से रियायत/छूट प्रदान करती है।

3. उद्देश्य– यह योजना राज्य में रोजगार वृद्धि नवीन इकाईयो के स्थापना एवं नवीन पूंजी वेष्ठन में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।

4. लक्ष्य(विगत वर्ष में) – वर्ष 2004–05 में कोई लक्ष्य निर्धारित नही था

5. पात्रता – 1. लद्यु मध्यम वृहद् श्रेणी की ऐसी औद्योगिक परियोजना जिसकी स्थापना हेतु जि0व्या0उ0के0 से प्रस्तावित/स्थाई पंजीयन , भारत सरकार , उद्योग मंत्रालय से आशय पत्र (LOI)/औद्योगिक लाईसेन्स/आई.ई.एम. /अभिस्वीकृति पत्र प्राप्त किया गया है। एवं जो दमोह जिले में स्थापित है।

2. ऐसी इकाईया जिन्में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 1.04.02004 से अथवा इस दिनांक के पश्चात प्रारंभ किया गया हो ।

3. नई औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई जिसने जिले में पंजी कृत व्यापारी द्वारा किसी भी माल के उत्पादन के लिये जिले में स्थापित उद्योगिक इकाई जिसमें म0प्र0 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंन्ट फेसीलिटीशियन कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल इस योजना के अंतर्गत पंजीयन प्राप्त किया गया हो व इकाई में वाणिज्यक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक तक स्थिर

अस्थि में (प्रसंग में) पूंजी निवेश 1 करोड़ से अधिक किया गया हो एवं जिसने 1.04.04 को या उसके पश्चात लेकिन दिनांक 1. 04.09 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया हो ।(नई औ0 इकाई केप्रसंग में)

4. विद्यमान औ0 इकाई द्वारा विस्तार डायवरसीफिकेशन,तकनीकि उन्नयन , आधुनिकी करण कर क्षमता विस्तार नवीन आईटम का उत्पादन किया हो एवं जिसने म0प्र0 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फेसीलिटीसियन कार्पोरेशन लिमिटेड से इस योजना अंतर्गत पंजीयन प्राप्त किया गया हो। व इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक तक स्थिर अस्तियो में रूपय 5 करोड़ या उससे अधिक पूंजी वेष्ठन किया हो एवं जिसमें 1.4.2004 को या उसके पश्चात लेकिन दिनांक 1.4.2009 के पूर्व उत्पाद प्रारम्भ किया हो।

विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा अपनी औसत उत्पादन क्षमता जो कि विगत तीन वर्षो के उत्पादन के औसत आधार पर आंकलित कि जावेगी से अधिक होने वाले उत्पादन पर ही सुविधा का लाभ दिया जावेगा जिन इकाईयो द्वारा पूर्व मे स्थापित अपनी उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नही किया है। उन्हे विस्तार योजना का लाभ नही मिलेगा ऐसी इकाईयो को औसत उत्पादन पंजीकृत क्षमता जो भी अधिक हो के विक्रय माल पर जमा कर के विरूध योजना अंतर्गत सहायता राशी प्राप्त नही होगी ।

स्थाईपूंजी निवेश की गणना हेतु एक करोड़ या उससे अधिक की परियोजना में वाणिज्यक उत्पादन दिनांक से तीन वर्ष तक किये गये व्यय सम्मलित किये जावेगें

वाणिज्य कर में छूट ऐसे उद्योग हेतु प्राप्त होगी जो मध्यप्रदेश वाणिज्य कर अधिनियम 1994 के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी द्वारा म0 प्र0 में उत्पादित माल के विक्रय पश्चात कर के रूप में जमा की गई राशि जिसमें उत्पादन हेतु क्रय किये

गये कच्चे माल के क्रय कर के भुगतान की गई राशी सम्मलित नही होगी ।(वेट लागू होने पर केवल वाणिज्य कर के रूप में जमा की गई राशि कर के रूप में मान्य होगी)

6. पात्रता का आधार –

1. नई औद्योगिक इकाई अथवा विद्यमान औद्योगिक इकाई को निम्नानुसार सुविधा कि पात्रता होगी ।

जिले की श्रेणी	न्यूनतम पात्र स्थाई पूंजी वेष्ठन(रू.करोड़ में)	सहायता की अवधि	प्राप्त सहायता राशी (नवीन अथवा अतिरिक्त स्थाई पूंजी वेष्ठन रू. करोड़ में)
पिंछड़ा जिला श्रेणी ''स'' दमोह	1.00 से 10.00	10 वर्ष	50 प्रतिशत
पिंछड़ा जिला श्रेणी ''स'' दमोह	1.00 से 10.00 करोड़ से अधिक	10 वर्ष	75 प्रतिशत

2. यह सहायता राशि जमा किये गये वाणिज्यकर एवं केन्द्रीय कर की राशि(जिसमें कच्चे माल के कृय पर दिये गये वाणिज्य कर सम्मलित नही है ।) 50 प्रतिशत/75 प्रतिशत के समतुल्य राशि उद्योग निवेश उद्योग समवर्धन सहायता के रूप मे इकाई की वाणिज्य कर खाते में आगामी वर्ष में विमुक्त की जावेगी । इस हेतु विभाग के बजट में प्रावधान किया जावेगा । कुल सहायता राशि अस्तिया में किये गये पूंजी निवेश से अधिक नही होगी ।

3. इकाई का स्थिर अस्तीयो में पूंजी निवेश एक करोड़ या उससे अधिक हो अथवा विद्यमान इकाई द्वारा विस्तार डायवर्सिफिकेशन तकनीकि उन्नयन में कम से कम पांच करोड़ रूपय और पूर्व स्थाई निवेश का 50 प्रतिशत से अधिक हो

4. इकाई को प्रबंधसंचालक ट्राईफेक लि. भोपाल से पंजीयन प्राप्त हो जिसने जि0 व्य0 उ0 के0 अथवा ट्राईफेंक के कार्यालय में दिनांक 31.03.2007 के पूर्व आवेदन प्रस्तुत कर दिया हो व पंजीयन प्राप्त कर लिया हो एवं दिनांक 1.04.2009 के पूर्व वाणिज्य उत्पादन प्रारम्भ कर दिया हो। दिनांक

31.03.09 के पश्चात उत्पादन प्रारम्भ करने वाली इकाईया सहायता हेतु पात्र नही होगें।

5. औ0 ई0 होकर पंजीकृत व्यापारी हो ।

7. पूर्व अपेक्षाये उपरोक्तानुसार।

8. प्राप्त करने की प्रक्रिया – जिला स्तर पर एक करोड़ से तीन करोड़ तक के स्थाई पूंजी निवेश वाली इकाईयो के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र एक में महाप्रबंधक जि0 व्या0 उद्योग केन्द्र द्वारा प्राप्त किये जाएंगे । एवं पंजीयन जारी करने के लिये पत्र म0 प्र0 ट्राईफक भोपाल को चैक लिस्ट अनुसार आवेदन प्राप्ती के सात दिवस के भीतर भेजे जाएंगें।

रू. तीन करोड़ से अधिक पूंजी निवेश करने वाली इकाईया पंजीयन हेतु प्रपत्र एक में आवेदन पत्र सीधे प्रबंध संचालक ट्राईपेक भोपाल को प्रेसित करेंगे ।

पात्र इकाईयो का पंजीयन प्रबंध संचालक ट्राईफेक भोपाल द्वारा प्रपत्र 2 में जारी किये जावेगें

योजना अंतर्गत दिनांक 31.3.2007 तक प्राप्त आवेदन पत्रो को ही पंजीयन के लिये विचारार्थ लिया जावेगा ।योजना अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तावित परियोजना की स्थिति में किया जावेगा । तथापि म0प्र0 उद्योग निवेश संबर्द्धन सहायता योजना 2004 की शासन द्वारा स्वीकृति दिनांक से 60 दिवस के भीतर दिनांक 1.04.2004 या उसके पश्चात स्थापित होने वाली इकाईया अथवा जिन इकाईयो ने योजना की स्थापना हेतु प्रभावी कदम ले लिये है। वे पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर पंजीयन प्राप्त कर सकेंगें।

इकाई राष्ट्रीय/केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओ/वाणिज्यक बैंक अथवा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओ से प्रकरण की स्थिति अनुंसार अनुमोदित अथवा स्वीकृत हो । स्ववित्त पोषित होने कि स्थिति में एवं इकाई के वित्तीय प्रावधान संतोष प्रद होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार परियोजना का परीक्षण आई.डी.बी.आई. अथवा एम. पी.एफ.सी जैसी वित्तीय संस्थाओ से करान के उपरान्त इकाई का पंजीयन किया जा सकेगा ।

9. 1. निवेश संबर्धन – सहायता राशि प्राप्त करने हेतु इकाई को प्रपत्र 5 में आवेदन करना होगा रू. 1 करोड़ से तीन करोड़ तक के पूंजी वेष्ठन वाली इकाईयो को महाप्रबंधक जि0 व्या0 उ0 के0 को मय सभी सह पत्रो के

आवेदन करना होगा।महाप्रबंधक जि0 व्या0उ0के0 द्वारा प्रकरण परीक्षण कर एवं स्थल निरीक्षण उपरान्त प्रकरण जिला स्तरीय उद्योग निवेश संबद्धन सहायता समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगें।

2. रू. तीन करोड़ से अधिक निवेश वाली इकाईया प्रपत्र 5 मे महाप्रबंधक जि0 व्या0 उद्योग केन्द्र को दो प्रतियो में आवेदन करना होगा । जिसकी सूचना इकाई द्वारा प्रबंध संचालक ट्राईफेड भोपाल को प्रेषित करेगी । प्रस्तुत तथ्यों का सत्यापन संबंधित जिले के GM-DTIC द्वारा 15 दिवस में अनिवार्य रूप से कर , अपनी अनुशंसा सहित प्रकरण MD-TRIFEC को प्रेषित करेंगे। इसके उपरान्त MD-TRIFEC द्वारा प्रकरण राज्य उद्योग निवेश सबंद्धन सहायता समिति के समक्ष रखा जावेगा। यह समिति प्रकरण पर आवश्यक निर्णय ले सकेंगे।

3. जिला/राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण स्वीकृति पश्चात GM-DTIC/ MD-TRIFEC प्रपत्र 6 (अ)/6(ब) पर यथा प्रकरण अनुसार स्वीकृत जारी करेंगे। स्वीकृति आदेश अनुसार राशि विभुक्त करने के पूर्व DTIC/ MD-TRIFEC के साथ प्रपत्र क. 7 पर इकाई के साथ अनुवध निष्पादित करेंगे । तदोपरांत स्वीकृत राशि को बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफट द्वारा इकाई विशेष के वाणिज्य कर खाते में जमा किया जायेगा। ऐसा भुगतान संबंधित वाणिज्य कर अधिकारी को इकाई के लिए वर्ष में एक बार किया जावेगा।

4. इकाई से प्राप्त चेक की पावती ही उपयोगिता प्रमाण पत्र होगा।

5. यह प्रणाली इकाई के पक्ष में उद्योग निवेश संबर्द्धन सहायता की पात्रता अवधि के वर्षो तक अथवा सहायता की अधिकतम सीमा/समिति द्वारा मान्य समय सीमा अर्थात् स्थिर अस्तियां में पूंजी निवेश तक की सीमा (जो भी पहले समाप्त हो) तक जारी रहेगी।

6. वाणिज्य कर विभाग को विक्रयकर भुगतान की देयता के संबंध में दोषी हाने पर या विभाग के डयूज वकाया की स्थिति में इकाई का प्रकरण विचारक नही होगा।

7. समिति से स्वीकृति उपरान्त चेक वितरण में वजट में प्रवधान के अभाव में अथवा अन्य किसी भी कारण से विलम्ब होने पर ब्याज देय नही होगा।

8. इकाई सुविधा अवधि में एवं सुविधा अवधि के पश्चात 5 वर्षो तक चालू रखा जाना अनिवार्य होगा। इस अवधि में इकाई 6 माह से अधिक अवधि तक बंद होने की स्थिति में इकाई को दी गई संपूर्ण सहायता राशि भू–राजस्व की वकाया वसूली की तरह वसूल की जावेगी।

9. म0प्र0 शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा समय–समय पर जारी उत्पाद उद्योगो की सूची में वर्णित उद्योग इस योजना के लिए अपात्र होगे।

10. **रियायत , अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिए निर्धारित समय सीमा** –दि0 31.3.2007 के पूर्व आवेदन पत्र DTIC/MD के कार्यालय में प्रस्तुत कर सुविधा हेतु पंजीयन प्राप्त कर लिया हो।

11. राज्य स्तरीय समिति की शेष समय सीमा एवं शर्ते उपरोक्तानुसार ही है। किसी निर्णय के विरूद्ध अपील म.प्र. शासन C&I को की जा सकेगी एवं जिला स्तरीय समिति के विरूद्ध अपील राज्य स्तरीय समिति को की जा सकेगी। समिति के निर्णय को सूचनां प्राप्ति के 30 दिवस में अपील प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्र म.प्र. उच्च न्यायालय होगा।

- **आवेदक शुल्क** ....शुल्क नही है।
- **आवेदन पत्र का प्रारूप** – सेडूल , फार्म नं. 1 एवं 5 ....
- संलग्न को की सूची ....

1. मेमोरेड़क एण्ड आर्टिकल कमांक एसोसियेसन की प्रति
2. संचालको के नाम ,पता , टेली0नं. फेक्स , ई–मेल ।
3. भारत शासन द्वारा जारी SIA/L.01/IND.Licene/ssI पंजीयक की प्रति 0
4. प्रेजक्ट रिपोर्ट की प्रति जिससे प्रदूषण नियंत्रण के उपाय सम्मिलित हो
5. वित्तीय संस्थाओ द्वारा स्वीकृत ऋण संबंधी स्वीकृत पत्र।
6. C.A. प्रमाण पत्र (विगत 2 वर्षो का विस्तार के प्रकरणो में)
7. प्लांट एवं मशीनरी की सूची मय बिल/वाउचर की प्रतियो के

8. कच्चेमाल की वार्षिक आवश्यकता मात्रा सहित

9. उत्पाद का नाम वार्षिक क्षमता (मात्रा मूल्य सहित) एवं विगत 3 वर्षो में दिया गया उत्पादन मात्रा–मूल्य सहित।

SCHEDULE
(As per condition No. 4)

The Accistance Receiver shall maintain or cause to be maintained in good condition the premises , building , machinery , tools etc., so that the industry keeps running for the eligibility period period from the date ………………..up to dated ………………….

1.	Land	Rs-------------------------
2.	Building	Rs-------------------------
3.	Plant & Machinery	Rs-------------------------
4.	Pollution Control Equipments	Rs-------------------------
5.	Miscceleneous fxed Assets	Rs-------------------------
	Total	Rs-------------------------

Assostamce Receiver
Signature , Name &
Address

Date :

Form No. 1

Application form for Registration under Madhya Pradesh Udyog Nivesh Samvardhan Sahayata Yojana 2004 (To be submitted In duplicate)

1. (a) **Name of the applicant Industrial Unit**

(b) Factory Address

Telephone No.
Fax No
e-mail address

(c) Address of the Registered off

Telephone No.
Fax No
e-mail address

(d) Name and Designation of the Contact person

Telephone No.
Fax No
e-mail address

2. Whether the project (against which the application for receiving assistancesis being made) is for (Please write specifically)

(a) Establishment of a new unot

(b) Expansion project in the Existing unit (expansion/ diversification/technology upgradation modemization .

(c) Expansion project in a new Location

3. (a) Constitution :
Public Ltd./Private Ltd.Co
/Co-operative Society /Partnership Firm

(b) Date of establishment/ Incorporation/Registration of The Company/Co-operative Society

4. Location/address of the unit :

(A) Location of the project aginst which the grant is sought

Name of the Location	:
Police Station	:
Municipality/Block	:
Post Office	:
District	:
Telephone No.	:
Faz No.	:

(B) Location of other units (if any) I Madhya Pradesh

Location : District :

Location : District :

Location : District :

5. Project Cost :

5.1 (A) For New Units (Please Furnish original certificate from Chartered Accountant)

Rs. In lakhs

Particulars	Estimated cost
Land	
Building	
Plant and machinery	
Electrical Installation	
Pollution control Equipments	
Misc.fixed assets	
Total	
Preliminary and Preoperative expenses	
Grand Total	

(B) Means of finance

Rs. In lakhs

Particulars	Proposed
Share capital/own funds	
Terms Loan from Financial Institutions/Banks	
Unsecured Loans	
Other (if any)	
Total	

5.2 (A) For Expansion/Diversification/Technology Upgradation Scheme :

Rs. In lakhs

Particulars	Original Investment as on Date- --------------	Proposed Investment in Expansion/Diversification/technology Upgradation Scheme	Total Investment
Land			
Building			
Plant and Machinery			
Electrical Installaion			
Pollution Control Equipments			
Investment in Technology Upgradation			
Misc.fixed assets			
Total			
Preliminary and preoperative expenses			
Grand Total			

5.3 .1 Means of Finance

Rs. In lakhs

Particulars	Proposed
Share capital/own funds	
Terms Loan from Financial Institutions/Banks	
Unsecured Loans	
Other (if any)	
Total	

6 Name of items of manufacture & annual capacity
(for which assistance is sought)

6.1 For New Units

No.	Name of Item	Annual Capacity	Proposed Sales Realization (in Rs.Crore) in the year ------------------	Approx. Tax Amount Paid (MPCT+CST) (in Rs.lacs) in which tax paid on raw material Purchased is not included

6.2 In case of expansion/diversification/technology upgradation

NO.	Name of Item	Existing Annual Capacity (Average Production of last 3 yrs.)	Proposed Additional/ New Capacity	Total Annual capacity	Proposed Sales RealiZation of additional capacity / new capacity in the year ----------------	Approx. Tax Amount Paid (MPCT+CST) of additional/ new capacity , in which tax paid on raw material purchased is not included

7. (A) Provisional SSI Registration NO. & Date :
(b) Permanent SSI Registration NO. & Date :

8. Number and date of IEM issued by Govt. of India :
Secretariat for Industrial Approval .
Letter of intent/Industrial Licence /Other approval .

9. Power requirement (KVA)
date of power connection

10. Employment Potential in the project

No.	Particular	With in MP	Out of MP	Total
1.	Managerial			
2.	Factory workers			
3.	Other workes			
4.	Total			

11. Whether the location conforms to
pollution Control Board norms
If yes , write consent No. and date
(a) Under air pollution act
(b) Under water pollution act

12 Estimated Daily requirement of water
and source of supply

13. Registration under MPCT Act 1994 & CST Act 1956
14. Likely date of commissioning of the production
------------ -------------- ---------------

CERTIFIED that the statement in the application are true to the best of my knowledge and belief .

Signature of the applicant

Name and Statue of the Signatory

Place : Seal of the Industrial unit .

Date :

Annexures

(a) A copy of the registration with memorandum and articles of association issued by the registrar of companies.

(b) A statement of the name and residence address of the director/partner/owners of the company , including telephone number , fax no. & e-mail address .

(c) A copy of the acknowledgement reference no. By sia/letter of intent/industrial other govt. Of india approval/ssi registration no.

(d) A project report – including pollution control measures envisaged .

(e) Photocopy of sanction letter form central financial institution/state financial institution etc. Sanctioning loan and other financial assistance towards meeting the cost of the project , certified by a director of the company .

(f) Copy of the audited balance-sheet for last 2 years. (in case of expansion project)

(g) A list of plant and machinery required for the project (with value)

(h) Statement in respect of requirement of raw matetial for the project (including names and quantity required per annuam).

(i) Existing manufacturing activities in madhya pradesh stating items , annual approved capacity , annual installed capacity , annual production during last three year (in quantity & value in rs. Lakhs)

For office use.

File no.	District	Date of receipt	Date of approval by committee	Registration no. & date of issue by md trifac

Form No. 5

Application form for Receiving under Madhya Pradesh Udyog Nivesh Samvardhan Sahayata Yojana 2004 (To be submitted I duplicate)

1. (a) **Name of the applicant Industrial Unit**

    (c) Factory Address

    Telephone No.
    Fax No
    e-mail address

    (e) Address of the Registered off

    Telephone No.
    Fax No
    e-mail address

    (f) Name and Designation of the Contact person

    Telephone No.
    Fax No
    e-mail address

3. Whether the project (against which the application for receiving assistancesis being made) is for (Please write specifically)

    (a) Establishment of a new unot
    (b) Expansion project in the Existing unit (expansion/ diversification/technology upgradation modemization .
    (c) Expansion project in a new Location

3. (a) Constitution :
    Public Ltd./Private Ltd.Co
    /Co-operative Society /Partnership Firm

    (c) Date of establishment/ Incorporation/Registration of The Company/Co-operative Society

4. Location/address of the unit :

(C) Location of the project aginst which the grant is sought

Name of the Location :
Police Station :
Municipality/Block :
Post Office :
District :
Telephone No. :
Faz No. :

(D) Location of other units (if any) I Madhya Pradesh

Location : District :
Location : District :
Location : District :

5. Project Cost :

5.1 (A) For New Units (Please Furnish original certificate from Chartered Accountant)

Particulars	Investment made as on date of production/date of expanded capacity production commenced
Land	
Building	
Plant and machinery	
Electrical Installation	
Pollution control Equipments	
Misc.fixed assets	
Total	
Preliminary and Preoperative expenses	
Grand Total	

(B) Means of finance (Please funish certificate fro, Chartered Accountant)

Particulars	Investment made as on date of production/date of expanded capacity production commenced
Share capital/own funds	
Terms Loan from Financial Institutions/Banks	
Unsecured Loans	
Other (if any)	

Total	

5.2 (A) For Expansion/Diversification/Technology Upgradation Scheme :
(Please funished certificate from chartered Accountant)

Particulars	Original Investment as on Date- ---------------	Actual Investment in Expansion/Diversification/technology Upgradation Scheme as on date of production commenced	Total Inmvestment
Land			
Building			
Plant and Machinery			
Electrical Installaion			
Pollution Control Equipments			
Investment in Technology Upgradation			
Misc.fixed assets			
Total			
Preliminary and preoperative expenses			
Grand Total			

5.2 (B) Means of Finance (Please furnish certificate from chartered Accountant)

Particulars	Investment made as on date of production/date of expanded capacity production commenced
Share capital/own funds	
Terms Loan from Financial Institutions/Banks	
Unsecured Loans	
Other (if any)	
Total	

6 Name of items of manufacture & annual capacity
(for which assistance is sought)

6.3 For New Units

No.	Name of Item	Annual Capacity	Actual Sales Realization (in Rs.Crore) in the year ------------------	Actual & Assesed Tax Amount Paid (MPCT+CST) (in Rs.lacs) in which tax paid on raw material Purchased is not included

6.4 In case of expansion/diversification/technology upgradation

NO.	Name of Item	Existing Annual Capacity (Average Production of last 3 yrs.)	Additional/ New Capacity	Total Annual capacity	Actual Sales RealiZation of additional capacity / new capacity in the year ----------------	Actual & Assesed Tax Amount Paid (MPCT+CST) of additional/ new capacity , in which tax paid on raw material purchased is not included

7. (A) Provisional SSI Registration NO. & Date :
(c) Permanent SSI Registration NO. & Date :
8. Number and date of IEM issued by Govt. of India :
Secretariat for Industrial Approval ./
Letter of intent/Industrial Licence /Other approval .
9. Power load installed &
date of power connection
10. Employment Potential in the project

No.	Particular	With in MP	Out of MP	Total
1.	Managerial			
2.	Factory workers			
3.	Other workes			
4.	Total			

11. Whether the location conforms to pollution Control Board norms
If yes , write consent No. and date
(c) Under air pollution act
(d) Under water pollution act

12 Daily requirement of water and source of supply

13. (a) Tax paid on sales of goods at serial No.6.1/6.2 under the M.P. Commerical Tax Act , 1994 for the Year ………….. : Rs. (in figure) ……………
: Rs. (in words)…………….
: ……………………………
(b) Central Sales Tax Paid under CST Act 1956 on sales of goods at serial No.6.1/6.2 of Inter State From M.p. for the year …………… : Rs. (in figure) ……………
: Rs. (in words)…………….
(c) Total Tax (a) + (b) paid for the Year …………………………… : Rs. (in figure) ……………
: Rs. (in words)…………….
……………………………
……………………………

14. Name of the Bank and it's branch with Bank account was made . ……………………………

15 Registration No. of the dealer under the M.P. Commercial Tax Act , 1994 & Central Sales Tax Act. 1956 ……………………………
……………………………
……………………………

16 Registration No. of the dealer issued by Managing Director M P Trade & Investment Facilitation Corporation Ltd. , Bhopal under Udyog Nivesh Samvardhan sahayata Yojana 2004 ……………………………
……………………………
……………………………

17 Date of commissioning of the production/expanded capacity production commenced …………… …………… …………… ……………

CERTIFIED that the statement in the application are true to the best of my knowledge and belief .

Signature of the applicant

Name and Statue of the Signatory

Place : Seal of the Industrial unit .

Date :

Annexures

(j) A copy of the registration with memorandum and articles of association issued by the registrar of companies.
(k) A statement of the name and residence address of the director/partner/owners of the company , including telephone number , fax no. & e-mail address .
(l) A copy of the acknowledgement reference no. By sia/letter of intent/industrial other govt. Of india approval/ssi registration no.
(m) A project report – including pollution control measures envisaged .
(n) Photocopy of sanction letter form central financial institution/state financial institution etc. Sanctioning loan and other financial assistance towards meeting the cost of the project , certified by a director of the company .
(o) Copy of the audited balance-sheet for last 2 years . (in case of expansion project)
(p) A list of plant and machinery required for the project (with value)
(q) Statement in respect of requirement of raw matetial for the project (including names and quantity required per annuam).
(r) Existing manufacturing activities in madhya pradesh stating items , annual approved capacity , annual installed capacity , annual production during last three year (in quantity & value in rs. Lakhs)

For office use.

File no.	District	Date of receipt	Date of approval by committee	Registration no. & date of issue by md trifac

2. परियोजना व्यय प्रतिपूर्ति

14.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध करायें :—

- **कार्यक्रम/योजना का नाम** :— परियोजना व्यय प्रतिपूर्ति।
- **प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुने)** :— उद्योगों को रियायत।
- **उद्देश्य** :— मान्यता प्राप्त कसंलटेंट से औद्योगिक इकाईयों को परियोजना प्रतिवेदन प्रतिपूर्ति हेतु यह योजना दिनांक 01—04—2004 से लागू है।
- **लक्ष्य (विगत वर्ष में)** :— कोई लक्ष्य निधारित नहीं था।
- **पात्रता** :— पात्र लघु उद्योग, ब्रहद एवं मध्यम उद्योगों को परियोजना प्रतिवेदन लागत का एक प्रतिशत (1 करोड़ तक की परियोजना पर अधिकतम 3 लाख रूपये) एवं 1/2 प्रतिशत परियोजना लागत 1 करोड़ से अधिक होने पर अधिकतम 3 लाख की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।
- **पात्रता का आधार** :— निम्नांकित अप्रात्र इकाईयों को छोड़कर शेष इकाईयां प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगी।

अपात्र इकाईयों की सूची

1. स्लाटर हाउस
2. एरियेटेड कोल्ड ड्रिंक्स (पल्प पर आधारित कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़कर)
3. तम्बाकू एवं तम्बाकू पर आधारित उत्पाद
4. मदिरा
5. पान—मसाला
6. गुटका
7. अन्य ऐसे उद्योग जो कि राज्य शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित किये जावें।

- **पूर्वापेक्षाएं** :— इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त कसंलटेंट से औधोगिक इकाई की परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया गया हो।
- **प्राप्त करने की प्रक्रिया** :— निम्नांकित दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

1. आवेदन—पत्र निर्धारित प्रारूप में।
2. अस्थाई/स्थाई लघु उद्योग पंजीयन।
3. वृहद मध्यम उद्योगों के लिए भारत शासन की अभिस्वीकृति तथा उत्पादन प्रमाण—पत्र । प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति।
4. मान्यता प्राप्त संस्था से हुए अनुबंध की प्रति।

5. प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाने हेतु किये गये व्यय संबंधी वाउचर्स/दस्तावेजों का विवरण जो किये गये व्यय की पुष्टि करते हों। (प्रमाणित प्रतियों सहित)

6. संस्थान की मान्यता विषयक प्रमाणीकरण।

- **रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिये निधार्रित समय सीमा :–** आवंटन होने की स्थिति में 7 दिवस के अन्दर भुगतान कर दिया जावेगा।
- **आवेदन शुल्क :–** कुछ नहीं।
- **आवेदन पत्र का प्रारूप :–**

APPLICATION FORM

(i) Name of the applicant

(ii) Present activities

(iii) Present organisational pattern and with antecedents of owners, partners or directors, etc.

(iv) Proposed industry with location and tentative capacity and cost with break-ups wherever possible (Please give all possible information)

(v) The type of study report desired.

(vi) Extent to which promoter would be willing to invest funds.

(vii) Preference regarding consultants.

(viii) Preliminary steps taken, if any.

(This would include information regarding the application for registration with the State Director of Industries DGTD or some other competent agencies, if and when required by law of regulations, application for getting industrial licence, negotiations with consultants, collections of basic data etc.)

Signature of the Applicant

Place :

Date :

❖ **संलग्नों की सूची :–**

1. आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप में।
2. अस्थाई / स्थाई लघु उद्योग पंजीयन।
3. वृहद मध्यम उद्योगों के लिए भारत शासन की अभिस्वीकृति तथा उत्पादन प्रमाण–पत्र । प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति।
4. मान्यता प्राप्त संस्था से हुए अनुबंध की प्रति।
5. प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाने हेतु किये गये व्यय संबंधी वाउचर्स / दस्तावेजों का विवरण जो किये गये व्यय की पुष्टि करते हों। (प्रमाणित प्रतियों सहित)
6. संस्थान की मान्यता विषयक प्रमाणीकरण।

❖ **संलग्नों का प्रारूप :–** सिर्फ आवेदन–पत्र उपरोक्तानुसार।

❖ **प्राप्तिकर्ताओं की सूची (निम्न प्रारूप पर) :–**

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	प्राप्किर्ता का नाम	वैधता किस दिनांक तक है	वल्दियत	निवास का पता
1	निल	निल	निल	निल

टीपः विगत 5 वर्षो से किसी भी इकाई को व्यय प्रतिपूर्ति नहीं की गई।

3. पेटेंन्ट व्यय प्रतिपूर्ति योजना

14.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध करायें :–

- **कार्यक्रम/योजना का नाम** :– पेटेंन्ट व्यय प्रतिपूर्ति योजना।
- **प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुने)** :– उद्योगों को रियायत।
- **उद्देश्य** :– उद्योगों में शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पेंटेंट प्राप्त करने पर हुए व्यय की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति (पात्र उद्योगों को अधिकतम रूपये 2.00 लाख की सीमा तक की जावेगी।
- **लक्ष्य (विगत वर्ष में)** :– कोई लक्ष्य निधारित नहीं।
- **पात्रता** :– उद्योगों में शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पेंटेंट प्राप्त करने पर हुए व्यय की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति (पात्र उद्योगों को अधिकतम रूपये 2.00 लाख की सीमा तक की जावेगी। यह सुविधा/प्रतिपूर्ति पेंटेंट कराने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति येाजना में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय नियम/कानून के अन्तर्गत शोध एवं अनुसंधान के आधार पर विकसित किये गये उत्पादों/प्रक्रियाओं का दिनांक 01–04–2004 के पश्चात् पेंटेंट कराने हेतु प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाईयों को देय होगी। यह प्रति पूर्ति पेटेंट रजिस्ट्रेशन/बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आई.पी.आर.) प्राप्ति हेतु किये गये व्यय के वास्तविक व्यय पर किया जावेगा।

1. पेटेंट कराने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन–पत्र के साथ निर्धारित शुल्क की राशि।
2. पेटेंट कराये गये उत्पाद के अनुसंधान एवं शोध हेतु स्थापित यंत्र साज सज्जा।
3. पेटेंट, प्रक्रिया अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ की ली गई सलाह/सेवा के लिए भुगतान किये गये शुल्क।
4. प्री–ऑपरेटिव व्यय (बिन्दु क्रमांक– 1, 2, 3 को कुल राशि के 10 प्रतिशत की राशि ही मान्य होगी।
5. इस कार्य पर हुये व्यय का सत्यापन चार्टर्ड एकाउंटेन्ट के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. आवेदन–पत्र निर्धारित प्रपत्र पर ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में समस्त दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करना होगा।
7. यह योजना मध्य प्रदेश में स्थापित लघु, वृहद एवं मध्यम उद्योगों के लिये लागू होगी। यह योजना दिनांक 01–04–2004 से 31–03–09 तक के लिये प्रभावशील होगी। पेटेंट प्राप्ति

के लिये अधिकतम एक वर्ष के अन्दर इकाई को प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना अनिवार्य होगा।

❖ **पात्रता का आधार :–** निम्नांकित अप्रात्र इकाईयों को छोड़कर शेष इकाईयां प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगी।

अपात्र इकाईयों की सूची

1. स्लाटर हाउस
2. एरियेटेड कोल्ड ड्रिक्स (पल्प पर आधारित कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़कर)
3. तम्बाकू एवं तम्बाकू पर आधारित उत्पाद
4. मदिरा
5. पान–मसाला
6. गुटका
7. अन्य ऐसे उद्योग जो कि राज्य शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित किये जावें।

❖ **पूर्वापेक्षाएं :–** पात्रता में उल्लेखित बिन्दुओं अनुसार।

❖ **प्राप्त करने की प्रक्रिया :–** निम्नांकित दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

1. आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप में।
2. अस्थाई/स्थाई लघु उद्योग पंजीयन।
3. वृहद मध्यम उद्योगों के लिए भारत शासन की अभिस्वीकृति तथा उत्पादन प्रमाण–पत्र । प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति।
4. पेटेंट पर हुये व्यय संबंधी वाउचर्स/दस्तावेजों का विवरण जो किये गये व्यय की पुष्टि करते हों। (प्रमाणित प्रतियों सहित)।
5. संस्थान की मान्यता विषयक प्रमाणीकरण।
6. चार्टर्ड एकाउंटेन्ड का प्रमाण–पत्र।

योजना अन्तर्गत प्रतिपूर्ति की राशि के पूर्व महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संबंधित विषय के विशेषज्ञों अथवा मैप कास्ट (मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रोद्योंगिकी परिषद) अथवा अन्य अनुसंधानकारी ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ संस्थाओं से आवश्यकतानुसार परामर्श लेकर कर सकेगें।

❖ **रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिये निधार्रित समय सीमा :–** पेटेंट प्राप्ति के अधिकतम 1 वर्ष के अन्दर इकाई को प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना अनिवार्य होगा।

❖ **आवेदन शुल्क :–** कुछ नहीं।

❖ **आवेदन पत्र का प्रारूप :–**

❖ **संलग्नों की सूची :–**

1. आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप में।
2. अस्थाई / स्थाई लघु उद्योग पंजीयन।
3. वृहद मध्यम उद्योगों के लिए भारत शासन की अभिस्वीकृति तथा उत्पादन प्रमाण–पत्र । प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति।
4. पेटेंट पर हुये व्यय संबंधी वाउचर्स / दस्तावेजों का विवरण जो किये गये व्यय की पुष्टि करते हों। (प्रमाणित प्रतियों सहित)।
5. संस्थान की मान्यता विषयक प्रमाणीकरण।
6. चार्टर्ड एकाउंटेन्ड का प्रमाण–पत्र।
7. पेटेंट पंजीयन प्रमाण–पत्र।

❖ **संलग्नों का प्रारूप :–** सिर्फ आवेदन–पत्र।

❖ **प्राप्तिकर्ताओं की सूची (निम्न प्रारूप पर) :–**

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	प्राप्किर्ता का नाम	वैधता किस दिनांक तक है	वल्दियत	निवास का पता
1	निल	निल	निल	निल

टीपः यह योजना मध्य प्रदेश में 01–04–2004 से ही लागू की गई है।

4. आई.एस.ओ. – 9000 प्रमाणीकरण व्यय प्रतिपूर्ति

14.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध करायें :–

❖ **कार्यक्रम/योजना का नाम** :– आई.एस.ओ. – 9000 प्रमाणीकरण व्यय प्रतिपूर्ति योजना।

❖ **प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुने)** :– उद्योगों को रियायत।

❖ **उद्देश्य** :– उद्योगों में गुणवत्ता प्राप्ति हेतु उनके द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु यह योजना लागू की गई है।

❖ **लक्ष्य (विगत वर्ष में)** :– कोई लक्ष्य निधारित नहीं।

❖ **पात्रता** :– यह योजना दिनांक 01–04–2004 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाईयों को किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आई.एस.ओ. 9000 अर्थात् उसके गुणवत्ता प्रमाण–पत्र (जिसकी सूची राज्य शासन द्वारा प्रकाशित की जावेगी) प्राप्त करने में किये गये कुल व्यय का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपये 1.00 लाख जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जावेगी। बशर्ते की प्रमाणीकरण प्राप्त हो और 1 वर्ष तक मेन्टेन्ड हो। यह सुविधा पात्र इकाईयों को ही प्राप्त होगी।

❖ **पात्रता का आधार** :– निम्नांकित अप्रात्र इकाईयों को छोड़कर शेष इकाईयां प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगी।

अपात्र इकाईयों की सूची

1. स्लाटर हाउस
2. एरियेटेड कोल्ड ड्रिंक्स (पल्प पर आधारित कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़कर)
3. तम्बाकू एवं तम्बाकू पर आधारित उत्पाद
4. मदिरा
5. पान–मसाला
6. गुटका
7. अन्य ऐसे उद्योग जो कि राज्य शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित किये जावें।

❖ **पूर्वापेक्षाएं** :– पात्रता में उल्लेखित बिन्दुओं अनुसार।

❖ **प्राप्त करने की प्रक्रिया** :– निम्नांकित दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

1. आवेदन–पत्र।
2. अस्थाई/स्थाई लघु उद्योग पंजीयन।
3. वृहद मध्यम उद्योगों के लिए भारत शासन की अभिस्वीकृति तथा उत्पादन प्रमाण–पत्र । प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति।

4. गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुये व्यय संबंधी वाउचर्स/दस्तावेजों का विवरण जो किये गये व्यय की पुष्टि करते हों। (प्रमाणित प्रतियों सहित)।
5. संस्थान की मान्यता विषयक प्रमाणीकरण।
6. चार्टर्ड एकाउंटेन्ड का प्रमाण–पत्र।

योजना अन्तर्गत प्रतिपूर्ति की राशि के पूर्व महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा आवंटन उपलब्ध होने की स्थिति में किया जावेगा।

❖ **रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिये निधार्रित समय सीमा :–** गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्ति के अधिकतम 1 वर्ष के अन्दर इकाई को प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना अनिवार्य होगा।

❖ **आवेदन शुल्क :–** कुछ नहीं।

❖ **आवेदन पत्र का प्रारूप :–**

❖ **संलग्नों की सूची :–**

1. आवेदन–पत्र।
2. अस्थाई/स्थाई लघु उद्योग पंजीयन।
3. वृहद मध्यम उद्योगों के लिए भारत शासन की अभिस्वीकृति तथा उत्पादन प्रमाण–पत्र । प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति।
4. गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुये व्यय संबंधी वाउचर्स/दस्तावेजों का विवरण जो किये गये व्यय की पुष्टि करते हों। (प्रमाणित प्रतियों सहित)।
5. संस्थान की मान्यता विषयक प्रमाणीकरण।
6. चार्टर्ड एकाउंटेन्ड का प्रमाण–पत्र।

❖ **संलग्नों का प्रारूप :–** कुछ नहीं।

❖ **प्राप्तिकर्ताओं की सूची (निम्न प्रारूप पर) :–**

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	प्राप्किर्ता का नाम	वैधता किस दिनांक तक है	वल्दियत	निवास का पता
1	निल	निल	निल	निल

टीपः इस योजना अन्तर्गत विगत 5 वर्षो में किसी भी इकाई द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु माह प्रस्तुत नही की गई है।

5. मध्यप्रदेश उद्योग (शेड,प्लाट एवं भूमि आवंटन) नियम 1974 (दिनांक 01.07.1999 तक संशोधित)

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ :–

(अ) ये नियम मध्य प्रदेश उद्योग (शेड, प्लाट एवं भूमि आवंटन) नियम 1974 कहलायेगें।

(ब) सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य पर ये नियम विस्तारित किये जायेगें।

(स) ये नियम तत्काल प्रभाव से प्रभावशाली होगें।

2. परिभाषायें :–

जब तक कि प्रसंग से अन्यथा वांछनीय नहीं हो :–

1. भवन के तात्पर्य औद्योगिक क्षेत्र/संस्थान, अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान एवं ग्रामीण कर्मशाला में निर्मित शेड्से एवं गोदामों को सम्मिलित करते हुये शासन के स्वामित्व के किसी भी भवन से होगा।

2. भूमि से तात्पर्य उद्योग विभाग के स्वामित्व/आधिपत्य में औद्योगिक तथा इसके सहायक प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध विकसित एवं अविकसित भूमि से हैं। प्लाट का तात्पर्य उस क्षेत्र के लिए नगर एवं ग्राम निवेश संचालनालय द्वाा अनुमोंदित अभिन्यास में दिये गये प्लाटों से है।

3. आवंटन अधिकारी से तात्पर्य।

(अ) विलोपित

(ब) अपने क्षेत्राधिकार में औद्योगिक संस्थान, अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान में निर्मित सभी भवनों, ग्रामीण कर्मशालाओं, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक संस्थान, अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान एवं कर्मशालाओं में प्रत्येक प्रकरण में 5 एकड़ तक भूमि हेतु मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला उद्याग एवं व्यापार केन्द्र।

(स) विलोपित

(द) 5 एकड़ से अधिक के अन्य प्रकरणों में जिला योजना समिति। (मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के आदेश क्रमांक–एफ–15/60/90/11/डी, दिनांक 30–03–1999 से आदेश से भाग – (अ) और (स) विलोपित तथा भाग (ब) और (द) को संशोधित किया गया है)।

4. शासन से तात्पर्य मध्य प्रदेश शासन का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग है।

5. संचालनालय से तात्पर्य मध्य प्रदेश का उद्योग संचालनालय एवं उसके अधीन कार्यालयों से है।

6. शिक्षित बेरोजगार से तात्पर्य उन आवेदकों से होगा जो समय–समय पर राज्य शासन द्वारा अनुमोदित परिभाषा के अर्न्तगत आते हों।

7. जिला योजना समिति से तात्पर्य मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 के अन्तर्गत गठित जिला योजना समिति से है। (आदेश क्रमांक–15/60/90/11/डी, दिनांक 01–04–1999 से क्रमांक–7 जोड़ा गया)।

3. आवंटन हेतु पात्रता :–

1. संचालनालय में लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत कोई भी इकाई अथवा तकनीकी विकास महानिदेशक भारत शासन से पंजीकृत किसी इकाई अथवा भारत शासन से औद्योगिक विकास एवं नियमन एक्ट 1951 के अन्तर्गत आशय पत्र/अनुज्ञा पत्र प्राप्त आवेदन इकाई या औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एम.) प्रस्तुत करने वाले आवेदक को उद्योग सीापनार्थ अथवा स्थपित इकाई के विस्तार हेतु भूमि अथवा भवन आवंटन हेतु विचार किया जायेगा।

2. राज्य में औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक संस्थान/अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान/ग्रामीण कर्मशाला में आवंटन पात्रता से किसी उद्योग अथवा उद्योग के वर्गो को संचित करने का अधिकार राज्य शासन सुरक्षित रखता है।

3. अपरम्परागत विद्युत संयंत्रों का यदि उर्जा विकास निगम का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होता है तो वे संयंत्र भूमि आवंटन की पात्रता रखगे।
(आदेश दिनांक 01–01–1999 से जोड़ा गया)।

4. नीलामी हेतु भूमि/भवन का आरक्षण :–

1. राज्य शासन किसी भी स्थान पर कोई भूमि/भवन का आरक्षण पट्टेधारी अधिकारों के अन्तर्गत नीलामी द्वारा कर सकेगा।

2. जिला योजना समिति, औद्योगिक क्षेत्र संस्थानों में निजी क्षेत्र के माध्यम से शेड़ों का काम्पलेक्स बनाये जाने हेतु भूमि आरक्षित कर सकेगी।
(आदेश दिनांक 01–01–1999 से जोड़ा गया)।

5. आवंटन में प्राथमिकतायें :–

1. राज्य शासन द्वारा घोंषित प्राथमिकता वाले उद्योगों को भूमि/भवन आवंटन हेतु किसी भी भूमि/भवन को आरक्षित रख सकेगा।

2. स्थापित कार्यरत उद्योगों को विस्तार से चाही गई भूमि आसपास उपलब्ध भूमि से प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जा सकेगी।

3. राज्य शासन कतिपय विशेष योजना हेतु भूमि/भवन को आवंटन हेतु आरक्षित कर सकेगा।

4. किसी भी उद्योग हेतु स्थापित उद्योग विस्तार हेतु अथवा किसी भी उद्योग को प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन के राज्य शासन के अंतर्हित अधिकार को इन नियमों के अन्तर्गत किसी कारण से सीमित नहीं किया जायेगा। इस प्रकार आरक्षण उन समस्त शर्तो के आधार पर किया जाएगा जो कि शासन द्वारा प्रकरण के गुणों दोषों के आधार पर लगाई गई हो।

5. उद्योगिक क्षेत्र / संस्थान/विकास केन्द्र/अर्द्धशहरी औद्योगिक संस्थान ग्रामीण कर्मशाला में भूमि/शेड आवंटन की प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

ण शत–प्रतिशत निर्यात आधारित इकाई/निर्यात इकाई अप्रवासी भारतीय की इकाई

णण वृहद एवं मध्यम श्रेणी की इकाई

णणण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमी एवं उनकी सहकारी संस्था।

प्टण शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमी।

टण महिला उद्यमी।

प्राथमिकता अन्तर्गत 50 प्रतिशत आवंटन प्राथमिकता सूची अनुरूप होगा तथा 50 प्रतिशत आवंटन गैर प्राथमिकता सूची के उद्यमियों को होगा।

6. भूमि का परिमाण :–

प्रस्तावित योजना/योजना में प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र से निम्नानुसार भूमि आवंटन की ा सकती है :–

1. निर्मित क्षेत्र 1000 वर्गमीटर तक होने पर निर्मित क्षेत्र के 3 गुना तक भूमि आवंटन किया जा सकेगा।

2. निर्मित क्षेत्र 1000 वर्गमीटर से अधिक होने पर निर्मित क्षेत्र से 2 गुना तक भूमि आवंटन किया जा सकेगा।

उपरोक्त पात्रता से अधिक भूमि की आवश्यकता होने पर आवंटन प्राधिकार द्वारा यदि दो हेक्टेयर तक भूमि आवंटन है तो जिला योजना समिति की पूर्व अनुमति से तथा 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटन है तो राज्य शासन कि पूर्व अनुमति से आवंटन किया जा सकेगा।

(यह आदेश दिनांक 01–04–1999 से नियम 6 प्रतिस्थापित किया गया)

7. आवंटन हेतु आवेदन :–

1. भूमि/भवन आवंटन हेतु समस्त आवेदन पत्र मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जहां की भूमि/भवन स्थित है को निर्धारत प्रारूप में आवेदन पत्र – 1 (ए) अथवा 1 (बी) जो भी लागू हो प्रस्तुत करना होगा।

2. भूमि आवंटन के आवेदन के साथ आवेदक को आवेदन शुल्क के रूप में प्रचलित प्रब्याजि का 25 प्रतिशत आवेदन शुल्क के रूप में जमा करना होगा। आवेदन पत्र एक वर्ष की अवधि के लिये वैद्य होगा। यह अवधि जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में वैद्य आवेदन प्राप्ति होने की स्थिति से मानी जावेगी। आवेदन शुल्क पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(आदेश दिनांक 01–04–1999 से (दो जोड़ा गया)

8. **आवेदनों की निराकरण प्रक्रिया :–**

1. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में वैद्य आवेदन प्राप्त होने पर तत्काल पंजीकृत किया जायेगा। भूमि/भवन उपलब्ध होने पर प्रकरण का परीक्षण कर पात्र आवेदक को 15 दिवस में भूमि/भवन आवंटित/अनुशंसित किया जाएगा।

2. जब तत्काल रूप से कोई भूखण्ड/भवन उपलब्ध न हो तो उस स्थिति में दो प्रकार की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जिसमें से एक प्रतीक्षा सूची प्राथमिकता श्रेणी की होगी तथा दूसरी सामान्य श्रेणी की उद्यमियों की होगी। एकान्तर पद्धति के आधार पर भूमि/भवन का आवंटन प्राथमिकता श्रेणी की इकाई तथा सामान्य श्रेणी के उद्यमियों को होगा। उपरोक्त प्रक्रिया में प्रथम आवंटन प्राथमिकता सूची से किया जायेगा।

3. समस्त आवेदन प्रथमतः एक वर्ष के लिए वैद्य होगे तत्पश्चात् आवेदक की स्वेच्छा से ही उसका नाम प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। तदाशय की सूचना आवेदक द्वारा एक वर्ष की समयावधि समाप्त होने के पूर्व ही संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में देनी होगी। समयवधि में सूचना न देने की फलस्वरूप पूर्व में जमा 25 प्रतिशत प्रब्याजि में से 10 प्रतिशत राशि राजसात कर शेष 15 प्रतिशत राशि आवेदक को वापस कर उसका नाम प्रतीक्षा सूची से हटा दिया जायेगा।

4. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को वैद्य तिथि के उपरान्त आवेदक को 15 प्रतिशत प्रचलित प्रब्याजि वापस करनी होगी अन्यथा वे विलंब हेतु उत्तदायी होगे।

(आदेश दिनांक 01–04–99 से नियम 8 प्रतिस्थापित किया गया)

❖ **(9) निर्णय से सूचित करना :–**

आवंटन प्राधिकारी द्वारा भूमि भवन हेतु पात्र आवेदकों को अनुसूची 2 अनुसार निर्धारित प्रारूप में आशय पत्र जारी किया जाएगा।

❖ **10. आवेदन द्वारा सहमति सूचित करना :–**

1. आशय पत्र प्राप्त होने के एक माह के अंदर आवेदक को चालान के माध्यम से एक वर्ष का भू–भाटक तथा प्रब्याजि जम करनी होगी। अन्यथा उसका आशय पत्र निरस्त मानते हुए आवेदक द्वारा पूर्व में जमा की गयी आवेदन शुल्क की राशि राजसात कर ली जावेगी।
2. आवेदक को आशय पत्र प्राप्ति के छः माह अन्दर इकाई वित्त पोषित होने पर उसके द्वारा किस प्रकार से राशि प्राप्त की जाएगी के अभिलेख सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा अथवा इकाई स्ववित्त पोषित होने की दशा में परियोजना अनुसार स्थाई पूंजी वेष्ठन के 50 प्रतिशत के बराबर बैंक से सावधि जमा रसीद तैयार कराना होगा। जो महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के पास बंधक होगी अन्यथा उसके द्वारा जमा की गई राशि राजसात की जाएगी।
3. विशिष्टि भू–खण्ड/भवन क्रमांक अंकित कर आशय पत्र जारी किया जाएगा।

(आदेश दिनांक 01–01–99 से नियम 210 प्रतिस्थापित किया गया)

11. आवंटन आदेश जारी करना तथा आधित्पय प्राप्त करना

1. आवेदक द्वारा आशय पत्र की शर्तो की पूर्ति के उपरान्त 30 दिवस के अंदर मुख्यमहाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र आवंटन आदेश जारी करेगा ।
2. आवेदक निम्न शर्तो की पूर्ति करे अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके द्वारा जमा की गई राशि राजसात कि जाऐगी ।

(अ) 15 दिवस के अन्दर तीन वर्ष के बराबर भू–भाटक प्रत्याभूति के रूप में जमा करें तथा भवन के प्रकरण में एक वर्ष का किराया जमा करें ।

(ब) भूमि अधिपत्य के पूर्व 30 दिबस के अंदर पट्टाभिलेख निष्पादित कर पंजीकृत करायें ।

(स) 'अ' एवं 'ब' कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात 7 दिबस के अन्द भूमि का अधिपत्य प्राप्त करें ।

(आदेश दिनांक 1.4.99 से नियम – 11 प्रतिस्थापित किया गया)

12. स्थानीय रोजगार

1. उद्योग विशेष अथवा उद्योगो हेतु अर्जित की गई भूमि से प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को संबंधित उद्योगो में नियोजित करना अनिवार्य होना ।

2. उद्योग आयुक्त अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा अर्जित की गई भूमि के संबध में एक योजना बनाई गई जिसमें अर्जित भूमि से प्रभात परिवारो की सूची (अधिग्रहित की गई भूमि की मात्रा अनुसार वरिष्टता देकर) तैयार की जा कर कुल प्रभावित परिवारो की संख्या निकाली जाएगी ।

3. शुद्ध आवंटन योग्य भूमि में प्रभावित परिवारोकी संख्या काभाग देकर प्रति हैक्टेर प्रभावित परिवारो की की संख्या निकाली जाएगी ।

4. इस प्रकार निकाली गई प्रति हैक्टेरा प्रभावित परिवारो की संख्या में उद्योग विशेष केा आंवटन भूमि के अनुपात मे प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को योग्यता अनुरूप एवं उद्योग विशष के पदो को ध्यान में रख कर भूमि आवंटन से एक वर्ष की अवधि में संबंधित उद्योगो द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा ।

5. इस हेतु उद्योग आयुक्त द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रभावित परिवारो की संख्या एवं प्रभावित परिवारो की सूची संबंधित उद्योग को रोजगार देने हेतु प्रदान की जाएंगी ।

6. उप नियम एक एवं सहपठित उप नियम 6 में वर्णित सूची अनुसार प्रभावित परिवारो के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने हेतु आवंटी बाध्य होगा ।

13. आशय पत्र अथवा आंटन आदेश का निरस्तीकरण

निर्धारित समयावधि में आशय पत्र की शर्तो का कियान्वयन नहीं होने पर आशय पत्र निरस्त किया जाएगा। आवंटन आदेश की शर्तो की पूर्ति न होने पर आंवटन आदेश निरस्त किया जाएगा।

(आदेश दिनांक 1.4.99 से नियम 13 प्रतिस्थापित किया गया।)

14 कार्यकम का कियान्वयन

1. प्रत्येक आवंटी को भूमि के आधिपत्य , ग्रहण करने के दिनांक से परियोजना/योजना कियान्वित करती होगी , इसके साथ–साथ लद्यु उद्योगो के प्रकरण में एक तथा मध्यम एवं वृहद उद्योगो के प्रकरण मं तीन वर्ष की अवधि के भीतर उत्पादन में जाना होगा। भवन के प्रकरण में भी आवंटी को भवन के आधिपत्य ग्रहण करने के दिनांक से परियोजना/योजना कियान्वित करना होगा इसके साथ–साथ लद्यु उद्योगों के प्रकरण में 6 माह में तथा मध्यम एवं वृहद उद्योग के प्रकरण में एक वर्ष के भीतर उत्पादन में जाना होगा।

2. यह समय सीमा व्यतीत हाने के पश्चात् निम्न पूर्ति होने क बाद ही आंबटन प्राधिकारी 6 माह का समय बढ़ा ही आवंटन प्राधिकारी 6 माह समय बढ़ा सकेगा तथा इसके पश्चात पुनः कर 6 माह का समय बढ़ाने का अधिकार पश्चातवर्ती उच्च प्राधिकारी को होगा। इसके पश्चात समय वृद्धि का कोई अधिकार नही होगा :–

क. समयावधि बढ़ाने हेतु विशिष्ट कारण बताना होगा।

ख. आवंटी का दण्ड स्वरूप 50 प्रतिशत देंय होगा।

15. पट्टे की अवधि

सामान्यतः पट्टे की अवधि भूमि के लिये 99 वर्ष तथा भवनो के लिये 30 वर्ष होगी । मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ– 15/60/96/11/डी , दिनांक 13.8.97 से दिनांक से दिनांक 2.7.94 के प्रभाव से नियम 15 जोड़ा गया ।

16 सहायक प्रयोजन हेतु आवंटन

1. औद्योगिक क्षेत्र/संस्थान आदि में कुल आवंटन योग्य भूमि के 20 प्रतिशत से अधिक भूमि उद्योगो से अन्यथा प्रयोजन हेतु आंटित नही कि जा सकेगी । साधारणतः एवं उद्योग स्थापना या उद्योग विस्तार प्रयोजन हेतु भवन/भूमि आवंटन किया जावेगा किन्तु जिला योजना समीति उद्योगो के सहायक प्रयोजन हेतु भी भूमि/भवन आवंटित कर सकेगी। इस नियम के प्रयोजन हेतु उद्योगो के सहायक प्रयोजन का आशय विद्युत उपकेन्द्र पैट्रोल पंप ,डाकघर उद्योग संघ का कार्यालय जल पान गृह औषधालय आवासीय भवनो बैंको एस.टी.डी. बूथ तौल काटा रेल्वे साइडिग ट्रक पार्किग सामुदायिक भवन सभागृह तथा शासन द्वारा समय समय पर घोषित अन्य प्रयोजनो से इस प्रतिबंध के साथ है कि ऐसे प्रतिष्ठान अपने आसपास के उद्योगो की आवश्यकताओ की पूर्ति करते हो। ऐसे भूमि/भवनो पर किराया व प्रब्याजि वाणिज्य दरों से बसूल होगा । वाणिज्य दर का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा ।आगे प्रावधित है कि इन नियमेा में अंतविष्ट कोई भी प्रावधान औद्योगिक प्रयोजन हेतु तत्कालिक रूप से आवश्यक न होने पर निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबंधो केअनुसार अन्य किन्ही प्रयोजनो हेतु भूमि/भवन आवंटन के राज्य शासन के अधिकार से सीमित नही करेगा

2. यदि नगर एवं ग्राम निवेश विभाग अथवा प्रदूषण निवाहरण मंडल केद्वारा पर्यावरण की दृष्टि से किसी औद्योगिक इकाई को वृक्षा रोपण करने के लिये शर्त रखी जाती है।तो उसे उद्योगो के सहायक प्रयोजन मानते हुए वाणिज्य दरो पर भूमि आंटित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस प्रयोजन हेतु भूमि का आंवटन तब किया जाएगा जबकी इस हेतु निधिभूमि का अधिग्रहण न

करना हो तथा विभाग के पास इस प्रयोजन हेतु भूमि उपलब्ध हो । यदि इकाई द्वारा उक्त भूमि पर भवन आदि का निर्माण किया जाता है। तो उक्त भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

3. औद्योगिक संरचना में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से जिला योजना समिति उद्यमियो/विकास कर्ता को काम्पलेक्स अथवा भवन निर्माण हेतु विकसित भूखंड बृहद एवं मध्यम उद्योग हेतु प्रचिलित प्रवियादी पर आंवटन कर सकेगी । इस हेतु उद्यमि विकास करता तथा मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापर एवं उद्योग केन्द्र के मध्य एक त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादित होगा।

17. प्रब्याजि एवं भू–भाटक की दर

भवनो का किराया , भूमि हेतु प्रब्याजि एवं भू–भाटक वह होगा जो कि शासन द्वारा समय पर निर्धारित किया गया है

18 किराये का भुगतान

1. पट्टेधारी को सम्बद्ध माह का भवन किराया माह प्रारम्भ होने के 10 दिवस के भीतर अग्रिम स्वरूप देना होगा ।
2. किराये का भुगतान अनियमित अथवा विलंब से होने के फलस्वरूप आंवटी को शेष देय किराया राशि पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त दाण्डिक व्याज देना होगा।
3. किराया एवं दाण्डिक व्याज देने में असफल होने पर आंवटी द्वारा आवंटन नियम का उल्लंघन माना जाएगा तथा इसके फलस्वरूप आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

18. ए निर्मित ढ़ाचे में परिवर्तन करने हेतु अनुमति : इकाई के विस्तार हेतु उद्यमी द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित ढांचे जो वैधानिक रूप से सक्षम अधिकारी से अनुमोदित हो तो मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक , जि0 व्या0 एवं उ0 के0 विस्तार की अनुमति दे सकेगा। आदेश दिनांक 1.4.99 से नियम 18 ए जोड़ा गया।

19 अन्तरण

1. भूमि का आंशिक हस्तांतरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
2. कोई आंवटित भवन अथवा भूमि व उस पर निर्मित भवन राज्य अथवा राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से उन प्रतिबंन्धो के अधीन जो कि समय–समय पर राज्य शासन द्वारा आरोपित की जाए के अंतर्गत पुर्वानुमति प्राप्त किए बिना अंतरित अथवा अभिहस्तांकित नहीं करेगा अथवा शिकमी नही देना।

3. हस्तांतरण की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन होगी।

अ. संपूर्ण भूमि तब हस्तांतरित होगी जब मूल आंवटी ने स्थापित उद्योग अंतर्गत परियोजना 25 प्रतिशत व्यय कर दिया हो।

ब. नये आवंटी को 100 प्रतिशत प्रब्याजि जमा करनी होगी तथा प्रचलित दर पर भू–भाटक देना होगा।

स. राज्य शासन की मूल आवंटी से प्राप्त होने वाली समस्त लेनदारियां नये आवंटी को हस्तांतरित होगी।

द. वित्तीय संस्थाओ द्वारा अधिग्रहीत की गयी इकाई किसी अन्य को हस्तांतरण तभी प्रभावशील माना जाए जब वित्तीय संस्थायें अथवा नवीन इकाई राज्य शासन की मूल आवंटी से प्राप्त होने वाली लेनदारी का समायोजन कर दे।

ई. उक्त प्रकरणों में भूमि/भवन के पट्टाधिकार के हस्तांतरण के अधिकार मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जि0 व्या0एवं उ0 के0 को होगें ।

20. बैंक/वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में अभिहस्तांकन

भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त तथा अनुसुचित बैंको के पक्ष में आवंटन प्राधिकारी पट्टेदारी अधिकारों के अभिहस्तांकन की अनुमति दे सकेगा किन्तु राज्य शासन का भार सर्वोपरि रहेगा। इसी प्रकार की व्यवस्था कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4 ए के अंतर्गत घोषित लोक वित्तीय संस्थाएं/राज्य वित्त अधिनियम 1951 के अंतर्गत स्थापित निगम के लिए लागू होगी ।

21. पट्टे का पर्यावसान

1. यदि पट्टेधारी/पट्टाधारियों अथवा उसके अंतरिती अथवा अभिहस्तांकिती द्वारा पट्टाविलेख की किसी भी कंडिका का उल्लंघन किया जाता है।तब आंवटन प्राधिकारी द्वारा लिखित मं पट्टाधिकारियों अथवा उसके/उनके अंतरिती अथवा अभिहस्तांकिती को सूचना पत्र जारी किया जा सकेगा कि यदि वह/वे किए गए उल्लंघन का निराकरण सूचना पत्र जारी होने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर नही करते तो आंवटन प्राधिकारी द्वारा पट्टे का निरस्तीकरण इस प्रतिबन्ध के साथ किया जा सकेगा कि कंडिका के किसी प्रावधान के अंतर्गत राज्य शासन को पट्टाधारियों या उनके अभिहस्तांकिती या अंतरिती के विरूद्ध प्राधिकार या सुधार लागू करने से अन्यथा न रोका गया हो।

2. यदि आवंटी दाण्डिक राशि के रूप में 100 प्रतिशत प्रचलित प्रब्याजि जमा करता है तो आवंटन प्राधिकारी संतुष्ट होने पर एक वर्ष का समय बढ़ा सकता है।

22. अभ्यावेदन (अपील)

मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15/60/11/डी/90 दिनांक 10.3.92 से शेड आवंटन नियम 1974 धारा 22 को विलोपित कर निम्नानुसार धारायें प्रतिस्थापित की गई है :

1. इन नियमों के अंतर्गत सक्षम आंवटन अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश से असंतुष्ट पक्षकार ऐसा आदेश पारित होने के बाद 30 दिवसो की अवधि के भीतर –

   क. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदलन को किया जा सकेगा।

   ख. जिला योजना समिति द्वारा आवंटित/नवीनीकृत/निरस्तीकृत निर्णय के विरूद्ध अभ्यावेदन जिला योजना समिति को प्रस्तुत किया जा सकेगा।

   ग. आवेदन को अभ्यावेदन का मौका केवल एक बार प्राप्त होगा।

2. भूमि/भवन आवंटन नियम , 1974 के पूर्व आवंटित भूमि/भवन के नवीनीकरण/निरस्तीकरण का अधिकार राज्य शासन तथा जिला योजना समिति को होगा।

धारा 22 अ – स्वप्रेरणा से निर्णय की समीक्षा

इन नियमो में किसी विपरीत बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी :

राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग या जिला योजना समिति किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे उचित समझें परन्तु वर्तमान पट्टाविलेख को निरस्त करने या उसमें परिवर्तन के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का मौका देना आवश्यक होगा।

(आदेश दिनांक 1.4.99 से जोड़ा गया।)

....

जिला व्यापार उद्योग केन्द्र, सागर

भूमि शेड विषयक विभिन्न प्रकरणों की चेक लिस्ट

चेक लिस्ट भूमि/शेड आवंटन

1) आवेदन-पत्र निर्धारित आवेदन-पत्र में प्रस्तुत करना है ।

2) आवेदन-पत्र के समस्त कॉलम भरना आवश्यक है ।

3) आवेदन-पत्र के संलग्न निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक है:-

   1. प्रस्तावित इकाई का पूर्ण परियोजना प्रतिवेदन ।

   2. इकाई का प्रस्तावित पंजीयन/स्थाई पंजीयन/आई.ई.एम. की छायाप्रति ।

   3. ले-आऊट प्लान ।

4) मांगी गई भूमि के लिये लागू प्रब्याजि रू. 0.77 प्रति वर्ग फीट की दर की 25 प्रतिशत चालान से जमा कर चालान की मूल प्रति ।

5) भागीदारी इकाई होने के संबंध में भागीदारी डीड ।

6) कम्पनी होने के संबंध में मेमोरण्डम एवं आर्टिकल की प्रति । एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेसूलेसन की प्रति ।

आवेदन-पत्र 1 (ए)

औद्योगिक क्षेत्र में भूमि या औद्योगिक संस्थान/अर्द्ध शहरी औद्योगिक संस्थान/ग्रामीण कर्मशाला में भूमि/भवन का आवंटन (स्वामित्विक उद्योग हेतु)

1. आवेदक का पूरा नाम
2. आवेदक के पिता का पूरा नाम
3. आवेदक की आयु
4. आवेदक का पूरा पता (साफ अक्षरों में तहसील/जिले के नाम के साथ)
5. आवेदक का वर्तमान व्यवसाय
6. अ) उद्योग का नाम

   ब) उद्योग के प्रकार का कृपया विस्तृत विवरण दिया जाय । यह भी निर्दिष्ट करें कि उद्योग किस श्रेणी में आता है:

1. निर्माण
2. मरम्मत
3. प्रसंस्करण
4. संरक्षण
5. अन्य श्रेणी

7. उद्योग हेतु चयनित स्थल (क्या नवीन इकाई है अथवा क्या विद्यमान कार्यरत इकाई है तो समीपस्थ स्थल के बारे में विवरण दें)
8. उद्योग द्वारा निर्मित किये जाने वाले उत्पाद और प्रत्येक उत्पाद की वार्षिक क्षमता दें (कृपया उल्लेखित करें)
9. आवेदक को शामिल करें (इकाई में) सेवा-योजित होने वाले कुल कर्मचारी
10. निवेशित की जोन वाली पूंजी का विवरण, शेड/भवन, मशीनरी एवं उपकरण के मूल्य, कार्यशील पूंजी आदि के लिए पृथक से:

(अ)	भूमि	रूपये
(ब)	भवन	रूपये
(स)	संयंत्र की मशीनरी तथा उपकरण	रूपये
(द)	पूर्व परिचालन एवं अन्य स्थाई परिसम्पत्तियां	रूपये
	कुल स्थाई परिसम्पत्तियां	रूपये
(इ)	कार्यशील पूंजी (तीन माह हेतु)	रूपये
	कुल योग	रूपये

11. निवेशित की जाने वाली (नवीन इकाई/विस्तारित)

(अ) आवेदक द्वारा — रूपये

(ब) अन्य स्त्रोतों के द्वारा — रूपये

कुल योग — रूपये

12. अ) यदि लघु स्तर की इकाई है तो उद्योग विभाग पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक दें। प्रमाणित प्रतिलिपि और योजना की प्रतिलिपि भी संलग्न करें।

ब) यदि वृहद एवं मध्यम इकाई है तो तकनीकी विकास महानिदेशक भारत शासन के साथ हुए पंजीयन, भारत शासन से प्राप्त आशय पत्र/अनुज्ञापत्र/भारत शासन के साथ फाइल किये गये औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई,इ,एम) की प्रमाणित प्रतिलिपि दें ।

13. इकाई की श्रेणी

(अ) 100 प्रतिशत निर्यात आधारित/निर्यातक/अप्रवासी भारतीय इकाई

(ब) वृहद और मध्यम श्रेणी की इकाई

(स) अनुसूचित जाति/जनजाति या उनकी सहकारी के द्वारा स्थापित की जाने वाली इकाई

(द) शारीरिक रूप से नि:शक्त (विकलांग) उद्यमी

(इ) महिला उद्यमी

(फ) उक्त में से कोई नहीं

14. विद्युत शक्ति की आवश्यकता (कि,वा/मे,वा, में)

15. पानी की आवश्यकता (किलो लीटर प्रतिदिन अनुसार कृपया अंकित करें)

16. भूमि की आवश्यकता वर्गफीट/वर्गमीटर
(अभिन्यास को कपड़ा-कागज पर दें)

17. प्रस्तावित आच्छादित/शेड क्षेत्र का विस्तृत माप विवरण

(अ) कारखाने का शेड — वर्गफीट/वर्गमीटर

(ब) गोदाम (भण्डार गृह) — वर्गफीट/वर्गमीटर

(स) कार्यालय — वर्गफीट/वर्गमीटर

(द) अन्य (निर्दिष्ट करें) — वर्गफीट/वर्गमीटर

कुल — वर्गफीट/वर्गमीटर

घोषणा

1. मै .... एतद् द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता/करती हूं कि आवेदन में प्रस्तुत किये गये उपरोक्त विवरण जहां तक मैं जानता/जानती हूं और मानता/मानती हूं सत्य है ।

2. मै .... एतद् द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता/करती हूं कि मैंने म.प्र. उद्योग (शेड/प्लॉट, भूमि आवंटन) नियम 1974 जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, का पढ़ा है और उसका पूरा ज्ञान है तथा मैं उक्त नियमों का पूर्ण पालन करूंगा/करूंगी ।

3. मै .... सभी सम्बद्ध विभागों/प्राधिकारियों से सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सहमति इकाई प्रारंभ करने से पूर्व विधि/वैधानिक निकायों द्वारा समय-समय पर चाहेनुसार प्राप्त करूंगा/करूंगी ।

4. मै .... ने रूपये .... (रूपये ....) आवेदन शुल्क स्वरूप जमा किया है ।

   अवलोकन करें चालान क्रमांक .... दिनांक .... (प्रतिलिपि संलग्न) बैंक/ट्रेजरी का नाम ....

स्थान:

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदन पत्र 1 (वी)

औद्योगिक क्षेत्र में भूमि का आवंटन और औद्योगिक संस्थान/अर्द्ध-शहरी औद्योगिक संस्थान/ग्रामीण कर्मशाला में शेड/भूमि का आबंटन (साझेदार फर्म अथवा सहकारी समिति अथवा सार्वजनिक/निजी मर्यादित कंपनी हेतु)

1. आवेदक उद्योग का पूरा नाम (फर्म या कम्पनी का नाम)

2. (अ) आवेदक का पूरा नाम/पता (सम्बद्ध तहसील/जिले के नाम के साथ)

   (ब) आवेदक का फर्म/कंपनी में स्थान (कृप्या विधिवतरूप से पंजीकृत न्यायिक अधिकार पत्र (मुख्तारनामा) या मंडल प्रस्ताव की प्रतिलिपि उपलब्ध कराये)

3. यदि आवेदक एक साक्षेदार व्यवसायिक फर्म/मर्यादित कंपनी है तो निम्न जानकारी

साझेदारों/संचालकों के नाम	पिता/पति का नाम	पूरा पता	प्रत्येक साझेदार/संचालक का वर्तमान व्यवसाय
1.	2.	3.	4.
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

फर्म के साझेदार/ संचालक की आयु	प्रत्येक साझेदार/ संचालक का अंश	प्रत्येक साझेदार/ संचालक द्वारा निवेशित की जाने वाली पूंजी	यदि साझेदार/संचालक एक दूसरे के संबंधी है तो विवरण दे
5.	6.	7.	8.
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

4. उल्लेख करें कि साझेदार व्यावसायिक फर्म का भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन हुआ है या नहीं। यदि हां तो पंजीयन क्रं. आदि. का उल्लेख करें और पंजीयन प्रमाण पत्र की एक प्रतिलिपि भी संलग्न करें।

5. उल्लेख करें कि साझेदारी विलेख का लेख्यकरण हुआ है या नहीं यदि है तो इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें उल्लेख करें कि साझेदरी विलेख का पंजीयन हुआ है या नहीं यदि है तो पंजीयन क्रं. आदि.

6. अ) कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कंपनी का पंजीयन क्रं. व दि. दें पंजीयन पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें यदि सहकारी समिति है तो पंजीयन प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि जमा करें।

7. आवेदक उद्योग की श्रेणी का कृप्या विस्तृत विवरण दें यह भी निर्दिष्ट करें कि उद्योग किस श्रेणी में आता है:

   (1) निर्माण

   (2) मरम्मत

   (3) प्रसंस्करण

   (4) संरक्षण

   (5) अन्य श्रेणी

8. उद्योग हेतु चयनित स्थल (क्या नवीन इकाई है अथवा क्या) विद्यमान/कार्यरत इकाई है तो समीपस्थ स्थल के बारे में विवरण दें।

9. उद्योग द्वारा निर्मित किये जाने वाले उत्पाद और प्रत्येक उत्पाद की वार्षिक क्षमता कृप्या उल्लेखित करें।

10. उद्योग में सेवायोजित होने वाले कर्मचारियों की संख्या

11. उद्योग में निवेशित की जाने वाली पूंजी का विवरण - शेड, मशीनरी एवं उपकरण के मूल्य कार्यशील पूंजी आदि के लिए पृथक से :

(अ)	भूमि	रूपये
(ब)	भवन	रूपये
(स)	संयंत्र की मशीनरी/उपकरण	रूपये
(द)	पूर्व परिचालन एवं अन्य स्थाई परिसम्पत्तियां	रूपये
	कुल स्थाई परिसम्पत्तियां	रूपये
(इ)	कार्यशील पूंजी (तीन माह हेतु)	रूपये
	कुल योग	रूपये

12. निवेशित की जाने वाली राशि (नवीन इकाई/विस्तारित इकाई)

अ)	आवेदक द्वारा	रूपये
ब)	अन्य स्त्रोतों द्वारा	रूपये
स)	कुल योग	रूपये

13. यदि लघु स्तर की इकाई है तो उद्योग विभाग में पंजीयन का क्र. वदि. पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ दें यदि मध्यम या वृहद स्तर की इकाई है तो तकनीकी विकास महानिदेशक, भारत शासन के साथ हुए पंजीयन क्रं. वदि./भारत शासन का आश्य पत्र/अनुज्ञापत्र/भारत शासन के साथ फाईल किये गये औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एम.) की प्रमाणित प्रतिलिपि दें ।

14. इकाई की श्रेणी:
    - (अ) 100 प्रतिशत निर्यात आधारित/निर्यातक/अप्रवासी भारतीय इकाई
    - (ब) अनुसूचित जाति/जनजाति उनकी सहकारी समिति के द्वारा स्थापित की जाने वाली इकाई
    - (स) वृहद और मध्यम इकाई
    - (द) शारीरिक रूप से नि:शक्त (विकलांग) उद्यमी
    - (इ) महिला उद्यमी
    - (फ) उक्त में से कोई नहीं

15. अनुमोदित योजना / परियोजना रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि दें।

16. विद्युत शक्ति की आवश्यकता (कि.वा./मे.वा.मे)

17. पानी कीआवश्यकता (किलोमीटर प्रतिदिन अनुसार कृप्या अंकित करें)

18. भूमि की आवश्यकता .... वर्गमीटर/वर्गफीट (अभिन्यास को कपड़ा कागज पर दें)

19. प्रस्तावित आच्छादित/शेड क्षेत्र का विस्तृत माप विवरण:

अ)	कारखाने का शेड	वर्गफीट/वर्गमीटर
ब)	गोदाम	वर्गफीट/वर्गमीटर
स)	कार्यालय	वर्गफीट/वर्गमीटर
द)	अन्य (निर्दिष्ट करे)	वर्गफीट/वर्गमीटर
	कुल	वर्गफीट/वर्गमीटर

घोषणा

1. मैं/हम .... एतद् द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता/करती हूं/करते है कि आवेदन में प्रस्तुत किये गये उपरोक्त विवरण जहां तक मैं/हम जानता हूं/जानती हूं/जानते है/मानता हूं/मानती हूं/मानते है सत्य है ।

2. मैं/हम .... एतद् द्वारा सत्यनिष्ठा में पुष्टि करता हूं/करती हूं/करते है कि मैंने/हमने म.प्र. उद्योग (शेड/प्लाट भूमि आवंटन) नियम 1974 जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, को पढ़ा है और उसका पूरा ज्ञान है तथा मैं/हम उक्त नियमों का पूर्ण पालन करूंगा/करूंगी/करेंगे ।

3. मैं/हम .... सभी सम्बद्ध विभागों/प्राधिकारियों से सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सहमति इकाई प्रारंभ करने से पूर्व विधि/वैधानिक निकायो द्वारा समय-समय पर चाहेनुसार प्राप्त करूंगा/करूंगी/करेंगे ।

4. मैं/हम .... ने रूपये .... (रूपये ....) आवेदन शुल्क स्वरूप जमा किया है। अवलोकन करें चालान क्रमांक .... दिनांक .... (प्रतिलिपि संलग्न) बैंक/ट्रेजरी का नाम ....

स्थान

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारुप 2

आशय पत्र

क्रमांक .... दिनांक ....

प्रति,

मेर्सस ....

....

....

विषय : औद्योगिक क्षेत्र/ संस्थान में भूमि/ भवन का आवंटन संबंधी आशय पत्र

संदर्भ : जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .... में प्रस्तुत किया गया आपका आवेदन क्रमांक .... दिनांक ....

महोदय / महोदया

आपके संदर्भित आवेदन के संदर्भ में आपको .... औद्योगिक क्षेत्र / संस्थान में .... क्षेत्रफल का प्लाट / शेड क्रमांक .... आवंटित करना प्रस्तावित है, जो विशेषत: इस प्रकार वर्णित है :-

1. इस आदेश के पावती दिनांक से एक माह के भीतर आप कुल जमा राशि रुपये .... मात्र की प्रब्याजि और एक वर्ष का पट्टा किराया रुपये ....मात्र ट्रेजरी चालान के द्वारा जो नीचे दर्शाए गए निर्दिष्ट फर्मा और लेखा शीर्ष के अनुरुप तैयार किया गया है, जमा करेंगे।
   लेखा शीर्ष ....
2. इस आशय पत्र के पावती दिनांक से छह माह के भीतर आप इकाई के वित्त पोषण हेतु अपने द्वारा किए गए सुनिश्चित व्यवस्थाओं का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। वित्त पोषण हेतु किये गए सुनिश्चित व्यवस्थाओं का प्रमाण इस प्रकार हो सकता है -
   (i) वित्तीय संस्थाओं से स्वीकृति पत्र
   (ii) यदि इकाई स्ववित्त पोषित है, तो इनका प्रमाण
   (अ) स्थायी परिसम्पतियों के रुप में अनुमानित वेष्ठन का 50 प्रतिशत किसी बैंक के साथ सावधि जमा में .... अवधि हेतु जमा राशि की सावधि जमा रसीद को महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के पास बंधक स्वरुप रखा जाएगा। इकाई के अनुमानित स्थाई परिसम्पतियों का 50 प्रतिशत वेष्ठित किया है, इसका सत्यापन प्राप्त करने के 10 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित महाप्रबंधक सावधि जमा की रसीद विमुक्त करेगा।
   (ब) परिसम्पतियों का प्रमाण जो परियोजना लागत को पूरा कर सकते हों।
   (स) आवंटन अधिकारी की पूर्ण संतुष्टि योग्य अन्य कोई प्रमाण
3. आशय पत्र की पावती के एक माह के भीतर उपरोक्त भूमि के लिए अपनी सहमति प्रारुप 3 में दें।
4. ....
5. ....

यदि आप आशय पत्र की प्राप्ति से ऊपर निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर शर्त क्रमांक (1) और (2) को पूरा करने में चूकते हैं, तो आशय पत्र स्वमेव निरस्त माना जाएगा और आपके द्वारा जमा की गई पट्टा किराया सहित प्रब्याजि का .... प्रतिशत राशि राजसात की जाएगी। विभाग द्वारा कोई और दावा मान्य नहीं होगा।

संलग्न: सहमति प्रारुप 3

मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
जिला ....

प्रारुप 3

सहमति पत्र

आशय पत्र के द्वारा आवंटन अधिकारी द्वारा सूचित किए गए प्लाट / शेड के प्रस्तावित आवंटन को स्वीकार करने हेतु सहमति प्रारुप

मैं / हम आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी .... इसके आगे आवेदक से सम्बोधित (जिसमें उनके / उनकी वारिस, उत्तराधिकारी, साझेदार, संचालक समाहित होंगे) को आवंटन अधिकारी ने पट्टा देना स्वीकार किया हैं, जो पट्टा विलेख जिसे निर्दिष्ट भूमि / शेड क्रमांक ....,............ सेक्टर में, लगभग .... क्षेत्र के, ... औद्योगिक क्षेत्र / संस्थान .... में स्थित हैं, जो विशेष रुप से एतदधीन अनुसूची में तथा और स्पष्टीकरण हेतु एतद् संलग्न अभिन्यास में चित्रित है एवं उस पर दर्शाए गए परिसीमाएं लाल रंग में हैं (इससे आगे "उक्त परिसर") का लेख्यकरण किया जाना हैं, को उद्योग स्थापना हेतु और / या .... के उद्देश्य हेतु / के निर्माण हेतु आवेदक को भूमि / शेड का स्वामित्व देने के दिनांक से 99/30 वर्ष की अवधि के लिए उक्त पट्टा विलेख के शर्तो व प्रतिबंधों के बशर्ते होगा।

और जबकि मैं / हम .... मेसर्स .... की ओर से इसके स्वामी / साझेदार / निदेशक के रुप में आशय पत्र क्रमांक .... दिनांक .... और मध्यप्रदेश उद्योग (शेड, प्लॉट और भूमि आवंटन) नियम 1974, समय-समय पर यथा संशोधित, के शर्तो और प्रतिबंधों का करुंगा / करेंगे।

आवेदक,

प्लाट / शेड के आवंटन हेतु आशय पत्र का धारक

दिनांक ....

प्रारुप 4
आवंटन आदेश

क्रमांक .... दिनांक ....
प्रति,

मेर्सस ....
....
....

विषय : औद्योगिक क्षेत्र/ संस्थान में भूमि/ शेड का आवंटन
संदर्भ : आशय पत्र क्रमांक .... दिनांक .... और आपकी सहमति दिनांक ....

महोदय / महोदया

उपरोक्त आशय पत्र के संदर्भ में आपने रुपये .... मात्र का निर्दिष्ट प्रब्याजि चालान क्रमांक .... दिनांक से .... जमा किया है, साथ में आपने अपेक्षित एक वर्ष / एक माह का अग्रिम किराया भी जमा किया है और आशय पत्र क्रमांक .... दिनांक .... में उल्लेखित अन्य शर्तो को भी पूरा करने पर आपको एतद् द्वारा .... एकड़ भूमि / शेड क्रमांक ....माप का .... (संलग्न दस्तावेजों में अतिविशिष्ट रुप से वर्णित) आवंटन आपके द्वारा सहमत शर्तो व प्रतिबन्धों पर किया जा रहा है।

अनुरोध है कि आप :

(1) आवंटन आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर भूमि के तीन वर्ष के वार्षिक किराये / शेड के एक वर्ष के वार्षिक किराए के समतुल्य राशि रुपये .... मात्र प्रत्याभूति जमा स्वरुप जमा करें।
(2) आवंटन आदेश के पावती के 30 दिनों के भीतर पट्टा विलेख का विलेख्यकरण और पंजीयन करायें।
(3) उपरोक्त (1) और (2) के पूर्ण होने के सात दिनों के भीतर भूमि / शेड का आधिपत्य ग्रहण करें।
(4) ध्यान रखें कि यदि आप उपरोक्त दर्शाए गए निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपरोक्त शर्तो (1) (2) और (3) को पूरा करने में असफल होते हैं, तो आवंटन आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा और आपके द्वारा जमा पट्टा किराया व प्रत्याभूति जमा सहित प्रब्याजि राजसात माना जाएगा तथा विभाग द्वारा इसके आगे कोई और दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

संलग्नः पट्टाविलेख का प्रारुप (अनुसूची-5)

मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
जिला ....

अनुसूची पाँच

(दिनांक 01.04.99 से यथा संशोधित)

(औद्योगिक क्षेत्र/संस्थान में भूमि और औद्योगिक संस्थान में भवन/शेड दोनों के लिए समान पट्टाभिलेख का संशोधित प्रपत्र)

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ट) इस विलेख को वर्ष .... के माह .... के .... दिन एक पक्ष में मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जो .... के माध्यम से (जो इसके आगे "पट्टादाता" कहलायेंगे और जहां संदर्भ में स्वीकार्य हो, उनके पद का उत्तराधिकारी इस अभिव्यक्ति में समाहित होगा) और दूसरे पक्ष में मेसर्स .... जो श्री/श्रीमती/सुश्री .... आत्मज/आत्मजा श्री .... के माध्यम से .... में पंजीकृत कार्यालय (जो इसके आगे "पट्टाग्रहीता" कहलाएगा और जहां संदर्भ में स्वीकार्य हो उनके उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों तथा अनुमत अंतरीती इस अभिव्यक्ति में समाहित होंगे) के मध्य निष्पादित किया गया है ।

✸(भूमि हेतु) चूंकि पट्टाग्रहीता के निवेदन पर पट्टादाता ने पट्टाग्रहीता को, इसके आगे निर्दिष्ट शर्तो और प्रतिबंधों के अध्यधीन .... औद्योगिक क्षेत्र/संस्थान में स्थित भूमि के उस भाग को, जिसका क्षेत्रफल लगभग .... वर्गमीटर या इसके समतुल्य है, जो .... ग्राम/शहर में .... तहसील में ... . जिले में अवस्थित है, जो इसमें संलग्न अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित है तथा और स्पष्टीकरण हेतु एतद् संलग्न अभिन्यास में चित्रित है एवं जिसे लाल रंग की परिसीमाओं के साथ दर्शाया गया है (इसके आगे "उक्त भूमि" से निर्दिष्ट) को **निन्यानवे वर्ष** की समयावधि जो (दिनांक) .... से आरंभ होकर (दिनांक) .... को समाप्त होगी, जिसे इस उद्देश्य हेतु कि उस पर कारखानों का निर्माण और स्थापना, ... के उत्पादन के लिए और उसके सहायक उद्देश्य

के लिए किया जाएगा (इसके आगे "उक्त व्यवसाय" से निर्दिष्ट) को पट्टे पर देने के लिए सहमत है ।

✸(भवन हेतु)

चूंकि पट्टाग्रहीता के निवेदन पर पट्टादाता ने पट्टाग्रहीता को, इसमें अंतर्विष्ट शर्तो और प्रतिबंधों के अध्यधीन, उस भूमि के भूखण्ड को, जो .... औद्योगिक संस्थान/क्षेत्र में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग .... वर्ग मीटर है, उस पर निर्मित भवन सहित, जिसका भवन क्रमांक .... है, जो इसमें संलग्न अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित है तथा और स्पष्टीकरण हेतु एतद् संलग्न अभिन्यास में चित्रित है एवं जिस पर लाल रंग की परिसीमाओं के साथ दर्शाया गया है (इसके आगे "उक्त परिसर" से निर्दिष्ट) को .... उद्देश्य हेतु पट्टाग्रहीता को इसका आधिपत्य देने के दिनांक से **तीस वर्ष** की समयावधि हेतु पट्टा देने के लिए सहमत है ।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ)

और चूँकि पट्टाग्रहीता उक्त शर्तो और प्रतिबंधों के अधीन पट्टा ग्रहण करने हेतु सहमत है । अब, इसलिए, यह विलेख साक्षी है और यह एतद् द्वारा निम्नानुसार सहमत और घोषित है:

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ)

1. प्रब्याजि और भू-भाटक (भूमि हेतु) और किराया (परिसर हेतु) जो इसमें आरक्षित है एवं पट्टाग्रहीता के पक्ष में यहाँ समाहित संविदा के दृष्टिगत, पट्टादाता पट्टाग्रहीता को भूमि हस्तांतरण करेगा और पट्टाग्रहीता उक्त भूमि / भवन को .... के उद्देश्य हेतु .... वर्ष की अवधि के लिए जो उस दिनांक से जब उक्त भूमि/ परिसर का आधिपत्य पट्टाग्रहीता को दिया गया हो, से प्रारंभ होगा, का पट्टा स्वीकार करेगा ।

✸(भूमि हेतु)

2. पट्टाग्रहीता पट्टादाता को उक्त भूमि हेतु एक वर्ष के लिए अग्रिम भू-भाटक और रूपये .... मात्र का प्रब्याजि, जैसा कि मध्यप्रदेश उद्योग (शेड, प्लाट एवं भूमि के आवंटन) नियम 1974 (इसके बाद से

"उक्त नियम" से निर्दिष्ट) के अध्यधीन निर्धारित है और तीन वर्ष का भू-भाटक प्रत्याभूमि जमा के रूप में, इस विलेख के लेख्यकरण के तीस दिवस के भीतर भुगतान करने के तत्पश्चात् पट्टे की अवधि यावत् पट्टाग्रहीता, पट्टादाता को रूपये .... (रूपये ....) मात्र का वार्षिक भू-भाटक और ऐसी अन्य राशि जो कि एतद्धीन कंडिका 3 के अनुरूप निर्धारित किया गया हो, प्रति वर्ष जनवरी माह के दसवें दिवस या इससे पूर्व, मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के कार्यालय या ऐसे स्थान या स्थानों जैसा कि मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक समय-समय पर निर्देशित करें, में राशि का भुगतान करेगा ।

✸(भवन हेतु)

पट्टाग्रहीता पट्टादाता को उक्त परिसर के लिए, उक्त नियमों के अध्यधीन निर्धारित अग्रिम किराये का भुगतान करने के पश्चात, वह पट्टादाता को उक्त परिसर के लिए एक वर्ष का किराया प्रत्याभूति जमा के रूप में इस विलेख के लेख्यकरण के तीस दिवस के भीतर भुगतान करना । तत्पश्चात पट्टे की अवधि यावत् पट्टाग्रहिता, पट्टादाता को रुपये .... (रूपये ....) मात्र का मासिक किराया प्रत्येक कैलेण्डर माह के दसवें दिवस या इससे पूर्व, मुख्य महाप्रबंधन/महाप्रबंधक के कार्यालय या ऐसे स्थान या स्थानों जैसा कि मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक समय-समय पर निर्देशित करें, में राशि का भुगतान करेगा ।

(भूमि एवं शेड हेतु उभयनिष्ठ)

3. यदि भूमि/परिसर का वार्षिक/मासिक किराया या उसका कोई भी भाग मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा दिनांक निर्धारित करने के पश्चात से एक माह के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो यह किराया 24 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित जमा करना होगा ।

✸(भूमि हेतु)

4. प्रतिवर्ष का भू-भाटक रूपये .... (रूपये ....) मात्र इस विलेख के विलेख्यकरण दिनांक से 10 वर्ष की समाप्ति पर और तदन्तर प्रत्येक 10 वर्षो के अन्तराल पर वृद्धि के अधीन

इस प्रतिबन्ध के साथ है कि यह वृद्धि प्रत्येक अवसर पर पूर्ववर्ती 10 वर्षों के लिए निर्धारित किए गए किराये के एक-चौथाई से अधिक न हो । भू-भाटक के ऊर्ध्व संशोधन के परिणामस्वरूप, पट्टाग्रहीता एतद् द्वारा ऐसी सूचना के तीस दिवस के भीतर प्रतिभूति जमा की अन्तर राशि जमा करने को सहमत है ।

✷(भवन हेतु)

ऊपर कंडिका 2 में उल्लेखित किए गए मासिक किराये का समय-समय पर पुनरीक्षण इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाएगा कि किसी एक समय पर किराये की वृद्धि पुनरीक्षण के समय पर देय किराया से 30 प्रतिशत से अधिक न हो। किराये के ऊर्ध्व संशोधन के परिणामस्वरूप पट्टाग्रहीता एतद् द्वारा ऐसी सूचना के तीस दिवस के भीतर प्रतिभूति की अन्तर राशि जमा करने को सहमत है ।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ)

5. पट्टाग्रहीता समय-समय पर और पट्टे की अवधि यावत् प्रत्येक समय पर सभी कर, दर, निर्धारण और अन्य प्रभार व व्यय उपर्युक्त को छोड़कर, जो इसके बाद किसी समय पर उक्त अवधि यावत् उक्त भूमि/परिसर पर, यदि वह पट्टादाता हो या पट्टाग्रहीता, पर निर्धारित, प्रभारित या अधिरोपित किया जाता है या जा सकता है, का भुगतान एवं निर्वहन करेगा।

✷(भूमि हेतु)

6.(अ) पट्टाग्रहीता एतद् द्वारा सहमत है कि वह भूमि पर अपना अधिपत्य ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर, लघु उद्योग के प्रकरण में, और तीन वर्ष की अवधि के भीतर, मध्यम एवं वृहद उद्योग के प्रकरण में, परियोजना का क्रियान्वयन करेगा और उत्पादन में जाएगा।

(ब) यदि पट्टाग्रहीता ऊपर दिए गए शर्त 6(अ) का अनुपालन करने में असफल होता है तो पट्टाग्रहीता के पास प्रतिविधान है कि वह पट्टादाता से और छह माह के समय की अनुमति स्वीकृत कराये और इसके बाद और छह माह के समय के लिए आवंटन अधिकारी के उच्चतर प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकेगी ।

प्रत्येक अवसर में पट्टाग्रहीता को प्रब्याजि की 50 प्रतिशत राशि दण्ड स्वरूप पट्टादाता को देनी होगी ।

✷(भूमि हेतु) 7. पट्टाग्रहीता एतद् द्वारा स्वीकार करता है कि वह इसके अंतर्गत पट्टे पर प्रदान की गई संपूर्ण भूमि का, परियोजना के क्रियान्वयन के लिए या उसके विस्तारीकरण के लिए, लघु उद्योग के प्रकरण में तीन वर्ष और मध्यम व वृहद उद्योग के प्रकरण में पांच वर्ष की अवधि के भीतर, उपरिलेखित उद्देश्यों हेतु उपयोग करेगा ।

✷(भूमि हेतु) 8. पट्टाग्रहीता यह भी स्वीकार करता है कि उसको पट्टे पर प्रदान की गई संपूर्ण भूमि का यदि वह कंडिका 6 और 7 में निर्धारित की गई अवधि के भीतर उपयोग करने में असमर्थ है, तो पट्टादाता को, उसको अपने प्रकरण का अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात, उपयोग मे नहीं लाई जा रही भूमि में, बिना कोई भुगतान या क्षतिपूर्ति दिए पुनर्प्रवेश का अधिकार होगा ।

✷(भूमि हेतु) 9. पट्टाग्रहीता पट्टादाता को या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी को, समय-समय पर उक्त निर्माण हेतु योजनाओं और निर्दिष्टों को लिखित में प्रस्तुत करेगा, जो कि पट्टादाता द्वारा अनुमोदित योजनाओं एवं निर्दिष्टों के अनुरूप होगा ।

✷(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ) 10. पट्टाग्रहीता उक्त परिसर, भूमि और भवन, उस पर स्थापित या निर्मित ढाँचा व निर्माण कार्यों का उपयोग केवल निर्माण कार्य और अन्य सह उत्पादों, जिनका वर्णन परियोजना प्रतिवेदन/अस्थायी पंजीयन में कार्यालय, प्रशासनिक भवन, गोदामों के निर्माण हेतु है, के निर्माण के उद्देश्य से करेगा और पट्टादाता से लिखित में पूर्व अनुमति लिए बिना इसका या इसके किसी भी भाग का कोई और उद्देश्य के लिए स्वयं उपयोग नहीं करेगा न ही अन्यथा किसी दूसरे को उपयोग करने की अनुमति देगा।

✷(भूमि हेतु) 11. पट्टाग्रहीता अपने ही व्यय पर उक्त भूमि की परिसीमाओं, जो कि इसमें संलग्न योजना में दर्शाए गए सीमांकन के अनुरूप है, पर सारे सीमाद्योतकों और स्तम्भों

को तुरंत स्थापित करेगा और पूरे समय, इनका परिसीमाओं सहित रखरखाव, मरम्मत कर, उत्तम अवस्था में रखेगा।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ) 12. पट्टाग्रहीता उक्त परिसर, भूमि और उस पर निर्मित भवन को, स्वयं के व्यय पर, निवास योग्य अवस्था में रखेगा और स्वयं के व्यय पर म.प्र. प्रदूषण निवारण मण्डल या संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा निर्दिष्ट किए गए अपशिष्ट पदार्थ उपचार संयंत्रों को संस्थापित एवं प्रचालित करेगा।

✸(भवन हेतु) 13. पट्टाग्रहीता उक्त परिसर में मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक से लिखित में पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना कोई भी स्थायी और अल्पकालिक आवर्धन अथवा परिवर्तन, कुछ भी नहीं करेगा। आवर्धनों एवं परिवर्तनों में क्या समाहित है दस विषय पर मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

✸(भवन हेतु) 14. यदि पट्टाग्रहीता की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल उक्त परिसर में आवर्धन अथवा परिवर्तन की अनिवार्यता है तो उसे पट्टाग्रहीता, स्वयं के व्यय पर मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक की लिखित पूर्वानुमति से करेगा। यह अनुमति अस्वीकार की जा सकेगी यदि उसे परिसर हेतु अवांछनीय या असुरक्षित समझा जाए। पट्टाग्रहीता द्वारा बनाया गया कोई भी आवर्धन एवं परिवर्तन, पट्टाग्रहीता के व्यय पर उक्त अवधि की समाप्ति पर हटा देने के प्रतिबन्ध पर होगा, यदि मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा ऐसा वांछित न हो। यदि मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक इसके हटाने के लिए बाध्य न करें तो पट्टाग्रहीता को इस आवर्धन या परिवर्तन करने में हुए व्यय हेतु भुगतान या प्रतिपूर्ति पट्टादाता द्वारा नहीं किया जाएगा।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ) 15. पट्टाग्रहीता, उक्त परिसर/भूमि को या उसके किसी भी भाग को या उस पर निर्मित किसी भी भवन को, कोई भी उददेश्य के लिए शिकमी अथवा अभिहस्तांकित या अन्य प्रकार से अंतरित नहीं करेगा, सिवाय जैसा कि उक्त नियम में अभिनिर्धारित किया गया है ।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ)

16. पट्टाग्रहीता इकाई के स्वामित्विक गठन में, आवंटन प्राधिकारी से लिखित रूप में पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना, परिवर्तन नहीं करेगा। यदि गठन में परिवर्तन के फलस्वरूप, मूल आवंटी का अंश 50 प्रतिशत अंश से कम हो जाये, तो यह माना जाएगा कि इकाई किसी अन्य हाथ में अंतरित हो गई है और तदनुसार हस्तांतरण प्रकरण पट्टादाता द्वारा व्यवहृत होगा। परिवर्तन की सूचना आवंटन प्राधिकारी को, ऐसे परिवर्तन के एक माह पूर्व, देने का दायित्व पट्टाग्रहीता पर होगा।

✷(भूमि हेतु)

17. पट्टाग्रहीता उसको पट्टे पर दी गई भूमि के प्रति हेक्टेयर के लिए कम से कम 50 वृक्षों का रोपण स्वयं के व्यय से करेगा और इनकी देखभाल के लिए उत्तरदायी होगा। पट्टाग्रहीता इस कारण हुए किसी भी व्यय को वापिस पाने का अधिकारी नहीं होगा। इस शर्त के अनुपालन से चूक जाने से उक्त परिसर के आवंटन की शर्त का उल्लंघन माना जाएगा।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ)

18. पट्टाग्रहीता उक्त, भूमि/परिसर में कोई भी आपत्तिजनक व्यापार या व्यवसाय नहीं करेगा। इस विषय में कि आपत्तिजनक व्यापार या व्यवसाय क्या होगा आवंटन प्राधिकारी का निर्णय पट्टाग्रहीता पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ)

19. उक्त भूमि/परिसर का उपयोग करते समय यदि पट्टाग्रहीता कोई भी व्यक्ति को चोट या क्षति पहुंचाने का निमित्त बनता है तो वह उसी तरह मुआवजा या क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा जैसे कि सामान्यतया भूमि/भवन के किरायेदार भुगतान करने के लिए बाध्य होते है।

✷(भवन हेतु)

20. पट्टाग्रहीता उक्त परिसर का, मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक के नाम से बीमा करायेगा एवं बीमाकृत रखेगा और उक्त अवधि यावत् हर समय स्वतंत्र और पृथक रूप से किसी भी आगजनित हानि या क्षति के विरूद्ध और अन्य सभी जोखिमों के प्रतिकूल जैसा कि मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जरूरी समझें राशि रूपये …………

.... (रूपये ....
........) मात्र के लिए बीमा, उद्योग आयुक्त द्वारा अनुमादित बीमा कंपनी के साथ बीमाकृत रखेगा और मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के पास ऐसी सभी बीमा पॉलिसियों को एवं इसी विषय में प्रब्याजि के अदायगी की सभी रसीदें जमा करेगा। पट्टाग्रहीता उक्त परिसर का बीमा स्वतंत्र रूप से कराएगा, न कि पट्टाग्रहीता की किसी भी अन्य सम्पत्ति के साथ।

✸(भवन हेतु)

21. पट्टाग्रहीता ऊपर कंडिका 20 के अध्यधीन आवश्यक सभी औपचारिकताएं पूरी करेगा और बीमा पॉलिसी को एवं इसकी भुगतान की रसीदें मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के पास, पट्टाग्रहीता के उक्त परिसर का अधिपत्य प्राप्त कर लेने के दिनांक से एक माह के अवधि के भीतर जमा करेगा।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ)

22. पट्टाग्रहीता, कारखाने को, जिसके लिए भूमि/परिसर का आवंटन किया गया है, पट्टे की अवधि यावत् निरंतर चलाएगा। आवंटन प्राधिकारी की संतुष्टि योग्य किन्हीं उचित कारणों के अभाव में छह महीने से अधिक अवधि तक लगातार कारखाने का बंद रहना, उक्त शर्त का उल्लंघन माना जायेगा।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ)

23. पट्टाग्रहीता उक्त अवधि यावत्, उक्त भूमि/परिसर को, स्वयं के व्यय से यथोचित अच्छी स्थिति में आवंटन प्राधिकारी की संतुष्टि अनुरूप रखेगा।

✸(भवन हेतु)

24. यदि पट्टाग्रहीता की ओर से कोई उपेक्षा या चूक हो जाने के कारण उक्त परिसर की कोई मरम्मत की आवश्यकता हो तो इसे पट्टाग्रहीता स्वयं के व्यय से कराएगा। नियमित मरम्मत क्या होना चाहिए और क्या पट्टाग्रहीता की ओर से कोई उपेक्षा या चूक से कोई मरम्मत आवश्यक हो गई है या नहीं, इसका निर्णय मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा किया जायेगा और यह पट्टाग्रहीता पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ)

25. यदि एतद् द्वारा आरक्षित किराया या उसका कोई अंश किसी भी समय बकाया और उस दिनांक के बाद जब यह किराया देय होगा, से भूमि के प्रकरण में छह कैलेण्डर माह तक और परिसर के प्रकरण में दो कैलेण्डर माह तक अदेय रहता है, चाहे यह किराया वैधानिक रूप से मांगा गया हो अथवा नहीं, या यदि पट्टाग्रहीता दिवालिया हो जाता है और / या परिसीमन / तरलता में स्वेच्छा से या अन्यथा चला जाता है या उक्त परिसर में कोई कुर्की / आसंजन हो जाय या पट्टाग्रहीता द्वारा इसमें अन्तर्विष्ट किसी भी शर्तों या प्रसंविदाओं का उल्लंघन या अनुपालन न किया जाय और पट्टाग्रहीता, पट्टादाताओं द्वारा दिए गए लिखित सूचना के साठ दिवस के भीतर उल्लंघन का प्रतिकार करने से चूकता है, या दिवालिया हो जाता है या अपने ऋणदाताओं के साथ उद्योग के निपटारे हेतु समझौता करता है, तो यह पट्टा समाप्त माना जायगा और पट्टादाता, कोई भी पूर्व बकाया राशि के अधित्याग के बावजूद, उक्त भूमि/परिसर के पट्टे के अंतर्गत शेष बच रहे किराए की वसूली हेतु, पट्टादाता के कोई भी अधिकार या प्रतिकार हेतु कोई पक्षपात बिना, पुनर्प्रवेश का अधिकार प्रेरित कर सकता है, और उक्त भूमि का अवलंबन कर सकता है जैसे कि मानो यह हस्तांकन किया ही न गया हो ।

✷(भूमि हेतु)

26. पट्टा अवधि की समाप्ति पर या पट्टाविलेख शर्तो के उल्लंघन के कारण पट्टे का पर्यावसान किए जाने से, पट्टादाता को भूमि/परिसर मे पुनर्प्रवेश का अधिकार होगा। पट्टे के एतद्धीन परिस्थितियों में अवसान पर, प्रब्याजि, भू-भाटक या प्रतिभूति जमा का प्रत्यर्पण अस्वीकार्य होगा।

✷(भूमि हेतु)

27. पट्टे का पर्यावसान/समर्पण होने पर, पट्टाग्रहीता को, उक्त परिसर में स्थित भवन, संयंत्र एवं मशीनरी तथा कोई और निर्माण का तीन माह के भीतर अंतरण या अन्य प्रकार से विक्रय पट्टादाता द्वारा स्वीकार्य विधि से करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उक्त तीन माह की अवधि की समाप्ति पर पट्टादाता को उक्त परिसर में छोड़ी गई समस्त सम्पत्ति पर बिना कोई क्षतिपूर्ति दिए पूर्ण अधिकार होगा एवं तदनुसार उसका निपटान करने को स्वतंत्र होगा।

✸(भवन हेतु) 28. पट्टाग्रहीता उक्त अवधि की समाप्ति पर या पट्टे का समय पूर्व पर्यावसान होने पर, उक्त परिसर को, सामान्य टूट-फूट के बाद उसी अवस्था में जैसा कि पट्टाग्रहीता को अधिकृति या प्राप्ति के समय सौंपा गया था, पट्टादाता को सौंप देगा।

✸(भूमि हेतु) 29. यदि पट्टाग्रहीता ने यथा समय एतद् द्वारा आरक्षित किराये का भुगतान किया है और इसमें सम्मिलित शर्तो का पालन किया है और पूरा किया है, तो पट्टादाता स्वप्रेरणा से पट्टाग्रहीता के निवेदन और व्यय पर पट्टे को पांच वर्ष की अवधि के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ नवीनीकृत कर सकेगा ।

कि प्रत्येक नवीनीकृत पट्टे को प्रदान करने में किराया बढ़ाया जा सकेगा और प्रत्येक नवीनीकृत पट्टे में ऐसी शर्ते जो इसमें शामिल हैं जो कि प्रयोज्य होंगे और अन्य ऐसी शर्ते भी जो पट्टादाता द्वारा आवश्यक समझा जाय, इसमें सम्मिलित होंगी ।

✸(भूमि हेतु) 30. पट्टाग्रहीता पट्टे पर किए क्षेत्र का आंशिक या संपूर्ण समर्पण, पट्टादाता को तीन कैलेण्डर माह की सूचना में अपने इस अभिप्राय को लिखित रूप में देकर, कर सकता है। पट्टादाता को समर्पित भूमि/परिसर में पुनर्प्रवेश का अधिकार होगा। ऐसे पुनर्प्रवेश पर, निम्न ढंग से पट्टादाता पट्टाग्रहीता को प्रब्याजि का प्रत्यर्पण कर सकता है, जिसे पट्टाग्रहीता को भूमि आवंटित/पट्टे पर दिए जाते समय पट्टाग्रहीता ने भुगतान किया था।

(1) 90 प्रतिशत, यदि आवंटित/पट्टे पर दिए गए भूमि का समर्पण आधिपत्य प्राप्त करने के दिनांक से, लघु स्तर के उद्योग के प्रकरण में, एक वर्ष के भीतर और वृहद एवं मध्यम उद्योग के प्रकरण में तीन वर्ष के भीतर होता है।

(2) 80 प्रतिशत, यदि आवंटित/पट्टे पर दिए गए भूमि का समर्पण लघु स्तर के उद्योग के प्रकरण में एक वर्ष के बाद किन्तु दो वर्ष के भीतर और वृहद

एवं मध्यम उद्योग के प्रकरण मे, तीन वर्ष के बाद किन्तु चार वर्ष के भीतर, होता है।

(3) 70 प्रतिशत, यदि आवंटित/पट्टे पर दिए गए भूमि का समर्पण, लघु स्तर के उद्योग के प्रकरण में दो वर्ष के बाद किन्तु तीन वर्ष के भीतर और वृहद एवं मध्यम उद्योग के प्रकरण में चार वर्ष के बाद किन्तु पांच वर्ष के भीतर, होता है।

इस कंडिका के उद्देश्य हेतु पट्टाग्रहीता के पास भूमि पर आधिपत्य की अवधि का निर्धारण, पट्टाग्रहीता द्वारा आधिपत्य प्राप्त करने के दिनांक से पट्टादाता को आधिपत्य वापस देने तक, किया जाएगा।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ) 31. इस पट्टे की तैयारी, लेख्यकरण और पंजीयन के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाला सभी परिव्यय और खर्चे पट्टाग्रहीता द्वारा वहन और भुगतान करने होंगे, बशर्ते कि इस संबंध में ऐसी छूट दी गई हो जो कि पट्टादाता के द्वारा अनुमोदित हो।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ) 32. इसके और आगे घोषणा की जाती है कि पट्टाग्रहीता प्रतिभूति के रूप में राशि रूपये .... (रूपये ....) मात्र इस पट्टाविलेख की कंडिका 2 .... के अनुसरण में देय किराये के समयोचित भुगतान के लिए और इसमें सम्मिलित अनेक शर्तों का परिपालन और निष्पादन करने के लिए, जमा करेगा।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ) 33. पट्टाग्रहीता द्वारा इस पट्टाविलेख के किसी भी कंडिका का अतिक्रमण / उल्लंघन के परिणामस्वरूप आवंटन प्राधिकारी पट्टाग्रहीता को 60 दिवस के भीतर पट्टाविलेख की कंडिकाओं का परिपालन / आज्ञापालन के लिए अथवा उल्लंघन का परिशोधन करने की सूचना तामील करा सकेगा / करायेगा और यदि इस सूचना का पालन न हुआ तो पट्टाविलेख निरस्त हुआ माना जाएगा।

(भूमि एवं शेड हेतु उभयनिष्ठ)	34. पट्टाग्रहीता के द्वारा इसमें सम्मिलित किसी भी शर्त और प्रतिबंध का उल्लंघन या अनुपालन न होने पर, ऊपर कंडिका 32 में निर्दिष्ट प्रतिभूति जमा का पट्टादाता के द्वारा, इस ओर से पट्टादाता के कोई भी अन्य अधिकार या प्रतिकार के लिए पक्षपात बिना और उक्त भूमि / परिसर का आधिपत्य पुनः ग्रहण करने हेतु राजसात कर लेना विधि अनुकूल होगा।
(भूमि एवं शेड हेतु उभयनिष्ठ)	35. प्रत्याभूति राशि, जिसका उल्लेखित तरीके से राज्यसात नहीं हुआ हो, से, पट्टादाता को देय और इस संदर्भ में इसके द्वारा वसूलने योग्य सभी राशियों की कटौती के पश्चात पट्टाग्रहीता को पट्टाविलेख की अवधि पूरा होने या अन्य कारणों से समाप्ति के बाद वापिस किया जाएगा।
(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ)	36. पट्टाग्रहीता यदि वह आवंटन प्राधिकारी के द्वारा पारित मूल आदेश से असंतुष्ट है तो वह निम्नानुसार केवल एक बार अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा : (1) मुख्य महाप्रबंध/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पारित मूल आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन संबंधित जिला योजना समिति को (2) जिला योजना समिति द्वारा पारित मूल आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को ऐसे अभ्यावेदन पर दिया गया निर्णय अंतिम होगा और इसके पश्चात पुनः अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा। (उल्लेखनीय है कि ऐसा अभ्यावेदन मूल आदेश की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिये।)
✸(भूमि हेतु)	37. पट्टाग्रहीता, औद्योगिक क्षेत्र/संस्थान के लिए भूमि अर्जित करने में प्रभावित परिवारों के ………………… सदस्यों को नियमित रोजगार, उत्पादन प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर, उपलब्ध कराएगा। इस कंडिका कें अंतर्गत

विचारार्थ हेतु पात्र लोगों की सूची जिला कलेक्टर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार होगी।

अथवा

जहां अर्जित की गई भूमि के बड़े हिस्से का एक विशेष उद्योग हेतु उपयोग किया जाना है, पट्टाग्रहीता औद्योगिक उद्देश्य हेतु उनकी भूमि अर्जित करने में विस्थापित परिवारों के प्रत्येक में से एक सदस्य का पुनर्वास, जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित पुनर्वास कार्यक्रम के अनुरूप करेगा। इकाई में उत्पादन प्रारंभ होने के एक वर्ष के भीतर इस पुनर्वास कार्यक्रम का संपूर्ण क्रियान्वयन किया जाना होगा।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ) 38. आवंटन प्राधिकारी जिसे आवंटन के अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं, वह पट्टादाता की ओर से पट्टाविलेख का पर्यावसान करने में भी सक्षम होगा।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ) 39. यह पट्टाविलेख म.प्र. उद्योग (शेड, प्लॉट एवं भूमि आवंटन) नियम 1974, समय-समय पर यथा संशोधित है, में सम्मिलित प्रतिबंधों के अध्यधीन होगा। इस पट्टाविलेख के लेख्यकरण के बाद नियम में होने वाले संशोधनों की सूचना पट्टाग्रहीता को मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक के द्वारा, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्यालय में ऐसे संशोधनों की प्राप्ति के दिनांक से सामान्यतया तीन माह के भीतर दिया जाएगा। पट्टाग्रहीता स्वयं के व्यय से उक्त संशोधनों से पट्टाविलेख को संशोधित करने हेतु बाध्य होगा।

(भूमि एवं भवन हेतु उभयनिष्ठ) 40. इस विलेख के अध्यधीन वसूली योग्य सभी राशि, भू-राजस्व बकाया स्वरूप वसूली जा सकेगी।

(✸ जो भी लागू न हो, उसे काट दें)

अनुसूची

ग्राम का नाम ………………………………………………………………………………………………………
तहसील का नाम ……………………………………………………………………………………………………
जिले का नाम ………………………………………………………………………………………………………
औद्योगिक क्षेत्र/संस्थान का नाम …………………………………………………………………………………
प्लाट क्रमांक …………………………………
आकार ……………………………………………
खण्ड क्रमांक …………………………………
भवन क्रमांक …………………………………
शेड क्रमांक ……………………………………
आच्छादित क्षेत्र ……………………………
विस्तृत स्थान ………………………………
चतुर्सीमाएं

……………………………………………………………………………… पूर्व में
……………………………………………………………………………… उत्तर में
……………………………………………………………………………… पश्चिम में
……………………………………………………………………………… दक्षिण में

(उपरोक्त विवरण संलग्न अभिन्यास में दर्शाए गए हैं ।)

साक्षी में जिसके, एतद् पक्षों ने इस पट्टाभिलेख पर हस्ताक्षर, इस दिनांक और वर्ष में जो क्रमशः उनके हस्ताक्षर के सामने दर्शित हैं, किए हैं ।

		(पट्टादाता)
साक्षी (कृपया पूरा नाम, पिता का नाम, आयु और पता दें)	1. नाम …………………………………… पिता का नाम …………………………… आयु …….. (शब्दों में …………………) पता ……………………………………	मुख्य महाप्रबंधक/प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र म.प्र. के राज्यपाल की ओर से
	2. नाम …………………………………… पिता का नाम …………………………… आयु …….. (शब्दों में …………………) पता ……………………………………	दिनांक …………………………

1. नाम ……………………………………	हस्ताक्षर …………………………………
पिता का नाम ……………………………	पट्टाग्रहीता की ओर से ………………
आयु …….. (शब्दों में …………………)	मेसर्स ……………………………………
पता ……………………………………	नाम ……………………………………
2. नाम ……………………………………	पिता का नाम …………………………

पिता का नाम ....
आयु .... (शब्दों में ....)
पता ....

आयु .... (शब्दों में ....)
पता ....
....

AMENDMENT TO THE ORIGINAL LEASE DEED

THIS AMENDMENT is made this _______ day of ___________ month __________ year to the lease deed executed on (date) _____________ (Registered vide No. ___________ dated ___________ with Sub-Registrar, District Name) Between the Governor of Madhya Pradesh acting through the Director of Industries (herein after called the "LESSOR" which expression shall, where the context so admits, include his successors in office) of the one part (name) ___________________________________ acting as Proprietor/ Partner/ Director of M/s ____________________________________ (herein after called the "LESSEE" which expression shall where the contexts so admits include his heir successors executors administrators and assigns) of the other part.

UPON THE request of the lesse the General Manager, District Industries Centre, District Name vide his letter No. ______________________ dated ___________ approved the change the constitution and Name and products of the unit. Hence this amendment to the original lease deed has become necessary.

NOW therefore by this amendment Para No. __ line No. __ to __ and para No. __ line No. __ to __ of page No. __ of the original lease deed are hereby amended as under:-

THIS amendment executed between the Governor of Madhya Pradesh acting through the General Manager, District trade and Industries Centre, Sagar (herein after called the "LESSOR" which expression shall where the context so admits include his successors in office) of the one part and (name) ____ S/o (fathers name) ____ R/o (Residence of Prop./Part.) ____ acting as partners of M/s ____ having its registered office at (office address) ____(herein after called the "LESSEE" which expression shall where the context so admits, include its successors and permitted assigns) of the other part. Through Attorney ____Name of the Attorney.

Whereas upon the request of the lessee and the lessor has agreed to grant to the lessee, subject to the terms and conditions herein contained, a lease of the plot of land situated at _____________________________________(Name of the industrial area estate measuring about _________________ (size and area) sq.ft. together with building erected thereon being building No. 3 more particularly described in schedule here under and for greater clearness delineated in the plan hereto annexed and thereon shown with the boundaries coloured red (herein after called the "said premises") for a term of 30 years from the date of handling over its possession to the lessee for the purpose of ____ (Name of teh activities).

Security deposit Rs.____(amt)/- (Rs. in words) only and Shop Rent Rs. ___(amt)/- (Rs. in words) only per month remain same.

All other terms and conditions of the principle lease deed executed on ________ (Date of Original deed) shall remain unchanged.

SCHEDULE

Name of Village	:	Govindpura
Name of District	:	Bhopal
Name of Tehsil	:	Huzur
Name of Industrial Estate	:	Govindpura
Shed No.	:	3
Size	:	65' x 33' = 2145 sq. ft.

Surrounded By:

On the North	:	Main Road
On the South	:	Open Ground
On the East	:	Shed No. 4
On the West	:	Shed. No. 2

In the witness whereof the parties hereto have signed this deed on the date and year respectively mentioned against their signature.

WITNESSES

1.	Signature of General Manager on
2.	behalf of the Governor of Madhya Pradesh
1.	Signature on behalf of
3.	M/s __________________

Note: This proforma is for illustration only. According to the nature of the amendment it sholud be revised accordingly.

गठन के स्वरूप में परिवर्तन की चैक लिस्ट

1. भागीदारी से मालिकी में परिवर्तन करने की स्थिति में भागीदारी विघटन डीड।
2. मालिकी से भागीदारी में / कम्पनी में परिवर्तन करने पर भागीदारी लिखतम/कम्पनी का मेमोरण्डम एवं आर्टिकल की प्रति।
3. वित्तीय संस्थान / बैंक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
4. विद्युत मण्डल / वाणिज्य कर विभाग का बकाया शेष नहीं, का प्रमाण-पत्र।
5. कम्पनी के गठन में परिवर्तन करने की स्थिति में कम्पनी के संचालक मण्डल का रेजुलेशन।

नोट: निरस्त भू-खण्डों/शेड के प्रकरणों में गठन परिवर्तन आदि की सुविधा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा नहीं दी जा सकेगी। पंजीयन में संशोधन हेतु पृथक आवेदन दें।

चेक लिस्ट वित्त संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋण के बदले पट्टेदारी अधिकारों को अभिहस्तांकित करने की अनुमति

1. वित्तीय संस्थान/बैंक का ऋण स्वीकृत का पत्र, जिसमें प्रयोजन व राशि का स्पष्ट उल्लेख हो ।
2. पट्टेदारी इकाई का सहमति पत्र ।
3. देय भू-भाटक जमा करने का चालान ।
4. इकाई की अद्यतन स्थिति का विवरण ।

<u>चैक लिस्ट वैधानिक उत्तराधिकारी के पक्ष में हस्तांतरण बाबत्</u>

1. इकाई के स्वामी का निधन होने पर उनका वैधानिक उत्तराधिकारी होने के संबंध में उत्तराधिकारी होन का प्रमाण–पत्र।

2. शपथ पत्र कि उनके अतिरिक्त कोई उत्तराधिकारी नहीं है।

3. परिवार के अन्य सदस्यों का शपथ पत्र कि वे उत्तराधिकारी नहीं है।

4. उत्तराधिकारी की ओर से आवेदन–पत्र।

5. पूर्व स्वामी का मृत्यु प्रमाण–पत्र जहां लागू हो।

6. यदि पूर्व स्वामी द्वारा कोई वसीयत आदि की गयी है तो उसकी प्रमाणित प्रति।

7. अन्य कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहे।

नोटः

1. स्थाई पंजीयन संशोधन हेतु उपरोक्त सहित पृथक आवेदन मूल पंजीयन के साथ किया जावे।

2. निरस्त भू–खण्डों/शेड के प्रकरणों में हस्तांतरण/उत्तराधिकारी को नामांतरण आदि की सुविधा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा नहीं दी जा सकेगी।

चेक लिस्ट हस्तांतरण के प्रकरण हेतु

1. क्रेता एवं विक्रेता इकाई की ओर से पृथक-पृथक आवेदन पत्र।
2. भागीदारी होने की स्थिति में भागीदारी डीड।
3. कम्पनी होने की स्थिति में मेमोरण्डम एवं आर्टिकल, सर्टिफिकेट ऑफ इन कारपोरेशन।
4. क्रेता एवं विक्रेता इकाई के बीच संपादित विक्रय हेतु अनुबंध की मूल प्रति।
5. विक्रेता इकाई के पंजीयन की प्रति।
6. क्रेता इकाई के पंजीयन की प्रति।
7. योजना की प्रति।
8. भू-आबंटन का निर्धारित आवेदन-पत्र।
9. प्रस्तावित स्थाई पूँजी निवेश के 25 प्रतिशत का निवेश करने के चार्टेट अकाउण्टेंट प्रमाण-पत्र।
10. यदि मूल लीज डीड बैंक में मार्टगेज है तो बैंक की अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
11. विभागीय/शासकीय देयताओं का विवरण एवं अनापत्ति।

नोट:

1. मूल पंजीयन पृथक आवेदन पत्र के साथ नाम परिवर्तन हेतु प्रस्तुत करें। यदि पूर्व इकाई नहीं चलाई जाना हो तो पंजीयन, अपंजीकरण आवेदन सहित वापस करें।
2. भूमि विक्रय -
   विक्रय हेतु अनुबंध पर अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त विक्रय अनुबंध पृथक से प्रस्तुत किया जावेगा।
3. निरस्त भू-खण्ड/शेड का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता।

अध्याय – 15 (मैनुअल 14)
कृत्यो के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम

15.1 उत्तरदायी एवं संवेदनशील कार्यप्रणाली (सिटीजन चार्टर)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में सूचना आधारित पारदर्शी एवं अधिक उत्तरदायी कार्यप्रणाली अपनाने के लिए सूचना प्रकोष्ठ को सुदृढ़ करते हुए उद्योग के समस्त प्रकार के प्रकरणो के लिए कार्य प्रणाली लागू की गई है एवं आवेदनों पर निर्धारित समय सीमा मं समुचित निर्णय/निराकरण के उद्देश्य से सिटीजन चार्टर व्यवस्था लागू की गई है जो निम्ननुसार है।

क्र0	कार्य/गतिविधि/योजना का नाम	प्रभारी/विहित अधिकारी	निपटारे की समय सीमा
1	प्रस्तावित पंजीयन एक दिवस तत्काल	महाप्रबंधक	तत्काल
2	स्थायी पंजीयन	महाप्रबंधक	7 दिवस
3	भूमि/रोड आवंटन प्रकिया (भूमि/शेड उपलब्ध होने की स्थिति में) अ–आशय पत्र जारी करना ब– आवंटन आदेश जारी करना	महाप्रबंधक	तत्काल तत्काल
4	पट्टा अभिलेखों का निष्पादन	महाप्रबंधक	7 दिवस
5	विद्युत कनेक्शन हेतु अनुशंसा	महाप्रबंधक	तत्काल
6	बैंक मियादी ऋण कार्यशील पूंजी हेतु अनुशंसा	महाप्रबंधक	3 दिवस
7	स्वीकृत पत्र – अ– निवेश अनुदान योजना ब– उद्योग संबर्धन सहायता योजना	महाप्रबंधक	 30 दिवस 30 दिवस
8	अ– प्रदूषण संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र ब– प्रदूषण निराकरण मण्डल की अनुशंसा	महाप्रबंधक	तत्काल 3 दिवस
9	आई. एस.ओ.–9000	महाप्रबंधक	30 दिवस

10	परियोजना प्रतिवेदन लागत प्रतिपूर्ति	महाप्रबंधक	30 दिवस
11	व्याज अनुदान स्वीकृत	महाप्रबंधक	7 दिवस
12	प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं अन्य रोजगार मूलक योजनाए– अ– आवेदन का परीक्षा ब– बैंक स्वीकृति हेतु अनुशंसा	महाप्रबंधक	 7 दिवस 30 दिवस
13	वाणिज्य कर सुविधा जिला स्तरीय के विरूद्ध प्रकरणों में अपील	रा.स्त.समिति सदस्य सचिव	45 दिवस
14	वाणिज्यक कर सुविधा राज्य स्तरीय समिति के विरूद्ध प्रकरणों में अपील	सद.स.अवर/मु.स. /प्र.सचिव वाणि.व उद्योग वि.	45 दिवस

अध्याय – 16 (मेनुअल–15)

इलैक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनायें

16.1 विभाग द्वारा विभिन्न कार्य क्रमो से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करे जो की इलेक्ट्रानिक फार्मेट में हो । – निरंक

अध्याय –17(मैनुअल 16)

सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिको को उपलब्ध सुविधाओ का विवरण

17.1 सूचनाओ को जनता तक पहुंचाने के लिए विभाग ।

1. पुस्तकालय द्वारा– कार्यालय में लाईब्रेरी की व्यवस्था है। जिसमें विभाग से संबंधित बुके प्रोजेक्ट फाईले पंपलेट आदि के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

4. अखवारो के द्वारा– समय–समय पर अखवारो में विभाग से संबंधित गतिविधिया एवं योजना की जानकारी दी जाती है।

5. प्रदर्शिनी के माध्यम से– गणतंत्र दिवस एवं अन्य विशेष अवसरो पर झाकी/प्रदर्शिनी के माध्यम से विभाग की योजनाओ की जानकारी दी जाती है।

6. सूचना पटल – कार्यालय में सूचना पटल पर जानकारी चस्पा करके आम जनता तक पहुचाने की व्यवस्था की गई है।

7. अभिलेखो का निरिक्षण – कार्यालय में अभिलेखो की निरक्षण करने की व्यवस्था है।

8. उपलब्ध विभागीय मेनुअल – कार्यालय में विभाग से संबंधित मेनुअल है। जिसे पड़ने एवं जानकारी नोट करने की व्यवस्था है।

9. शिविर आयोजित करके – समय–समय पर जन जागृति शिविर जन समस्या निवारण शिविर में विभाग का प्रचार प्रसार करते हुए योजनाओ की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

अध्याय 18 (मेनुअल 17)

अन्य उपयोगी जानकारीयां

18.1 अन्य उपयोगी जानकारियां

1. प्रधान मंत्री रोजगार योजना में ऋण किस प्रकार से मिलता है ?

उत्तर – आठवी कक्षा उत्तीर्ण उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष तक SC,ST ,महिला , विकलांक को 10 वर्ष की छूट 40000/– रू0 से कम वार्षिक पारिवारिक आय के हितग्राही को विभिन्न उद्योग सेवा व्यवसाय हेतु रू0 2.00 लाख तक का ऋण दिया जाता है ।

2. रानी दुर्गावती योजना क्या है ?

उत्तर – यह केवल अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के हितग्राहियो को जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष शैक्षणिक योग्यता आठवी पास हो के लिये किसी भी वित्तीय संस्था से स्वीकृत परियोजना में लगने वाली 33 प्रतिशत तक मार्जिन मनी देय होती है ।

3. नवीन उद्योगो के लिये क्या सुविधाये है ?

उत्तर – 1–4–2004 के पश्चात उत्पादन में आई इकाईयों को राज्य लागत पूंजी अनुदान ब्याज अनुदान परियोजना व्यय प्रतिपूर्ति अनुदान की पात्रता है , प्रति बंटित सूची के अपात्र उद्योगो को यह सुविधा देयन नही है ।

4. कार्यालय के प्रशिक्षण की क्या सुविधा है ।

उत्तर – बैंक द्वारा किसी भी स्वरोजगार योजना के स्वीकृत प्रकरण के हितग्राहियो को उद्यमित विकास प्रशिक्षण के हितग्राहियो को उद्यमित विकास प्रशिक्षण दिया जाता है जिसकी अवधि 10 से 20 दिन तक रहती है ।

18.2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में

1. सामान्य आवेदन पत्र ग्राह है जिसमे जिस दिवस वस्तु की जानकारी आवेदक चाहता है स्पष्ट रू॰ से अंकित होनी चाहिए ।
2. शुल्क – आवेदन पत्र 10/–नगद या दस रूपये का नान जुड़ीशियल स्टाम्प पेपर गरीबी रेखा के नीचे जीवन ज्ञापन करने वाले हितग्राही को शुल्क से छूट होगी ।
3. कार्यालय मे चलने वाली विभिन्न योजना । सुविधा की जानकारी हितग्राही ले सकता है , जैसे प्र.म. रो. योजना एवं अन्य योजना में पात्रता संबंधी शर्वे विभागीय सुविधाओ की जानकारी संभावित उद्योगो की जानकारी ।

4. लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना न देने पर अपिलेट प्राधिकारी (महाप्रबंधक) अपील/शिकायत कर सकता है जिसके लिए 30 दिन की समय सीमा निर्धारित है ।

18.3 प्रशिक्षण संबंधी

1. उद्यमिता विकास प्रशिक्षण , कोई समय सीमा नही है।
2. कोई समय सीमा नही है ।
3. विभिन्न स्वरोजगार योजना मे बैंको द्वारा चयनिय एवं स्वी0 प्रकरणो की हितग्राहियो को ऋण वितरण की पूर्व उद्योग/सेवा/व्य0 संबंधी आवश्यक जानकारी देना ।
4. PMRY - 538

   DDRY - वित्तीय लक्ष्य अनुसार

   विगत वर्षो में 37 हितग्राहियों को दिया गया

   RDSY - वित्तीय लक्ष्य
5.

योजना	शैक्ष–योग्यता	आयुसीमा	आय वार्षिक सीमा
PMRY	8 वी पास	18–35 महिला SC/ST विकलांक 18–45	40,000 अधिक न हो
DDRY	10 वी पास	18–40	1.50 लाख तक
RDSY	8 वी पास	18–50	निरंक

6. बैक के द्वारा ऋण प्रकरण स्वीकृत होने के पश्चात प्रशिक्षण पात्रता आती है ।
7. सेवा/व्यवसाय के हितग्राही को 150 रू तथा उद्योग श्रेणी की प्रशिक्षार्थी को रू. 300/– छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है ।
8. शासन से अनुदान/आवंटन प्राप्त होने पर संबंधित हितग्राही के बैंक खाते में राशि जमा की जाति है ।
9. कार्या0 में प्रबंधक सूचना प्रभारी संबंधित तह0 के प्रभारी सहा0 प्रबंधक से संपर्क किया जा सकता है ।

10. काई शुल्क नही।

11. प्रशिक्षण के लिए पृथक से कोई आवेदन पत्र आवश्यक नही है ।

12. निरंक

13. निरंक

14. विभिन्न स्वरोजगार योजना में नियमानुसार आवेदन किया जाता है ।

15. बैंक द्वारा स्वीकृत प्रकरणो की हितग्राही को पुनः चयन प्रकिया से नही गुजरना पड़ता है ·

16. सेवा/व्यवसाय के लिये 10 दिवस एवं उद्योग के लिये 20 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

17. स्थानीय समाचार पत्रो के माध्यम से तथा पोस्टकार्ड के माध्यम से एवं बैंक के माध्यम से आवेदको को सूचना दी जाती है ।

18. विभिन्न स्वरोजगार योजनाओ की जानकारी जागरूकता शिविर फिर प्रेरणा शिविर/सेमीनार एवं जिला पंचायत की बैठको से आम जनता को दी जाती है।

19. जिला स्तरपर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते है ।वर्ष 2005–06 में दिये गये प्रशिक्षण की सूचि संलग्न है।

18.4 इकाई का स्थाई पंजीयन प्रस्तावित पंजीयन

1. प्रस्तावित पंजीयन :– उद्योग स्थापना के पूर्व प्रस्तावित पंजीयन किया जाता है।

2. उत्पादन दिनांक से इकाई का स्थाई पंजीयन किया जाता है।

3. प्रबंधक सूचना/सहा.प्रबंधक से संपर्क करें ।

4. आवेदन शुल्क निरंक ।

5. आवेदन पत्र का मूल्य रू 10 है ।

6. आवेदन पत्र का प्रारूप :– निर्धारित प्रारूप पर आवेदन आवश्यक है।

7. निरंक

8. निरंक

9. आवेदन करने की प्रकिया :– निर्धारित आवेदन पत्र स्थाई/प्रस्तावित पंजीयन का आवेदन किया जाता है।

10. प्रस्तावित पंजीयन की समय सीमा एक दिवस तथा स्थाई पंजीयन निरीक्षण के पश्चात समस्त दस्तावेज सही पाये जाने पर किया जाता है।

11. प्रस्तावित पंजीयन हेतु एक दिवस स्थाई पंजीयन हेतु 7 दिवस में किया जाता है।

12. प्रस्तावित पंजीयन अधिकतम 5 वर्ष अथवा उत्पादन दिनांक से स्वंय मेव निरस्त।

    स्थाई पंजीयन प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण ।

13. साधारण आवदेन पत्र के साथ मूल प्रमाण पत्र देना आवश्यक है। केवल स्थाई पंजीयन हेतु लागू है।

विशेष पंजीयन –

1. विशेष पंजीयन अनु0जाति / जनजाति वर्ग के हितग्राहियो कि आर्थिक उन्नति के लिये शासकीय खरीदी में प्राथमिकता संबंधित कार्यालय में 30 प्रतिशत खरीदे जाने का प्रावधान है।
2. आवेदक के अनु.जाति / जनजाति का स्थाई जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। किसी भी उद्योग / सेवा / व्यवसाय गतिविधि का विशेष पंजीयन करवा सकता है।
3. उपरोक्तानुसार।
4. प्रबंधक सूचना / सहा0प्रबंधक से संपर्क कर सकते है।
5. निरंक
6. निरंक
7. निर्धारित आवेदन पर संलग्न
8. (1) स्थाई जाति प्रमाण पत्र (2) निवास प्रमाण पत्र
   (3) वस्तुओ की सूची (4) औद्योगिक इकाई होने पर पंजीयन।
9. संलग्न है।
10. निर्धारित प्रपत्र में वांछित दस्तावेज लगाने के पश्चात पंजीयन किया जाता है।
11. समाप्त दस्तावेजो की जांच की जाति है। तथा सही पाये जाने पर कक्ष प्रभारी के माध्यम से जी.एम. पंजीयन जारी किया जाता है।
12. कोई समय सीमा निर्धारित नही है।
13. नवीनीकरण आवश्यक नही है।

18.5

1. लीजरेन्ट लिया जाता है।
2. औद्योगिक इकाईयो को तथा शिक्षित बेरोजगारो को विभागीय औ0 संस्थान/शेड/दुकान/लीज पर आवंटित किये जाते है। वार्षिक किराया प्रतिमाह वसूल किया जाता है।
3. भूमि हेतु जमा किए गये प्रीमियम का 1 प्रतिशत वार्षिक दुाकन एवं शेड का पृथक–पृथक मासिक किराया शासन के निर्देशानुसार नियत किया जाता है।
4. कोई बड़े चूककर्ता नही है।

18.7 इस कार्यालय से संबंधित नही है।

18.8 लोक प्राधिकरण द्वारा नगरिको को दी जाने वाली अन्य सेवाओ का विवरण ।

लघु उद्योग हेतु ''एस्कार्ट सर्विस''

मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा उद्यमियों के उद्योग स्थापना हेतु सुविधाकारी, उत्तरदायी एवं मित्रवत कार्यप्रणाली एवं कार्य संस्कृति विकसित करने हेतु निरंतर प्रयास किये जाते रहें है। इस दिशा में प्रथमतः 7 जुलाई 1990 में सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसमें अधिकारों का विकेन्द्रीदकरण एवं विभिन्न विभागों से उद्यमियों के प्रकरणों का निराकरण एक निश्चित समय सीमा में करने की व्यवस्था लागू की गई एवं जिला स्तर पर नियमित समीक्षा जिलाध्यक्ष के द्वारा करने की व्यवस्था की गई। इस प्रक्रिया को और अधिक सक्षम बनाने की दृष्टि से 25 जुलाई 1994 को उद्योग संचालनालय स्तर पर सुदृढ़ एकल खिड़की प्रणाली लागू की गई जिसका मूल उद्धेश्य उद्यमियों के उद्यमियों से संपर्क करने की संस्कृति के स्थान पर अधिकारियों द्वारा उद्योग मित्र के रूप में उद्यमियों से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया विकसित करना था।

इसके अंतर्गत इकाइयों के विभिन्न प्रकरणों हेतु प्रबंधक को नोडल अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था लागू की गई एवं इन नोडल अधिकारियों को उद्योग मित्र के रूप में कार्य करने की उपेक्षा की गई। वृहद एवं मध्यम उद्योगों हेतु परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। इस प्रणाली के अंतर्गत एकल स्थल निरीक्षण एवं इकाईवार हेल्थकार्ड तैयार करने की व्यवस्था की गई। उद्यमियों के प्रति शासन को पूर्णतः जवाबदेह बनाने एवं उद्योग स्थापना के प्रारंभिक चरण से उद्योग स्थापना तक विभागीय अधिकारियों को उद्यमियों के साथ सक्रिय सहयोजन सुनिश्चित करने की दृष्टि से दिसम्बर 1999

में ''एस्कार्ट सर्विस'' योजना लागू की गई। इस योजना में विभागीय अधिकारियों के दायित्व तय किये गये एवं उनकी मॉनीटरिंग की सुनिश्चित व्यवस्था भी की गई। विभाग द्वारा 2:12:99, 24:12:99 तदुपरांत जनवरी, मार्च एवं अगस्त 2000 में इस संबंध में व्यापक निर्देश जारी कर ''एस्कार्ट सर्विस'' प्रणाली को सुस्थापित किया गया। एस्कार्ट सर्विस की विष्लेष्णात्मक जानकारी निम्नानुसार हैं ।

एस्कार्ट सर्विस क्या है ?

एस्कार्ट सर्विस से आशय 5:00 लाख से अधिक यंत्र, संयंत्र में पूंजी निवेश वाले प्रस्तावित उद्योगों को उद्योग स्थापना हेतु प्रस्तावित पंजीयन कराते ही नोडल अधिकारी के माध्यम से उद्योग स्थापना तक इकाई के सहयोगी के रूप में विभागीय अधिकारी उपलब्ध कराना है, जो उद्योग स्थापना के प्रत्येक चरण में हितग्राही के साथ मिलकर कार्य करें।

एस्कार्ट सर्विस के अंतर्गत किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है?

एस्कार्ट सर्विस के अंतर्गत 5:00 लाख से अधिक पूंजी निवेश की इकाई के प्रस्तावित पंजीयन के उपरांत नोडल अधिकारी के रूप में विभागीय अधिकारी की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। ये नोडल अधिकारी उद्यमी के साथ सतत् संपर्क में रहकर उद्योग स्थापना के प्रत्येक चरण जैसे ऋण आवेदन तैयार करने, भूमि आवंटन प्राप्त करने, प्रदूषण विषयक अनुमति प्राप्त करना, मध्यप्रदेश विद्युत मंडल से कनेक्शन प्राप्त करने, मशीनरी सप्लाई आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, एवं विभागीय सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि कार्य सम्पन्न करते हैं।

एस्कार्ट सर्विस के अंतर्गत किस कार्यालय एवं व्यक्ति में संपर्क करना चाहिए?

उपरोक्त सुविधाएं प्राप्त करने के लिये सीधे, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के महाप्रबंधकों एवं प्रबंधक /सूचना/ जो सामान्यत: एस्कार्ट सर्विस हेतु प्रभारी अधिकारी भी होते हैं, से संपर्क करना चाहिए।

एस्कार्ट सर्विस के अंतर्गत नियुक्त नोडल अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं? नोडल अधिकारी उद्यमी की किसी प्रकार सहायता करते हैं?

इस सेवा के अंतर्गत नियुक्त नोडल अधिकारी के मूल कर्तव्य हैं, इकाई को पात्रता की जानकारी देना, विभिन्न आवेदन पत्रों को तैयार करने में सहायता देना, आवेदन पत्रों के साथ लगने वाले सहपत्रों की जानकारी देना, सिंगल एजेंसी के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं का लाभ दिलाना एक अन्य विभागीय सुविधाएं उपलब्ध कराना नोडल अधिकारी मुख्य रूप से इकाई की यह सहायता करते है कि उन्हें सभी आवश्यक सुविधा, सहायता, मार्गदर्शन यथा समय आसानी से प्राप्त हो जावें।

उद्योग स्थापना की प्रक्रिया में इस योजना से क्या मदद मिलती हैं?

पूर्व में उद्यमी को अकेले ही उपरोक्त वर्णित कार्य करना होता था। जानकारियां एवं नियमों का ज्ञान न होने के कारण उसे असुविधा का सामना करना पड़ता था। वर्तमान में नोडल अधिकारी के माध्यम से उद्यमियों को सभी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं एवं वे समय बचाकर उसें शीघ्र उद्योग स्थापना कर सकते हैं। उद्योग स्थापना में समय की बचत से परियोजना लागत भी नहीं बढ़ती। नवीन उद्यमियों में आत्मविश्वास भी उत्पन्न होता है। साथ ही विभागीय अधिकारियों के दृष्टिकोण में भी सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित होते हैं।

एस्कार्ट सर्विस का लाभ लेने के लिये क्या अलग से आवेदन देना पड़ता है?

इस सुविधा का लाभ लेने के लिये अलग से कोई आवेदन नहीं देना होता हैं। मात्र प्रस्तावित पंजीयन कराते ही उद्यमी इस सुविधा के अंतर्गत प्राप्त होने वाले लाभ स्वमेव प्राप्त करते हैं।

उद्योग लगाने के लिये विभिन्न चरणों में यह सुविधा किस प्रकार लाभकारी है?

उद्योग लगाने के लिये विभिन्न चरणों में आवेदन तैयार कराने एवं विभिन्न अनुमतियां, सुविधाएं, आवंटन आदि प्राप्त करने में उद्यमी को ये सुविधाएं अत्यन्त लाभकारी हैं।

क्या इस योजना का लाभ शहरी एवं ग्रामीण लोग ले सकते हैं?

शहरी एवं ग्रामीण किसी भी क्षेत्र के लोग जो 5:00 लाख से अधिक यंत्र, संयंत्र में पूंजी निवेश वाले उद्योग की स्थापना करना चाहते हैं, इस सुविधा के हकदार हैं ।

क्या ऐसे उद्योग जो पहले से चल रहे हें उनके लिये भी यह सुविधा लागू हैं?

पहले से चल रहे उद्योगों को सुदृढ़ एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत उद्योग मित्र के रूप में नोडल अधिकारी की सुविधा प्राप्त है। अतः उन्हें अलग से इस सुविधा की आवश्यकता नहीं पड़ती।

क्या यह योजना प्रत्येक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में समान रूप से लागू हैं।

जी हां - यह योजना यह प्रदेश के सभी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में समान रूप से लागू है।

क्या योजना के अंतर्गत किये गए कार्य का लेखा-जोखा रखा जाता है?

योजनांतर्गत संपादित कार्यो का उद्योगवार एवं नोडल अधिकारीवार पूरा ब्यौरा रखा जाता है। इस हेतु स्पष्ट विभागीय निर्देश हैं जिसके अनुरूप सभी जानकारियां संधारित की जाती हैं।

क्या इस योजना की मॉनीटरिंग की भी कोई व्यवस्था हैं?

योजना की मॉनीटरिंग की सुनिश्चित व्यवस्था है। प्रत्येक माह के अंत में उद्योग संचालनालय को इस योजनांतर्गत की गई कार्यवाहियों की प्रगति से अवगत कराना अनिवार्य है। इसकी समीक्षा उद्योग आयुक्त द्वारा की जाती है। वर्तमान में अपर प्रभार देकर सर्विस के अंतर्गत विशेष मॉनीटरिंग हेतु व्यवस्था बनाई गई है।

नियुक्त नोडल अधिकारी के सहयोग न करने पर किससे शिकायत की जा सकती है?
नोडल अधिकारी के सहयोग न करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता क्योंकि यह कोई स्वैच्छिक योजना नहीं है। उद्यमियों को योजनांतर्गत सहयोग हेतु अधिकारी विधिवत नियुक्त किये जाते है एवं उसे अपने कर्तव्य पालन करना अनिवार्य है। फिर भी यदि ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो सप्रमाण तत्काल महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से संपर्क कर शिकायत प्रस्तुत की जानी चाहिए।

क्या इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई शुल्क जमा करना पड़ता है?
योजना पूर्णतः निःशुल्क हैं। विभिन्न विभागों के नियमों के अंतर्गत उनकी सुविधाओं, स्वीकृतियों पंजीयन, आवंटन आदि हेतु यदि शुल्क निर्धारित है तो वह उद्यमी को देय होगी ।

5:00 लाख से कम पूंजी निवेश वाले उद्योगों के लिये भी क्या यह सुविधा प्राप्त है?
5:00 लाख से कम यंत्र, संयंत्र में पूंजी निवेश के उद्योगों हेतु सुदृढ़ एकल खिड़की, सिंगल एजेंसी एवं सिटीजन चार्टर के अंतर्गत नोडल अधिकारी एवं प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण की सुविधाएं प्राप्त हैं।

क्या इस सुविधा को प्रदाय करने के लिये तहसील अथवा विकासखण्ड स्तर पर भी अधिकारी रखे जाते हैं?
तहसील एवं विकासखण्ड स्तर पर पदस्थ विभागीय अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों की इकाइयों हेतु नोडल अधिकारी बनाया जा सकता हैं। सुविधा प्राप्त करने हेतु मुख्यतः महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को संपर्क करना उपयुक्त होगा ताकि वे संबंधित इकाई के क्षेत्र के अधिकारी को उसका नोडल अधिकारी नियुक्त कर सकें।

क्या एस्कार्ट सर्विस के अंतर्गत पत्र व्यवहार से भी कार्यवाही की जा सकती है अथवा नोडल अधिकारी से प्रत्यक्ष संपर्क करना आवश्यक है?
उद्यमी अपने नोडल अधिकारी से प्रत्यक्ष संपर्क के अतिरिक्त पत्र व्यवहार, दूरभाष, ई–मेल, जो भी साधन उन दोनों के मध्य सुलभ हो, के माध्यम से संपर्क कर सकता है।

स्थानांतरण इत्यादि होने पर क्या नोडल अधिकारी बदल जाते हैं? नोडल अधिकारी बदले जाने पर उद्यमी को किस प्रकार सूचना दी जाती है?

संबंधित नोडल अधिकारी के स्थानांतरण की स्थिति में उसे आवंटित इकाइयों का प्रभार एवं पंजी आदि उससे वापस लेकर उसके स्थान पर अन्य अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी जाती है तथा संबंधित इकाई को भी सूचित किया जाता है। सामान्यत: उद्यमियों के कार्यालय में संपर्क करने पर भी उन्हें तत्काल ऐसी सूचना दी जाती है।

एस्कार्ट सर्विस के क्या लाभ देखने में आए हैं?

एस्कार्ट सर्विस का सबसे प्रमुख लाभ विभागीय अधिकारियों के दृष्टिकोण से परिलक्षित होता है कि वे उद्यमियों की सहायता करना अपना कर्तव्य मानते हैं। उद्यमियों की दृष्टि से प्रथम लाभ यह हुआ है कि उन्हें कार्यालय से संपर्क करने में कोई झिझक नहीं होती। उनके लिये एक अधिकारी सुनिश्चत होता है जो उनके प्रत्येक कार्य में मदद हेतु सहयोगी है एवं जिससे वे जब चाहें संपर्क कर सकते है। नोडल अधिकारी नियुक्त होने से कार्यालयीन प्रकरण निराकरण प्रक्रिया में भी परिवर्तन परिलक्षित हुआ एवं प्रकरण सामान्य लिपिकीय प्रणाली के अनुसार परिचालित न होकर नोडल अधिकारियों द्वारा अनुसरण कर परिचालित किये जाते हैं। इसके अलावा प्रकरण प्राप्त होने पर निरीक्षण कराने की प्रक्रिया में भी बदलाव आया हैं एवं अब नोडल अधिकारी निरीक्षण सहित प्रकरण प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान सिंगल एजेंसी व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी सेवाओं से उद्यमी और अधिक लाभान्वित होंगे। इस सेवा का एक लाभ यह भी हुआ है कि उद्योग लगाने के वास्तविक इच्छुक उद्यमी एवं मात्र पंजीयन हेतु पंजीयन कराने वाले उद्यमी आसानी से नोडल अधिकारियों द्वारा चिन्हित किये जा सकते हैं। वास्तविक उद्योग स्थापना हेतु प्रसासरत उद्यमियों को अधिक समय एवं सहयोग दिया जा सकता हैं।

क्या इस सेवा के अंतर्गत उद्योग चयन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं?

उद्योग चयन के बारे में जानकारी हेतु प्रबंधक सूचना से जानकारी प्राप्त की जा सकती है एवं योजना चयन के उपरांत प्रस्तावित पंजीयन करते ही एस्कार्ट सर्विस की सुविधा प्राप्त हो जाती हैं।

क्या नोडल अधिकारी मदद मांगने पर ही मदद करते है अथवा उद्योग की आवश्यकता को समझकर भी सुझाव देते हैं?

योजना का मूल उद्धेश्य नोडल अधिकारी को उद्योग मित्र के रूप में कार्य करने हेतु दायित्व दिया जाना हैं। अत: यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे उद्यमी से मित्रवत संपर्क में रहकर उसकी आवश्यकता को समझते हुए सूझाव दें, नियमों के प्रक्रियाओं की जानकारी दें, उनके विधिवत आवेदन पत्र इत्यादि तैयार कराए तथा उद्योग स्थापनार्थ हर संभव मदद करें। यहॉं तक कि यदि किसी कार्यालयीन कक्ष में अथवा अन्य विभाग के कर्यालय में हितग्राही का कोई प्रकरण निराकृत नहीं हो रहा है तो वहां प्रत्यक्ष संपर्क कर प्रकरण निराकरण कराना नोडल अधिकारियों का दायित्व हैं। योजना का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिये यह भी आवश्यक है कि उद्यमी, योजना को पूरी तरह समझें एवं अपने नोडल अधिकारी से मित्रवत व्यवहार करते हुए उसकी योग्यता एवं दक्षता का अधिक से अधिक लाभ अपने उद्योग स्थापना हेतु प्राप्त करें।

समस्त विभागों/ कार्यालयों के सामान्य विषय

सेवा निवृत्ति/मृत्यु दर

1.	अंशदान नगदीकरण की स्वीकृति	कार्यालय प्रमुख	एक माह	जिला प्रमुख
2.	उपादान एवं पेंशन	कार्यालय प्रमुख	एक माह	जिला प्रमुख
3.	परिवार कल्याण निधि का भुगतान	कार्यालय प्रमुख	तीन माह	जिला प्रमुख
4.	सामान्य भविष्य निधि का भुगतान	कार्यालय प्रमुख	तीन माह	जिला प्रमुख
5.	परिवार अनुग्रह राशि (एक्सग्रसिवी)	कार्यालय प्रमुख	तीन माह	जिला प्रमुख
6.	अन्य भुगतान	कार्यालय प्रमुख	एक माह	जिला प्रमुख

सूचना के अधिकार के अंतर्गत समय सीमा

औद्योगिक विकास हेतु योजनाएँ

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग म.प्र. शासन द्वारा प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से निम्न योजनाएँ संचालित की जाती है।

1) प्रस्तावित पंजीयन :-

उद्यमी/आवेदक द्वारा उद्योग का चयन करने के पश्चात् प्रथमत: उद्योग की योजना को पंजीकृत किया जाता है, ताकि इकाई उत्पादन पूर्व की स्थिति में आवश्यक सुविधाएँ अनुमति आदि प्राप्त करने में समर्थ हो सके।

प्रस्तावित पंजीयन का आवेदन-पत्र 10 रूपये शुल्क पर कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से प्राप्त किया जा सकता है।

2) वित्तीय संस्थाओं का टर्म लोन एवं कार्यशील पूँजी की अनुशंसा

प्रस्तावित इकाई के स्थापना हेतु आवश्यक भवन मशीनरी एवं कार्यशील पूँजी के ऋण हेतु विभाग द्वारा वित्तीय संस्थाओं को प्रस्तावित इकाई के ऋण प्रकरण "7" दिवस की समय-सीमा में अनुशंसित किये जाते है। NSIC के माध्यम से मशीनरी प्रदाय हेतु आवेदन पत्र एक दिवस में अनुसंशित किए जाते है।

SIDBI की विविध योजनाओं की जानकारी व मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है।

3) भूमि शेड आवंटन

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दमोह अंतर्गत क्षेत्र में उद्योगों हेतु विकसित अधोसंरचना उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं । जिले में एक औद्योगिक संस्थान, एक अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान स्थापित हैं ।

क.	इकाई का नाम	प्रोपराईटर/पार्टनर	उददेश्य	आवंटित भूमि (वर्ग फुट)
1	गणेश कोल्ड स्टोरेज	प्रो. श्री घासीराम गणेश प्रसाद गुप्ता	शीत ग्रह	22062
2	अजंता प्रिंटर्स	पा.श्री अजीत कुमार जैन	मल्टीकलर प्रिंटिंग	4096,5404,7400
3	जैनसन्स इंटरप्राईजेस	प्रो.श्री स्वतंत्र कुमार जैन	कार्डवोर्ड बाक्सेस निर्माण	7470,16368,6162
4	अग्रवाल दाल मिल	प्रो. श्री राकेश कुमार अग्रवाल	दाल निर्माण	7225,1700,3675
5	शुभम दाल मिल	प्रो. आशीष कुमार जैन	दाल निर्माण	9940,
6	अनिल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	प्रो. श्री पुरषोत्तम अरोरा	प्लास्टिक थैली निर्माण	2500,2600
7	जोगिन्दर एग्रीकल्चलर	प्रो. श्री जोगिन्द सिंह	कृषि उपकरण	10010
8	विकास उद्योग	प्रो. श्री सोम चंद जैन	डिजर्ट कूलर	2400
9	शिव शंकर आयिल मिल	प्रो. श्री बाल चंद सचदेव	आयिल निर्माण	8970
10	महावीर आयिल मिल	प्रो. श्री खुशाल चंद जैन	आयिल निर्माण	8450
11	ताज गैरिज	प्रो. श्री गुड्डू मिस्त्री	वाहन रिपेयरिंग	8000
12	गांधी इंडस्ट्रीज	प्रो. श्री जोगिन्द सिंह	कृषि उपकरण	6360
13	अग्रवाल ऐजे.	प्रो. के एल अग्रवाल	स्टील फर्नीचर	5040
14	श्रीराम ड्रिलर्स	पा. श्री भोला शर्मा	ट्यूब बैल बोरिंग	11900
15	वर्धमान दाल मिल	पा. श्री अनूप कुमार जैन	दाल निर्माण	8450
16	रूचि प्रोसेसिंग	प्रो. श्री आनन्द जैन	अमोनिया ब्लू प्रिंट	425
17	शरद प्रिंटर्स	प्रो. श्री शरद कुमार पलंदी	प्रिंटिंग प्रेस	2400
18	राज इंड.	प्रो. श्रीमति दलजीत कौर	तरल नील निर्माण	625
19	प्रशांत प्लास्टिक	प्रो. श्री जगदीश अरोरा	पोलिथिन , बैग सीट	1170
20	जैन दाल मिल	प्रो. श्री अमित कुमार जैन	दाल निर्माण	1180
21	पुजारी दाल मिल	प्रो. श्री राजकुमार जैन	दाल निर्माण	5250
22	जसपाल बैटरी	प्रो. श्री जसपाल भाटिया	बैटरी निर्माण	2400
23	सम्राट प्रिंटर्स	प्रो. श्री अनिल कुमार सोनी	प्रिंटिंग प्रेस	715
24	पूरन इंस्ड.	प्रो. श्री अभय कुमार जैन	कैटिल फीड निर्माण	2400

25	अग्रवाल पल्सेस इन्ड.	प्रो. श्रीमति शिखा अग्रवाल	बेसन निर्माण	14300
26	विकास पल्सेस	प्रो. श्री गुलाब चंद जैन	दाल निर्माण	20000

शेड

क.	इकाई का नाम	प्रोपराईटर/पार्टनर	उददेश्य	आवंटित शेड
1	कुन्दन मेटल इंड.	श्री कुन्दन लाल जैन	पीतल वर्तन	3 ब्लाक (शेड क. 1)
2	प्रशांत प्लास्टिक	श्री जगदीश अरोरा	प्लास्टिक थैली निर्माण	2/1 ,2/2(शेड क.2)
3	दमोह पेपर स्टेशनरी	श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर	स्टेशनरी	2/3 (शेड क.2)
4	गांधी इंडस्ट्रीज	श्री जोगिन्दर सिंह	कृषि उपकरण	3/1,3/2 (शेड क.3)
5	अग्रवाल दाल मिल	श्री राकेश कुमार अग्रवाल	दाल निर्माण	3/3 (शेड क.3)
6	अजंता प्रिंटर्स	श्री अजीत कुमार जैन	मल्टीकलर प्रिंटिंग	3ब्लाक (शेड क.4) एवं 5/2 (शेड क. 5)
7	शारदा प्रिंटिंग प्रेस	श्री नारायण सिंह ठाकुर	प्रिटिंग प्रेस	5/1 (शेड क. 5)
8	मीना इंजी.	श्री स्वतंत्र कुमार जैन	इंजीनियरिंग	5/3 (शेड क. 5)

गांधी आश्रम प्रांगण दमोह

क.	इकाई का नाम	प्रोपराईटर/पार्टनर	उद्देश्य	आवंटित भूमि	
				प्लाट क.	क्षेत्रफल (वर्ग फुट)
1	ग्राधी आश्रम	प्रबंधक गांधी आश्रम	तेल घानी	–	27600
2	अन्नपूर्णा पल्सेस	पा. श्री राजकुमार वीरेन्द्र कुमार जैन	दाल निर्माण	5,6	6000
3	मनोज दाल मिल	प्रो. श्री मनोज कुमार जैन	दाल निर्माण	3,4	6000
4	जैन प्लास्टिक इंस्ट्रीज	प्रो. श्री रमेश चंद्र जैन	पी. ब्ही. सी. सूज	16,17	3800
5	मनीश कंडी कोल	प्रो. श्री भजन लाल होड़ा	कोल कंडी	2	3000
6	शरद चाक एवं फेबरी केशन	प्रो. श्री शरद कुमार जैन	चाक एवं फेबरी .	15	1650
7	प्लास्टिक उद्योग	प्रो. श्री किशोरी लाल अग्रवाल	प्लास्टिक	14	1650
8	शिव शक्ति आयरन इंस्ड.	प्रो. श्री अशोक छावड़ा	लुहारी वर्क साप	7	2400
9	विन्द्रावन आयिल मिल	प्रो. श्री कैलाश चंद्र गुप्ता	आयल निर्माण	9,10	3300

10	सिरौठिया आयिल मिल	प्रो. श्री तरूण कुमार सिरौठिया	आयल निर्माण	1,8	5404
11	महावीर दाल उद्योग	प्रो. श्री रूप चंद्र जैन	दाल निर्माण	11,12,13	4950

कचौरा शापिंग सेन्टर दमोह शॉप–कम रेसीडेन्स			
कमांक	आवंटी का नाम	दुकान कमांक	व्यवसाय
1	श्रीमति मोहनी सिंघई	1	टायर वर्क शाप
2	श्री मो. नकीब उल्लाह खान	2	फोटो स्टूडियो फोटो काफी
3	श्री के. के. खत्री	3	स्पेयर पार्ट
4	श्री दिनेश ठाकुर	4	रेडियो रिपेयरिंग एवं इलेक्ट्रिकल्स
5	श्री धरम चंद्र जैन	5	बिजली सामान
6	श्री जोगिन्दर सिंह चावला	6	जुता चप्पल एवं फेंसी स्टोर
7	श्री के. एल. अग्रवाल	7	स्टील फर्नीचर
8	श्री सोमचंद्र जैन	8	एग्री कल्चर सामग्री एवं कूलर

जिले में उपलब्ध रिक्त भूमि की स्थिति निम्नानुसार है:–

क.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम (दमोह से दूरी)	कुल भूमि रकवा	आवंटित भूमि	शेष आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि
1	औद्योगिक संस्थान मारूताल (दमोह से 4 कि.मी. दूर)	230 ऐकड़	निल	230 ऐकड़
2	औद्योगिक प्रक्षेत्र(कल्याणपुरा/रानगिर) (दमोह से 16 कि.मी. दूर)	275 ऐकड़	निल	275 ऐकड़

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, भोपाल

प्रस्तावित पंजियन हेतु निर्देश/चैक लिस्ट

(1) आवेदन बिन्दुवार रूप से स्पष्ट लिपि में भरा होना चाहिए।

(2) आवेदन पत्र प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ही हस्ताक्षरित होना चाहिए।

(3) उत्पाद की वार्षिक क्षमता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

(4) इकाई के गठन में पार्टनरशिप डीड / फार्म रजिस्ट्रेशन / कंपनी पंजीयन / मेमारेंडम ऑफ आर्टिकल एण्ड एसोसिएशन जो भी लागू हो । एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेसूलेसन की प्रति ।

(5) इकाई जहॉ पर स्थापित की जा रही है, उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

(6) योजना की प्रति प्रोजेक्ट रिपोर्ट – यदि परियोजना लागत रू 40 लाख से अधिक हो।

(7) यदि इकाई द्वारा कोई ऐसा प्रतिबंधित उत्पाद निर्माण प्रस्तावित है जिसके लिये केन्द्र / राज्य शासन के नियम अधिनियम के तहत् पुर्वानुमति आवश्यक है तो ऐसी अनुमति, आनापित्त आदि की प्रति।

(8) सभी दस्तावेज स्वाहस्ताक्षरित होना चाहिए।

प्रबंधक

(सूचना/लघु उद्योग कक्ष)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दमोह

मध्यप्रदेश सरकार

उद्योग निदेशालय

ΓΟςΕΡΝΜΕΝΤ ΟΦ ΜΑΔΗΨΑ ΠΡΑΔΕΣΗ
ΔΙΡΕΧΤΟΡΑΤΕ ΟΦ ΙΝΔΥΣΤΡΙΕΣ

लघु उद्योग के रुप में प्रस्तावित पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र

ΑΠΠΛΙΧΑΤΙΟΝ ΦΟΡΜ ΦΟΡ ΠΡΟςΙΣΙΟΝΑΛ ΡΕΓΙΣΤΡΑΤΙΟΝΣ ΑΣ ΣΜΑΛΛ ΣΧΑΛ
Ε ΙΝΔΥΣΤΡΙΕΣ

(दो प्रतियों में भरा जायेगा)

(TO BE FILLED DUPLICATE)

निर्देश

Ινστρυχτιονσ

1. साफ-साफ अक्षरों में लिखें/टंकित करें
   Ωριτε/τψπε ιν βλοχκ (χαπιταλ λετερσ.)

2. जो लागू हो उसे भरें
   Φιλλ υπ ωηιχηεϖερ ισ αππλιχαβλε

3. खाने भरते समय (कम्प्यूटराईजेशन में सहायता हेतु) अंग्रेजी वर्णमाला/अरबी अंकों का प्रयोग करें। प्रत्येक शब्द के बाद एक खाना खाली छोड़े।
   Υσε Ενγλιση αλπηαβετσ/Αραβιχ νυμβερσ ωηιλε φιλλινγ υπ βλοχκσ (το τηε χομπυτερισατιον) Λεαϖε ο νε βλανκ αφτερ εαχη ωορδ.

4. आवेदन भरते समय नीचे दी गई विधि का उपयोग करें :
   Ωηιλε φιλλινγ τηε φορμ, υσε τηε φολλοωινγ προχεδυρε:

(ι) इकाई का नाम उदाहरणार्थ कमल एण्टरप्राइजेज/ जी.के. एण्टरप्राइजेज
Ναμε οφ υνιτ ε.γ. ΚΑΜΑΛ ΕΝΤΕΡΠΡΙΣΕΣ/Γ.Κ.ΕΝΤΕΡΠΡΙΣΕΣ

K	A	M	A	L		E	N	T	E	R	P	R	I	S	E	S	

G	K			E	N	T	E	R	P	R	I	S	E	S					

(ιι) पिन कोड : उदाहरणार्थ - 110041
ΠΙΝ Χοδε : ε.γ. 110041

1	1	0	0	4

(ιιι) दिनांक : उदाहरणार्थ 23 जून 1959
Δατε : ε.γ. 32ρδ ϑυνε 1959

2	3	0	6	5

(ιϖ) परिमाण (कि.ग्रा.) : उदाहरणार्थ 90 कि.ग्रा.
Θυαντιτψ (Κγ) : ε.γ. 90 Κγ

0	0	0	0	9

(ϖ) राशि (हजार रुपयों में) उ
Αμουντ (Ρσ. ιν τηουσανδσ) ε.γ. Ρσ. 5000/–

0	0	0	0

रुपये/Ρσ.10–00

जहाँ लागू हो सही कोड खानों में भरें :
Φιλλ υπ αππροπριατε χοδεσ ιν τηε βλοχκσ ωηερεϖερ αππλιχαβλε.

उदाहरण - 1 : हाँ-1 नहीं-2 ला.न.-3
Εξαμπλε – 1 : Ψεσ–1 Νο–2 ΝΑ–3

[illegible]

यदि लागू न हो तो भरें–3
ιφ NA φιλλ υπ–3

उदाहरण – 2 : श्रेणी : ल.उ.–1, सहा–2
Εξαμπλε – 2 : Χατεγορψ : ΣΣΙ–1, Ανχ–2

अतिलघु–3, ल.से.व्य.उ.–4,नि.इ.–5
Τινψ – 3, ΣΣΣΒΕ– 4, ΕΟΥ – 5,

यदि अति लघु हो, तो भरें–3
Ιφ Τινψ φιλλ υπ – 3

5. चिन्हांकित (*) खाने कार्यालय द्वारा भेजे जाएँगे :
Βλοχκ/βοξεσ μαρκεδ (*) αρε το βε φιλλεδ βψ οφφιχε

6. आवेदक सभी प्रतियों पर हस्ताक्षर करें।
Αππλιχαντ σηουλδ σλγν αλλ χοπιεσ.

प्रयुक्त संक्षिप्तीकरण

ल.उ.	:	लघु उद्योग	नि.इ.	:	निर्यातपरक इकाई
सहा.	:	सहायक उद्योग	ला.न.	:	लागू नहीं
ल.से.व्य.उ.	:	लघु सेवा व्यवसाय उद्यम			

Αββρεϖιατιονσ υσεδ :

ΣΣΙ	:	Σμαλλ Σχαλε Ινδυστριεσ.
ANX	:	Ανχιλλαρψ Ινδυστριαλ υνδερτακινγ
ΣΣΣΒΕ	:	Σμαλλ Σχαλε Σερϖιχε ανδ Βυσινεσσ Εντερπρισε
ΤΙΝΨ	:	Τινψ Εντερπρισε
ΕΟΥ	:	Εξπορτ Οριεντεδ Υνιτ
NA	:	Νοτ Αππλιχαβλε

1. इकाई/आवेदक का नाम
Name of the Unit/Applicant:

2. संपर्क के लिए पता
Address of Communication

दूरभाष
Tel:

पिन
Pin:

3. इकाई की श्रेणी
Category of Unit

ल.उ.-1 सहा-2 ल.से.व्य.उ.-3 अतिलघु-4 नि.इ.-5
SSI-1, ANC-2, SSSBE-3, TINY-4, EOU-5

4. स्थल Location

स्थान/नगर Place/Town

तहसील/तालुक Tehsil/Taluk

जिला District

राज्य State

5. संगठन का प्रकार :
Type of Organisation :

स्वामित्व-1, भागीदारी-2, निजी कम्पनी-3, सहकारी-4, अन्य-5
Proprietory-1, Partnership-2, Pvt. Company-3, Cooperative-4, Others-5

6. कार्यकलाप की प्रकृति :
Nature of activity :

विनिमार्ण/एकत्रीकरण	(01)	Manufacturing/Assembling	(01)
प्रोसेसिंग	(02)	Processing	(02)
जॉब वर्क	(04)	Job Work	(04)
मरम्मत/सर्विसिंग	(08)	Repairing/Servicing	(08)

टीप: एक से अधिक कार्यकलाप होने पर, कार्यकलापों के संबंधित कोड क्रमांकों को जोड़ कर वांछित कोड प्राप्त करें।
Note: For any combination of activities, add the respective codes to get the required code.

7. निर्मित होने वाली मुख्य वस्तुएँ/कार्यकलाप
Main items of manufacture/activities

i) नाम Name

कोड Code

ii) नाम Name

कोड Code

iii) नाम Name

कोड Code

iv) नाम Name

कोड Code

v) नाम Name

कोड Code

7. अचल परिसम्पत्तियों में पूंजी निवेश (रू. 000 में)
Investment inFixed assets (Rs. in 000) :

i) भूमि Land

ii) भवन Building

iii) यंत्र-संयंत्र Plant and Machinery

iv) अन्य अचल परिसम्पत्तियाँ Other fixed assets

योग Total

9. यंत्र-संयंत्र में पूंजी निवेश
(मूल मूल्य रु. 000 में)

टीप: वस्तुएँ जिनका मूल्य पूंजी निवेश की गणना करते समय नहीं जोड़ा गया, को छोड़ दिया जाए। यदि यंत्र-संयंत्र में पूंजी निवेश रु.40 लाख से अधिक हो तो कृपया प्रोजेक्ट प्रोफाइल संलग्न करें।

Note: Should exclude items whose value is not taken into account while computing the investment. Please enclose project profile in case value of investment in Plant and Machinery exceeds Rs. 40 Lacs.

10- विद्युत भार Power Load :

(1 अश्वशक्ति = 0.795 कि.वा.) — अ.श. HP

(1 H.P. = 0.795KW) — कि.वा. KW

11. रोजगार Employment:

i) प्रबंधकीय और कार्यालय स्टॉफ Managerial & office staff

ii) पर्यवेक्षकीय और कर्मचारी Supervisory and Workers

12. उत्पादन प्रारंभ दिनांक (अनुमानित)
Date of commencement of production (estimated):

दिनांक
Date

आवेदक के हस्ताक्षर
(प्राधिकृत व्यक्ति)
Signature of Applicant
(Authorised Person)

स्वामी/भागीदार/प्रबंध निदेशक का नाम
Name of proprietor/partner/managing director

केवल कार्यालय उपयोग हेतु
FOR OFFICE USE ONLY

आवेदन पत्र क्रमांक :
Application No. ☐☐☐☐

एन.आई.सी. कोड:
NIC Code: ☐☐☐☐

ब्लाक कोड :
Block Code : ☐☐

जिला कोड:
District: ☐☐

राज्य कोड
State Code: ☐☐

इकाई का स्थल :
Location of Unit : ☐

(उपयुक्त-1, अनुपयुक्त-2)
(Conforming-1, Non Conforming-2) ☐

क्या निर्मित होने वाली वस्तु/कार्याकलाप के लिए औद्योगिक अनुज्ञा-पत्र की आवश्यकता है। हॉं-1, नहीं-2
Whether the items of manufacture/activity require an industrial licence. Yes-1, No-2

(अनुज्ञा पत्र संबंधी अधिसूचना दि. 25/07/1991 की अनुसूची ।। में सूची बद्ध वस्तुओं के लिए औद्योगिक अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी यदि इकाई में 50 / 100 से कम (शक्ति चलित होने/नहीं होने पर) व्यक्ति कार्यरत हों)

(No industrial licence is required for items listed in Schedule II of the licencing notification dated 25/07/1991 if the unit employs less than 50/100 workers with/without power)

प्रस्तावित पंजीयन प्रमाण-पत्र
PROVISIONAL REGISTRATION CERTIFICATE

आवेदन पत्र इकाई के लघु सेवा व्यवसाय उद्यम के रुप में प्रस्तावित पंजियन हेतु आवेदन पत्र में दर्शाइ गई वस्तुओं/कार्यकलापों के लिए स्वीकार किया जाता है।

The application is accepted for Provisional Registration as SSI/SSSBE unit of the manufacture of items/activities as dated in the application form.

प्रस्तावित पंजियन क्रमांक :
Provisional Registration No. : ☐☐☐☐☐☐☐☐

जारी करने की दिनांक :
Date of Issue : ☐☐☐☐☐☐

इकाई की श्रेणी (अनु क्रमांक-3) :
Category of Unit (S. No. 3)

हस्ताक्षर
SIGNATURE
पंजिकरण प्रधिकारी का नाम व पदनाम
NAME & DESIGNATION OF REGISTERING AUTHORITY

1. पृष्ठांकित आवेदन पत्र पंजीयन प्रमाण पत्र भाग है।
The endorsed application form is part of the certificate of registration.

2. प्रस्तावित पंजीयन जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा।
The provisional registration is valid for a period of five years from the date of issue.

3. प्रस्तावित पंजीयन वैधता समाप्त होने पर अथवा उत्पादन प्रारंभ दिनांक से (जो पहले हो) स्वमेव निरस्त हो जाएगा।
The provisional registration will automatically lapse at the end of the validity period or the date of commencement of production, whichever is earlier.

4. यदि आवेदक / इकाई वैधता अवधि में इकाई स्थापित करने में असमर्थ रहता है तो आवेदक / इकाई के पास विकल्प होगा कि यह प्रक्रिया का उपयोग करते हुए नए प्रस्तावित पंजीयन के लिए आवेदन करें।
If an applicant/unit is unable to set up the unit within the validity period, the applicant/unit has the option to apply a fresh for provisional registration using standard procedure.

5. प्रस्तावित पंजीयन इसलिए दिया जा रहा है ताकि इकाई उत्पादन पूर्व की स्थिति में आवश्यक सुविधाऐं / अनुमति आदि प्राप्त करने में समर्थ हो सकें।
The provisional registration is give to enable the unit to obtain all facilities/clearances etc. required in the preproduction stage.

6. प्रस्तावित पंजीयन पंजीकरण प्रधिकारी द्वारा लागू किसी एक अथवा सभी शर्तो के अंतर्गत किया गया है।
The provisional registration is subject to any or all conditions that may be imposed by the registering Authority.

कोयले की आवश्यकता हेतु आवेदन-पत्र

प्रतिवेदित अवधि दिनांक .... से दिनांक .... तक

1. इकाई का नाम व पता ....

2. स्वामी/भागीदार /संचालक का नाम ....

3. लघु उद्योग पंजीयन/ डीजीटीडी पंजीयन क्र0 व दिनांक ....

4. कोल/कोक की आवश्यकता:-

पंजीकृत क्षमता	कोल की वार्षिक आवश्यकता	इकाई की मांग

5. उत्पादन का विवरण :-

विगत पाँच वर्षो का उत्पाद का नाम	उत्पादित वस्तु की मांग	उपयोग किये गये कोल/कोक की मात्रा

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करता हूं कि द्वारा मांगी गई कोल की मात्रा उत्पादन हेतु पर्याप्त है एवं इसका उपयोग औद्योगिक प्रयोजन हेतु ही करूंगा/ करूंगी

अनुशंसा टीप

इकाई द्वारा .... मे.टन कोल/कोक की मांग की गई है इस कार्यालय अभिमत से .... मे.टन ग्रेड कोल/कोक उनके द्वारा पंजीकृत क्षमता । उत्पादन तथा उनके पास उपलब्ध प्लांट, मशीनरी एवं साधन के अनुसार उनकी क्षमता हेतु पर्याप्त है। अतः इकाई को तदनुसार कोल/कोक की अनुशंसा दी जाती है।

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सागर

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सागर

– लघु उद्योगों हेतु सरलीकृत प्रक्रिया –

<u>चैक लिस्ट</u>

1. आवेदन निर्धारित प्रपत्र के सभी कालम में जानकारी पूर्ण भरी हो ।
2. निर्मित किये जाने वाले उत्पाद का नाम ।
3. उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल का नाम ।
4. प्रतिदिन कोल/डीजल आइल की खपत की मात्रा ।
5. प्रतिदिन पानी की आवश्कता एवं निष्कासित जल की मात्रा ।
6. उत्पाद के निर्माण प्रक्रिया की जानकारी ।
7. कार्य स्थल का मानचित्र ।
8. नगर/निगम ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र ।
9. इकाई द्वारा वायु प्रदूषण की जानकारी एवं उसके अति पास अन्य प्रदूषण कारी इकाई की जानकारी ।

प्रपत्र -'क'

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति पत्र प्राप्त करने संबंधी लघु लद्योगों के लिये सरलीकृत आवेदन-पत्र

1. उद्योग का नाम

2. स्थान एवं स्थिति का मानचित्र

3. पत्र व्यवहार हेतु पता

4. (क) उत्पाद का नाम एवं क्षमता

   (ख) कच्चे माल का नाम एवं उसकी खपत

5. निर्माण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण

6. (क) क्या प्रक्रिया में पानी उपयोग में आता है ?

   (ख) यदि हां तो निस्सारित जल की दैनिक मात्रा ?

7. (क) क्या औद्योगिक प्रक्रिया में ईधन की आवश्यकता पड़ती है ?

   (ख) यदि हां, तो ईधन का नाम एवं दैनिक खपत की मात्रा ।

8. क्या उद्योग द्वारा किसी प्रकार के प्रदूषण की संभावना है ?

   (क) जल प्रदूषण/औद्योगिक निस्राव

   (ख) वायु प्रदूषण

   1. सस्पेंडेड पार्टिकलेट मेटर (धुलकण)

   2. रसायन एवं गैस

   3. शोर

   4. गंध

   (ग) ठोस अपशिष्ट

9. प्रस्तावित उपचार संयंत्र विधि घरेलू रिसाव का पानी/वायु प्रदूषण/ध्वनि प्रदूषण/ठोस अपशिष्ट के निस्राव हेतु ।

10. क्या स्थानीय संस्थायें जैसे नगर पालिकायें तथा ग्राम पंचायत से उद्योग चलाने हेतु अनुमति ली गई ।

11. क्या उपयोग द्वारा स्थल चयन हेतु उद्योग विभाग, से अनुमति ली गई है ?

12. मै शपथ पूर्वक कथन करता हॅू कि

    1. उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान से सही है ।

    2. यदि उद्योग किसी प्रकार से जल/वायु प्रदूषणकारी होता है, तो मैं वचन देता हूॅं कि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सम्मति लेने हेतु मैं बाध्य होउंगा तथा उनकी शर्तो के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचार संयंत्र लगाउंगा तथा उसे संधारित एवं कार्यरत रखूंगा।

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, दमोह

क्रमांक:जिउकेभी /ल0उ0/2002/ दमोह, दिनांक ....

अभिस्वीकृति पत्र

मेसर्स ....

...., सागर का आवेदन-पत्र शासन द्वारा निर्धारित सरलीकृत प्रक्रिया अंतर्गत मान्य करते हुए। म.प्र. आवास एवं पर्यावरण विभाग का आदेश क्रमांक : एफ-5/15/32/94, दिनांक 30-04-94 द्वारा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण (अधिनियम 1994 एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981) के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

यह सम्मति उद्योग के उत्पादन ....

.... प्रतिवर्ष के लिये मान्य होगी। जब तक उद्योग एक लधु श्रेणी के रूप में कार्य करता रहेगा। उपरोक्त सम्मति मान्य रहेगी। यद्यपि उत्पाद, क्षमता अथवा प्रक्रिया में कोई परिवर्तन किया जाता है तो म.प्र. नियंत्रण के समक्ष पुनः नवीन आवेदन करना होगा। ऐसी स्थिति में उत्पादन प्रारंभ करने के तीन माह पश्चात् स्वमेव निरस्त मान्य होगा।

प्रदूषण निवारण मंडल संबंधित नियमों के तहत् उद्योग के निरीक्षण के अधिकार बोर्ड/कार्यालय के पास सुरक्षित होंगें।

अगर उद्योग से प्रदूषण की समस्या होगी तो बोर्ड/कार्यालय सम्मति को अस्थगित अथवा निरस्त कर सकेगा इसके अतिरिक्त बोर्ड/कार्यालय द्वारा नियमानुसार अन्य वैद्यानिक कार्यवाही इकाई के विरूद्ध की जा सकेगी।

महाप्रबंधक

जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, दमोह

दमोह दिनांक :-

पृ0 क्र0 जिउकेभो/लउ/2002

प्रतिलिपि :-

1- मेसर्स ....

2- क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल तिली रोड, सागर ।

महाप्रबंधक

जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, सागर

मध्यप्रदेश सरकार

उद्योग संचालनालय

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
DIRECTORATE OF INDUSTRIES

लघु उद्योग के रुप में स्थाई पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र

(तीन प्रतियों में भरा जायेगा)

APPLICATION FORM FOR PERMANENT REGISTRATION AS SMALL SCALE INDUSTRIES

(TO BE FILLED TRIPLICATE)

निर्देश

Instructions

1. साफ-साफ अक्षरों में लिखें/टंकित करें
   Write/type in block (capital letters.)
2. जो लागू हो उसे भरें
   Fill up whichever is applicable
3. खाने भरते समय (कम्प्यूटराईजेशन में सहायता हेतु) अंग्रेजी वर्णमाला/अरबी अंकों का प्रयोग करें। प्रत्येक शब्द के बाद एक खाना खाली छोड़े।
   Use English alphabets/Arabic numbers while filling up blocks (to the computerisation) Leave one blank after each word
4. आवेदन भरते समय नीचे दी गई विधि का उपयोग करें :
   While filling the form, use the following procedure:

(i) इकाई का नाम उदाहरणार्थ कमल एण्टरप्राइजेज/ जी.के. एण्टरप्राइजेज
Name of unit e.g. KAMAL ENTERPRISES/G.K.ENTERPRISES

K	A	M	A	L		E	N	T	E	R	P	R	I	S	E	S				

G	K			E	N	T	E	R	P	R	I	S	E	S						

(ii) पिन कोड : उदाहरणार्थ - 110041
PIN Code : e.g. 110041

1	1	0	0	4

(iii) दिनांक : उदाहरणार्थ 23 जून 1959
Date : e.g. 23rd June 1959

2	3	0	6	5

(iv) परिमाण (कि.ग्रा.) : उदाहरणार्थ 90 कि.ग्रा.
Quantity (Kg) : e.g. 90 Kg

0	0	0	0	9

(v) राशि (हजार रुपयों में) उदाहरणार्थ रू-5000/-
Amount (Rs. in thousands) e.g. Rs.5000/-

0	0	0	0

जहाँ लागू हो सही कोड खानों में भरें :
Fill up appropriate codes in the blocks wherever applicable.

उदाहरण - 1 : हाँ-1 नहीं-2 ला.न.-3
Example - 1 : Yes-1 No-2 NA-3 [3]
यदि लागू न हो तो भरें-3
if NA fill up-3

उदाहरण - 1 : श्रेणी : ल.उ.-1, सहा-2
Example -2 : Category : SSI-1, Anc-2 [3]
अतिलघु-3, ल.से.व्य.उ.-4,नि.इ.-5
Tiny - 3, SSSBE - 4, EOU - 5
यदि अति लघु हो, तो भरें - 3

If Tiny fill up - 3

5. चिन्हांकित (*) खाने कार्यालय द्वारा भेजे जाएँगे :
   Block/boxes marked (*) are to be filled by office
6. आवेदक सभी प्रतियों पर हस्ताक्षर करें।
   Applicants should sign all copies

रुपये/Rs.10.00

प्रयुक्त संक्षिप्तीकरण

ल.उ.	:	लघु उद्योग	नि.इ.	:	निर्यातपरक इकाई
सहा.	:	सहायक उद्योग	ला.न.	:	लागू नहीं
ल.से.व्य.उ.	:	लघु सेवा व्यवसाय उद्यम			

Abbreviations Used:

SSI	:	Small Scale Industries
ANC	:	Ancillary Industrial Undertaking
SSSBE	:	Small Scale Service and Business Enterprise
TINY	:	Tiny Enterprises
EOU	:	Export Oriented Unit
NA	:	Not Applicable

प्रपत्र
FORM

आवेदन की प्रति
APPLICANT COPY

1. प्रस्तावित पंजीयन क्रमांक
Provisional Registration No.

2. जारी होने की तिथि
Date of Issue.

3. उत्पादन प्रारंभ दिनांक
Date of Commencement of Production

4. इकाई / आवेदक का नाम
Name of Unit/Application

5. पत्र व्यवहार का पता
Address for Communication.

दूरभाष
Tel:

पिन
Pin:

6- bdkbZ dh Js.kh
Category of Unit

ल.ड. - 1 सहा. - 2 ल. से व्य. - 3
SSI - 1, ANC - 2, SSSBE - 3
अति लघु - 4 नि.इ. - 5
TINY - 4, EOU - 5

7. स्थल
Location

स्थान/नगर
Place/Town

तहसील/तालुक
Tehsil/Taluk

जिला
District

राज्य
State

8. स्थल का क्षेत्र
Area of Location

ग्रामीण - 1 शहरी - 2 महानगरीय - 3
Rural-1, Urban-2, Metropolitan-3

9- संगठन का प्रकार

Type of Organisation

स्वामित्व - 1 भागीदारी - 2 निजी कंपनी - 3

Proprietory-1, Partnership-2, Pvt.company-3

सहकारी - 4 अन्य - 5

Cooperative-4, other-5

10. कार्यकलाप का प्रकार

Nature of activity

निर्माण/एकत्रीकरण - 01

Manufacturing/Assembly

संसाधन - 02

Processing

जाब वर्क - 04

Job work

मरम्मत / रखरखाव - 08

Repairing/Servicing

11. निर्मित होने वाली मुख्य वस्तुएं / कार्यकलाप

(क्षमता का विवरण परिशिष्टि ''अ'' में भरा जाये)

Main items of manufacture / activities.

(Details of capacity to be furnished in Appendix 'A')

(i) नाम

Name

कोड

Code

(ii) नाम

Name

कोड

Code

(iii) नाम

Name

कोड

Code

(iv) नाम

Name

कोड

Code

(v) नाम

Name

कोड

Code

12. अचल परिसम्पतियों में पूंजी निवेश (रूपये 000 में)

Investment in Fixed assets (Rs.in '000')

(i) भूमि

Land

(ii) भवन

Building

(iii) यंत्र-संयंत्र

Plant and Machinery

(iv) अन्य अचल परिसम्पतियाँ

Other Fixed assets

योग

Total

13. यंत्र-संयंत्र में पूंजी निवेश

Investment in Plant Machinery

(मूल मूल्य रूपये 000 में)

(Original value Rs. in '000')

(विवरण परिशिष्ट ''ब'' में भरा जावे)

(Details to be furnished at Appendix 'B')

14. कच्चे माल की आवश्यकता

Raw Material requirement

नाम Name	वस्तु कोड Item Code	आयातित-1 Imported-1 स्वदेशी-2 Indigenous - 2	वार्षिक खपत मूल्य (रूपये 000 में) Annual Consumption Value (Rs. in '000)
(i)			
(ii)			
(iii)			
(iv)			
(v) अन्य कच्चामाल Other Raw Materials			

योग (i) से (v) तक

Total (i) to (v)

15. उर्जा का स्त्रोत

Source of Power

कोयला - 01 Coal - 1 | तेल - 02 Oil - 2 | एल.पी.जी. - 04 LPG - 04 | विद्युत -08 Electricity -08

गैर परंपरागत उर्जा - 16 Non-Conventional energy - 16 | परम्परागत उर्जा/जलाउ लकड़ी -32 Traditional energy/Firewood-32

16. विद्युत भार

(1 अ.श. = 0.795 कि.वॉ.) ______ अ.श. H.P.

Power Load कि.वॉ. K.W.

(1 H.P. = 0.795 K.W.)

17. रोजगार

Employment

(i) प्रबंधकीय और कार्यालय स्टाफ

Managerial & Office Staff

(ii) पर्यवेक्षकीय और कर्मचारी

Supervisory and Workers

18. क्या फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है।

Whether Registered under Factories Act.

हाँ - 1 Yes - 1

नहीं - 2 No - 2

19. आवेदक का परिचय

Applicant's Profile

पुरूष - 1 Male-1	महिला - 2 Female- 2		☐
अ.जा. - 1 SC-1	अ.ज.जा. - 2 ST-2		
स्नातक अभियंता - 1 Engineering Graduate-1	अन्य स्नातक - 2 Other Graduate-2	अन्य - 3 Other-3	☐

आवेदक के हस्ताक्षर

Signature of Applicant

दिनांक

Date : ☐☐☐☐☐☐

स्वामी/भागीदार/प्रबंध निदेशक का नाम

Nameof Proprietor / Partner/ Managing Director

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

FOR OFFICE USE ONLY

आवेदन पत्र क्रमांक
Application No. | | | | | |

एन.आई.सी. कोड
NIC Code | | | | |

ब्लाक कोड
Block Code | | |

जिला कोड
District Code | | |

राज्य कोड
State Code | | |

क्या निर्मित होने वाली वस्तुओं/कार्यकलापों के लिए औद्योगिक अनुज्ञा पत्र आवश्यक है। हाँ–1 नहीं–2

Whether the items of manufacture/activity requirean industrial licence. Yes-1 No-2

(लाइसेंसिंग अधिसूचना दिनांक 25–7–91 की अनुसूची ।। में सूचीबद्ध वस्तुओं के लिए औद्योगिक अनुज्ञा पत्र आवश्यक नहीं होगा यदि इकाई में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 50/100 शक्तिचलित होने/न होने पर से कम हैं।)

(No Industrial licence is requiredfor items listed in Schedule II of the licencing notification dated 25-7-1991 if the unit employs less than 50/100 workers with/without power)

पंजीयन प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

यह इकाई आवेदन पत्र में दर्शाये अनुसार और सारांश में नीचे अंकित वस्तुओं/कार्यकलापों के लिए लघु सेवा व्यवसाये उद्यम के रूप से पंजीकृत है।

The unit is permanently registered as a SSI/SSSBe unit for the manufacture of items/activites as stated in the application from and briefly noted below. :

निर्मित होने वाली वस्तुयें/ कार्यकलाप (सरल क्रमांक II और परिशिष्ट – ''अ'')

Item of manufacture/activity (S.No. II & Appendix -A)

1.

2.

3.

4.

5.

यंत्र–संयंत्र में पूंजी निवेश (सरल क्रमांक 13 व परिशिष्ट–ब)

Investment in Plant and Machinery (S.No.13 & Appendix-B)

रु. 000 में
Rs. in '000' | | | | | |

स्थायी पंजीयन क्रमांक
Permanent Registration No. | | | | | | | | | |

जारी होने की तिथि
Date of Issue: | | | | | | |

इकाई की श्रेणी: (सरल क्रमांक 6)
Category of unit (S.No. 6)

अति लघु उद्योगों के लिए

FOR TINY ENTERPRISES:

यह इकाई लघु उद्यम के रूप में पंजीकृत है और इसका ''लघु उद्यम''के रूप में स्तर .... तक वैध है।

The unit is a tiny enterprise and its status as "tiny enterprise"is valid upto ....

वैधता ....तक बढ़ाई गई ।

Validity is extended upto.......................

वैधता ....तक बढ़ाई गई ।

Validity is extended upto.......................

हस्ताक्षर

Signature:

दिनांक पंजीकरण प्राधिकारी का नाम/पदनाम

Date: Name & designation of Registering Authority

1. पृष्ठांकित आवेदन पत्र पंजीयन प्रमाण पत्र का भाग है।

   The endorsed application form is a part of the certificate of registration.

2. यह प्रमाण पत्र सरल क्रमांक 11 और परिशिष्ट-''अ'' में अंकित वस्तुओं/कार्यकलापों के लिए वैध है और इकाई द्वारा बनाई जाने वाली अन्य वस्तुओं / की जाने वाली गतिविधियों के लिए भी वैध है।

   The certificate is valid for the items of manufacture/activity noted at S.No. 11 and Appendix A and is also valid for any other item/activity undertaken by the unit.

3. लघु उद्यम के रूप में प्रत्येक पांच वर्ष में स्तर का पुष्टीकरण निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पुर्नर्वेधित/नवीनीकृत किया जायेगा।

   Conferment of the status as a tiny enterprise is to be validated/renewed everyfive years as per procedure prescribed.

4. प्रमाण पत्र पंजीयन के लिए दिए गए आवेदन के संदर्भ में दिए गए शपथ पत्र की शर्त पर दिया गया है।

   The certificate is subject to the affidavit furnished by the applicant in respect of the application for registration.

5. यह प्रमाण पत्र पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा लगाई गई किसी एक/सभी शर्तो के अंतर्गत है।

   The certificate is subject to any or all the conditions that may be imposed by the Registering Authority.

6. यदि आवेदक द्वारा दिया गया घोषणा पत्र-शपथ पत्र सही नहीं पाया जाता है अथवा पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है अथवा पूंजी निवेश निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है तब बिना किसी पूर्व सूचना के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त/विलोपित माना जाएगा।

   If at any time it is found that the declaration / affidavit furnished by the applicant is not true or in the event of violation of any of the conditions imposed by registering authority, or if the investment exceeds the prescribed limits, the registration certificate is liable to be cancelled / quashed without any prior notice.

7- यह प्रमाण पत्र किसी भी वैधानिक आवश्यकता या तात्कालिक रूप से प्रभावशील किसी भी नियम के अंतर्गत लागू किसी शर्त के संदर्भ में साक्ष नही माना जा सकता है और न ही आवेदक को कोई अधिकार प्रदत्त करता है। इस प्रकार की आवश्यकताओं अथवा शर्तो की संतुष्टि और पूर्ति का उत्तरदायित्व आवेदक/इकाई पर होगा।

This certificate does not confer or accrue any right to the applicant and cannot be treated as proof in respect of any statutory requirement or condition that may exist under any law for the time being inforce. The onus of satisfying and fulfilling such requirements or conditions rests squarely on the applicant/unit.

8- यंत्र-संयंत्र की सूची में वृद्धि/विलोपन और इसके फलस्वरूप पूंजी निवेश के पुनरीक्षित मूल्य और/अथवा इकाई के संगठन या स्थल में किसी प्रकार का परिवर्तन के निवेदन करने पर प्रमाणिकरण के लिए संलग्न अतिरिक्त प्रपत्र पर किया जाएगा।

Additions/deletions in the list of plant of Machinery and the revised investment value thereof and/or any changes in the constitution or location of the unit should be made in the additional sheets appended to the certificate on the request of the applicant.

पंजीयन प्रमाण-पत्र
CERTIFICATE OF REGISTRATION
अतिरिक्त पत्र - 1
ADDITIONAL SHEET-1

पंजीयन क्रमांक

Registration no.

जारी होने की तिथि

Dateof Issue.

यंत्र-संयंत्र में वृद्धि/विलोपन

Addition/deletion in Plant & Machinary

स.क्र. S.No.	मशीनरी का नाम Name of Machinery	सम्मिलित/विलोपित Added/deleted	मूल/मूल्य (000 मे) Original value Rs. in '000'
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

यंत्र-संयंत्र का पुनरीक्षित मूल्य (सरल क्रमांक 14)

Revised value of investment
In Plant & Machinery (S.No.14)

स्थल परिवर्तन (सरल क्रमांक 7)

Change in location: (S.No.7)

संगठन/संगठन के प्रकार में परिवर्तन।
(सरल क्रमांक 9)

Change on constitution/type of organisation:
(S.No. 9)

हस्ताक्षर

Signature

दिनांकः

पंजीकरण प्राधिकारी का नाम व पदनाम

Date:

Name & designation of
Registering Authority

परिशिष्ट – अ

Appendix -A

(रूपये '000' में) Value in Rs. '000'

उत्पाद कोड Product Code	मात्रा की इकाई Unit of Quality	इकाई कोड Unit Code	वार्षिक क्षमता Annual Capacity	
			मात्रा Quantity	मूल्य Value
3	4	5	6	7
x	x	x	x	x
x	x	x	x	
	x	x	x	
	x	x	x	
	x	x	x	
x	x	x	x	
x	x	x	x	

एक से अधिक के लिए संबंधित कोड क्रमांक को जोड़े
For any combination, add the respective codes

क्र. Sl. No.	निर्मित/एसेम्बल्ड उत्पाद सह उत्पाद व दी गई सेवाएं Product & by-products manufactured/ Assembled & services sold
1	2
01	निर्माण/एकत्रिकरण Manufacturing/assembly
02	
03	
04	
05	अन्य उत्पाद व सह उत्पाद (सम्मिलित) Other prd & by-prd .(comb.)
06	योग (1 से 5 तक) Total (1 to 5)
07	संसाधन Processing
08	
09	
10	अन्य (समलित) Others (Combined)
11	योग (7 से 10) Total (7 to 10)
12	जॉब वर्क Job Work
13	रख रखाव Servicing
14	मरम्मत Repairing
15	योग (12 से 14 तक) Total (12 to 14)
16	महायोग (6+11+15) Grand Total

परिशिष्ट –ब
Appendix -B

यंत्र–संयंत्र का विवरण
Details of Plant and Machinery

क्रमांक SI.	मशीनरी का नाम Name of the Machinery	संख्या No.	आयतित–1 Imported-1 स्वदेशी–2 Indigenous-2	मूल्य (मूल मूल्य) Cost (original value) रू. 000 में Rs. in '000'
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

लघु उद्योग के रूप में स्थायी पंजीयन हेतु

शपथ-पत्र

AFFIDAVIT FOR PERMANENT REGISTRATION AS
SMALL SCALE INDUSTRIES

प्रारूप

FORMAT

मैं/हम आत्मज/आत्मजा/पत्नि/विधवा

I/We son/daughter/wife/widow of

निवासी एतद्द्वारा

Resident of do hereby solemnly

स्वीकार करता हूँ/करते हैं और निम्नानुसार घोषणा करता हूँ/करते हैं।

Affirm and declare as under:

1. मैंने/हमने आवेदन-पत्र दिनाँक ………………………………. इकाई के लघु उद्योग/सहायक उद्योग/अतिलघु/ निर्यात पर इकाई/लघु सेवा व्यवसाय उद्यम के रूप में स्थायी पंजीयन हेतु दिया हैं।

   That I/We have submitted an application dated ……………………………….for permanent registration of the unit as small scale/ancillary/tiny/export oriented unit/Small Scale Service and Business enterprise.

2. मैं/हम इकाई के स्वामी/भागीदार/प्रबंध निदेशक हूँ/हैं जिसका नाम और पता नीचे दिया हैं।

   That I/We am/are proprietor(s)/partner(s)/Managing Director of the unit whose name and address is given below: -

नाम

Name :

पता

Address :

3. आवेदन-पत्र में भरे गये सभी विवरण तथ्यात्मक और सही हैं।

   That all particulars furnished in the application form are factual and correct

4. इकाई का स्थल तात्कालिक रूप से प्रभावशील किसी भी स्थल संबंधी निषेधों का उल्लघन नहीं करता हैं और मैंने/हमने सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक स्थल संबंधी अनूमति प्राप्त कर ली हैं।

   That the location of the unit does not violate any locational restrictions for the time being in force and that I/We have obtained the necessary locational clearances from the competent authority.

5. मैंने/हमने प्रभावशील नियमो, अधिनियमों और नियमो के अंतर्गत किए जाने वाले निर्माण/कार्यकलाप के लिए सभी वैधानिक अनुमतियॉं/अनापत्ति प्रमाण-पत्र/अनुमति प्राप्त कर ली हैं।

   That I/We have obtained all the statutory clearances/No Objection Certificates/permission required to carry out the manufacture/activity under the prevalent laws, regulations and rules in force.

6. दर्शायी गई औद्योगिक गतिविधि के लिए मैंने/हमने जहॉं भी आवश्यक हो तत्संबंधी नियमों/अथवा आदेशो के अंतर्गत आवश्यक पंजीयन/अनुज्ञापन प्राप्त कर लिए हैं।

   That I/We have also obtained the necessary registration/ license, wherever required, under the relevant laws, rules or orders, for the time being in force, for carrying out the said industrial activity.

7. इकाई को औद्योगिक अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि :

That the unit does not require an Industrial License because:

(अ) इकाई में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 50/100(शक्तिचलित होने/न होने पर) से कम हैं।

.a) the unit employs less than 50/100 workers with/without use of power.

(ब) वस्तएँ जो बनाई जानी प्रस्तावित है लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिये विशेष रूप से आरिक्षत हैं।

.b) the items proposed to be manufactured are reserved for exclusive production in the small scale industries sector.

(स) इकाई किसी ऐसी वस्तु का निर्माण नहीं करती सजो अधिसूचना क्रमांक - एस.ओ.477(ई) दिनांक 25.7.

.c) the unit does not manufacture any item which is included in Schedule-II of Notification No. S.O.477 (E) dated 25.07.1991 and is not reserved for exclusive manufacture in the SSI sector as included in Schedule-III of the above notification.

8. यंत्र संयंत्र जो इकाई में स्थापित है, में पूंजी निवेश का मूल मूल्य अतिलघु/लउ/ल.उ.से.व्य.उ. /सहायक/निर्यात परक इकाई के लिये वर्तमान प्रावधान अनुसार निर्धोरित सीमा में है।

That the original value of investment in plant and machinery installed at the unit is within the limits prescribed for tiny/SSI/SSSBE/ancillary/export oriented unit as per existing provisions.

9. अधिसूचना क्रमांक एस.ओ.-2(ई) दिनांक 1.1.93 में दी गई स्थितियों के अनुसार यह इकाई किसी अन्य औद्योगिक संस्थान के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में नहीं और न ही उसकी सब्सीडरी हैं।

That the unit is not owned or controlled or is a subsidiary of any other industrial undertaking in terms of the notification No. S.O.2 (E) dated 1-1-93

10. मै/हम यंत्र संयंत्र में पूंजी निवेश की सीमा सयपार होने की स्थिति में पंजीकरण प्राधिकारी को 30 दिन के अंदर सूचित करूगां/करेगें और सहायक/निर्यात परक/अतिलघु उद्यम/लघु सेवा व्यवसाय उद्यम/लघु उद्योग के रूप में संबंधित पृष्ठांकन विलोपित करने अथवा पंजीयन निरस्त करने के लिये प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दूंगा/देंगे।

That I/We undertake to inform the registering authority within 30 days of crossing of the investment limits in plant and machinery and submit the registration certificate for cancellation of registration or deletion of relevant endorsements as ancillary /EOU/tiny enterprise/Small Scale Service and Business Enterprises.

11. मैं/हम सहमत हूँ/है कि यदि भविष्य में यह इकाई अधिसूचना क्रमांक एस. ओ. 232 (ई) दिनांक 2-4-91 में दी गई शर्तो को पूरा नहीं करती है अथवा किसी भी शर्त या निर्देश जो तात्कालिक रूप से प्रभावशील हैं का पालन नहीं करती है, अथवा जिन वस्तुओं के निर्माण के लिये औधौगिक अनुज्ञा पत्र आवश्यक है बनाती है, तब उस समय मैं/हम लघु उद्योग के रूप में अपना पंजीयन समर्पित कर दूंगा/देंगे

That I/We understand that if at a future date the said unit does not satisfy any of conditions laid down in the notification No.S.O. 232(E) dt 2-4-91 or does not comply with any of the conditions or restrictions for time being in force, or includes for manufacture items that require an industrial licence, then in such an eventuality, I/We shall be liable and required to surrender our registration as a SSI unit.

12. उपरोक्तानुसार परन्तुक 11 में दर्शाये अनुसार स्थिति निर्मित होने पर मैं/हम उद्योग निदेशालय/पंजीकरण प्राधिकारी को तत्काल सूचित करूंगा/करेगें।

That I /We undertake to inform the Directorate of Industries/Registering authority immediately in case a situation arises as mentioned at para 11 above.

13. मैं/हम सहमत हूँ/है कि समय-समय पर आवश्यकता अनुसार उद्योग निदेशालय/पंजीकरण प्राधिकारी को सभी मापदण्डों और परिवर्तनों यदि कोई हों तो उससे अवगत रखूंगा/रखेगे तथा अवगत कराते रहगें।

That I /We undertake to inform and to keep informed the Directorate of Industries/Registering Authority on all parameters and changes, as required from to time.

14. मैं/हम पंजीयन प्राप्त करने हेतु दी गई सूचना अथवा विवरण के गलत और भ्रमात्मक पाये जाने पर सभी वित्तीय लाभों और लघु उद्योगों के लिये सहायता हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी गई सुविधाओं/लाभोंको 18प्रतिशत ब्याज सहित केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा चाहे अनुसार केन्द्र अथवा राज्य सरकार को वापस कर दूंगा/देगें।

That I /We undertake to refund to the Central or State Government any or all financial incentives or benefits given under various schemes of assistance for small Scale industries along with 18% interest as may be demanded by the appropriate authority of Central/State Govt. In case it is found that information or particulars submitted to obtain registration were wrong and fradulent.

15. मैं/हम पूर्णतः सहमत हैं कि हमे ऊपर दी गई शर्तो का पालन करना पड़ेगा असफल होने की स्थिति में हम पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा पंजीयन निरस्तीकरण के साथ-साथ प्रभावशील नियमों और विनियमों के अंतर्गत की गई कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होंगे ।

That I /We fully understand that we have to comply with the above conditions failing which we are liable for action by the Registering authority for cancellation of the Registration as we as under other relevant provisions of the laws and rules in force.

हस्ताक्षर
शपथ - कर्त्ता
Singature
DEPONET

सत्यापन
VERIFICATION

प्रमाणित किया जाता है कि शपथ-पत्र के सभी अंश मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।
Verified that the contents of the affidavit are true to the best of my knowledge and belief.

शपथ-
कर्त्ता
DEPON
ET

दिनांकः
Date:

स्थानः
Place:

(टीप) जो लागू न हो उसे काट दें।
(Note) Strike out whichever is not applicable.

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सागर

<u>लघुउद्योगों के पंजीयन विषयक प्रकरणों की चेक लिस्ट</u>

स्थायी पंजीयन हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों के परीक्षण हेतु चैक लिस्ट

1. आवेदन पत्र के सभी आवश्यक बिन्दुओं में जानकारी पूर्ण रूप से व स्पष्ट अक्षरों में भरी गयी हो ।

2. यदि उत्पाद हानिकारक तथा प्रदूषण फैलाने वाले हैं तब संबंधित विभाग को तथा प्रदूषण निवारण मंडल का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवेदक को आवेदन करना चाहिए एवं उसकी प्राप्ति रसीद ।

3. यदि इकाई भागीदारी फर्म है, तब पार्टनरशिप डीड की प्रति तथा पंजीयक, फर्म्स एवं सोसायटी के प्रमाण–पत्र की प्रति चाहिए ।

4. यदि इकाई प्रायवेट लिमिटेड है, तब मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल तथा पंजीयक कम्पनी का प्रमाण–पत्र आवेदक को प्रस्तुत करना चाहिए । एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेसूलेसन की प्रति ।

5. यदि इकाई खाद्य पदार्थ का निर्माण करने वाली है तब खाद्य विभाग के अनुज्ञा पत्र की प्रति चाहिए ।

6. यदि इकाई औषधि का निर्माण करने वाली है तब ड्रग लायसेंस की प्रति चाहिए ।

7. यदि किसी अन्य उद्योग में रूचि रखने वाली आवेदक ने आवेदन किया हो, तब उसके द्वारा अन्य उद्योग में किये गये पूंजी वेष्ठन की जानकारी चाहिए ।

8. इकाई भागीदारी प्रायवेट या प्रायवेट लिमिटेड कंपनी है तो अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर हेतु जनरल पॉवर ऑफ अटार्नी चाहिए ।

9. यदि इकाई वन/आबकारी, खनिज विभाग से संबंधित है तो संबंधित विभाग का अनुमति पत्र चाहिए ।

10. यदि कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आता है तो संबंधित विभाग का प्रमाण–पत्र चाहिए ।

11. इकाई के औद्योगिक संस्थान/क्षेत्र में स्थित होने पर लीज डीड़ की प्रतिलिपि चाहिए ।

12. राज्य/केन्द्रीय वाणिज्यकर पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि ।

13. भूमि/भवन किरायें की लीज डीड़ या स्वामित्व के संबंधी दस्तावेज कृषि योग्य भूमि होने की दशा में भूमि डायवर्सन प्रमाण-पत्र चाहिए ।

14. इकाई विद्युत चलित होने पर कनेक्शन क्रमांक, दिनांक एवं संबंद्ध भार पुष्टि हेतु म.प्र. विद्युत मंडल का प्रमाण-पत्र ।

15. उत्पाद दिनांक का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक है ।

16. प्लॉट एवं मशीनरी की विवरण सूची एवं मूल्य ।

17. प्रथम कच्चा माल के क्रय बिलों की छायाप्रति ।

18. प्रथम उत्पादों के विक्रय जानकारी एवं बिल की छायाप्रति ।

    (उत्पादन, खरीद, विक्रय की जानकारी)

19. वित्तीय स्त्रोत की जानकारी बैंक वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत ऋण का स्वीकत पत्र ।

20. भूमि भवन पर व्यय की प्रमाणीकृत अनुमोदित नक्शे की प्रति ।

21. कुल स्थायी पूंजीनिवेश के संबंध में चार्टड एकाउंटेंट का प्रमाण-पत्र (यदि स्थायी पूंजी निवेश रू. 5 लाख से अधिक हो)

22. आवेदन पत्र में संलग्न निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र ।

23. अन्य कोई विशेष विवरण जो इकाई विशेष हेतु आवश्यक हो ।

24. सभी दस्तावेज स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन करने हेतु (प्रमुख योजनाएं)

❖ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (आसान शर्तो पर ऋण की जगह) रू. 50 लाख तक या पूंजीगत लागत का 25% जो भी कम हो अनुदान देता है।

❖ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सभी क्षेत्रों में स्थित यूनिटों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए (फल, सब्जी, मांस, पोट्री, दूध, मछली, खाद्यान्न, दाल, तिलहन आदि)

❖ फसल तुड़ाई की बुनियादी सुविधाओं और एकीकृत कोल्डचेन की स्थापना के लिए।

कोल्ड स्टोरेजों की स्थापना के लिए :

1 गैर वागवानी पैदावार के लिए (वागवानी पैदावार के लिए नेशनल हार्टीकल्चर वोर्ड द्वारा दी जाती है।

2 जहां वह खाद्य प्रसंस्करण यूनिट या फूड पार्क का एकीकृत हिस्सा हो।

3 नियंत्रित, रूपांतरित वातावरण सुविधा वाले विशेष किस्म के कोल्ड स्टोरेज।

❖ उक्त सहायता प्राप्त करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए म.प्र. में चिन्हित राज्य नोडल एजेंसी ‘‘प्रबंध निदेशक मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम पंचानन तीसरा तल मालवीय नगर-भोपाल’’ के मार्फत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें।

परियोजना किसी वित्तीय संस्थान द्वारा मूल्यांकित होनी चाहिए तकनीकी और वित्तीय तौर पर व्यवहार्य होनी चाहिये, चालू पूंजी/आवश्यक ऋण की व्यवस्था होनी चाहिए, परियोजना की सफलता के लिए तकनीकी/प्रबंधकी/कार्यचालन/विपणन संबंधी कर्मियों, विपणन आदि का प्रबंध होना चाहिए।

❖ दाल मिलिंग इकाइयों के आधुनिकीकरण संबंधी योजना: इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता और दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रसंस्करण के दौरान दालों को सुखाने/धूल पर नियंत्रण रखने के लिए ड्रामर और धूल नियंत्रण प्रणाली की स्थापना करने हेतु सहायता प्रदान करना है। इस योजनांतर्गत् सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रय गैर सरकारी संगठन/सहकारिताएं संयुक्त/सहायता प्राप्त/ निजीक्षेत्र को ड्रायर एवं धूल नियंत्रण प्रणाली की लागत का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा सभी क्षेत्रों में 5 लाख रूपए तक है, अनुदान हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों को उपकरण सप्लायर से प्राप्त बिल की प्रतियों के साथ-साथ उपकरण लगा लिए जाये का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होता है।

❖ चलती-फिरती फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना : इस योजना का उद्देश्य चलती फिरती फल एवं प्रसंस्करण की ऐसी सुविधाओं की अवधारणा को बढ़ावा देना है, जो प्रसंस्करण सुविधा को किसान की दहलीज तक ले जाये। इस योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ राज्य नोडल एजेंसियां/ गैर सरकारी संगठन/ सहकारितायें को परियोजना लागत की 50 प्रतिशत (चालू पूंजी हेतु सीमांत धन और प्रचालन पूर्व खर्चो को छोड़कर) राशि प्रदान की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा सामान्य क्षेत्रों में 40 लाख रू. और दुर्जन क्षेत्रों में 60 लाख रू. है।

अधिक जानकारी के लिए वैवसाइट देखें :-

www.mp.nic.in लिखित सुझाव श्री ए.एन.पी. सिन्हा संयुक्त सचिव (फैक्स-6457641) पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग नई दिल्ली- 110049 को भेजें।

INDUSTRIAL

ENTREPRENEURS' MEMORANDUM

(As per Press Note No. 4 of 1998 dated 15.6.1998)

1. This format is to be used for submission to the Central Government in the Secretariat for Industrial Assistance for the purpose of record, a memorandum under the Industries (Development And Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) in respect of proposals covered by the Notification No. 477 (E) dated 25th July, 1991 of the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Industries, Government of India as amended from time to time.

he application should be submitted to the Secretariat for Industrial Assistance (SIA), Department Industrial Policy and Promotion, Ministry of Industry, Udyog Bhawan, New Delhi – 110011 in 6 (six) copies along with a crossed demand draft for Rs. 1,000/- drawn in favour of the "Pay & Accounts Officer, Department Industrial Development, Ministry of Industry". Payable at the state Bank of India, Nirman Bhawan Branch, New Delhi.

ntrepreneurs may go through the 'Note of Guidence for Entrepreneurs' carefully before filling up the details in the IEM. The note contains relevant extracts of licensing provision, a note on NIC Classification System at guideline for filling up the Memorandum.

For Official Use Only

Memorendum No. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Date ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Date Month Year

…………………………………………………………………………………….....

etails of Bank Draft

Amount Rs.

Draft No.

Draft Date

Date Month Year

Drawn on

(Name of Bank)

Payable at

II.Name and Adddress for correspondance of the Promoter/Industrial Undertaking in full

(BLOCK LETTERS)

Name of the Undertaking

Promoter

Area

Town

Tehsil/Taluk

District

State

Pin Code

Telephone

Telex

Fex

Cable

III. **Registrar of Companies**

Registration No. (if registered)

IV. Status of the Promoter/Industrial Undertaking

(I) Status of the Promoter/Industrial Undertaking

(Please tick the appropriate box)

CENTRAL GOVERNMENT UNDERTAKING PRIVATE SECTOR UNDERTAKING

State Government Undertaking

Individual Promoter

State Industrial Development

Assisted Sector Undertaking

Joint Sector Underrtaking

Co-opertative Undertaking

(2) Indicate whether this proposal is for

(Please tick the appropriate box)

Establishment of New Undertaking

Change of Location

Effecting Substantial Expansion

Change of Ownership/name of Company

Manufacture of New Articles

Graduation to Medium Scale

Others

*Please specify in a separate sheet

(3) Whether the proposal is in lieu of any other IEM already Acknowledged/Letter of Intent/Industrial Licence held

Yes ☐ No ☐

(If Yes, indicate the previous reference number and date, attach the previous reference in original)

Reference No. ____________________________________Date_________________

II. Location

(1) Location of the proposal undertaking

Place/Town ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Tehsil/Taluk ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

District ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

State ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Pin Code ☐☐☐☐☐☐

(2) Please indicate whether the Proposed Location is

(a) Within 25 Km. from the periphery of a city having population above one million according to 1991 Census

Yes ☐ No ☐

(b) Laocated in an Industrial area/Industrial Estate Designated/Set up prior to 25.7.1991

Yes ☐ No ☐

(3) (a) Is the IEM being field for Electronics, Comouter Software or Printing Industry

Yes ☐ No ☐

(b) Is the IEM being filed by a small Unit graduating to medium scale for the uint located within 25 Kms. from periphery of a city with more than one million population.

Yes ☐ No ☐

(c) Is the IEM being filed by existing unit for new articles without additional investment

Yes ☐ No ☐

VI. Item (s) of Manufacture : In case of more than one item supplementary sheets may be used. (Specimen supplememtry sheey is enclosed). In case of proposal for Drugs and Parmaceuticals, applicants should also fill up the Annexure

(1) Item of Manufactire * ☐☐☐☐☐☐☐☐

(a) National Industrial Classification of all Economic Activity (NIC), 1987 NIC No.

(b) Item Description

(c) Proposed Annual Capacity ☐☐☐☐☐☐☐☐

....

(d) Existing Capacity (applicable) ☐☐☐☐☐☐☐☐

(e) Total Capacity after Expansion ☐☐☐☐☐☐☐☐

(f) Unit of capacity ☐☐☐☐☐☐☐☐

(2) Description of activities to be undertaken (if, no manufacturing envisage)

____

____

____

(3) By- Products/ Co-products

(4) NIC No.

Item Description

Proposed annual capacity

Existing capacity, (if applicable)

Total Capacity after expansion

Unit of capacity

* Not to be filled if no manufacturing is envisaged

NIC No.

Item Description

Proposed annual capacity

Existing capacity, (if applicable)

total capacity AFTER EXPANSION

Unit of capacity

(4) Raw material (Including components, intermediates and packing materials) per annum

ITEM(S)	QUANTITY	UNIT	VALUE

VII Whether the item)s) of manufacture/by product/co-prodict is covered in Schedule I (Reserved for Public Sector), Sechedule II (Under compulsory Li8censing) , Schedule III (Reserved for manufacture in smalll scale sector) of Notification No. 477 (E) dated 25.7.1991/ as amended from time to time.

Schedule I		Schedule II		Schedule III	
Yes	☐	Yes	☐	Yes	☐
No	☐	No	☐	No	☐

VIII Investment

		Existing (Amount)	Proposed (Amount in Rupees)
(a)	Land (for rented premises capitalised value of the same to be indicated)		
(b)	Bulding		
(c)	Plant & Machinery		
(i)	Indigenous		
(ii)	Imported		
(a)	CIF Value		
(b)	Landed Cost		
(iii)	Total [(i) + (ii) b]		

(ix) Financing Pattern Existing Proposed

Total Equity		(Amount in Rupees)	(amount in Rupees)
(i)	Resident Indian		
(ii)	Non – Resident Indian		
(iii)	Foreign		

Total Borrowing

(i)	Public financial Institution		
(ii)	Public Borrowing		
(iii)	Other Sources		
(iv)	Promoters' Contribution		

(1) Whether Foreign Technology Agreement is envisaged

(Please tick the appropriate box)

Yes ☐ No ☐

(2) Whether Foreign Investment is envisaged

(please tick the appropriate box)

Yes ☐ No ☐

X Employment (All figures in number)

	Existing	Proposed
(a) Supervisory		
(b) Non – supervisory		
(c) Total		

XI Expected Date of commencement of Commercial Production

Date Month Year

Declaration

1. I/We hereby certify that this memorandum conforms to all the conditions stipulated in the condition stipulated in the Notification N 477 (E) dated 25th July, 1991 regarding exemption from Industrial Approvals.
2. I/We herby further declare that the above statement are true and correct to the best of my/our knowledge and belief

Signature of Promoter(s)

....

(Name in block letters)

....

(Designation of the Promoter)

Place ....

Date Month Year

Supplementary Sheet referred to in Column VI

VI. **Item(s) of Manufacture**

(1) Item of Manufacture :

i. Item Code (NIC No.)

ii. Item Desc

iii. Proposed Annual Capacity

iv. Existing Capacity (if applicable)

v. Total Capacity after Expansion

vi. Unit of capacity

(2) By-Product/Co-products:

NIC No.

Item Description

ProposedAnnual Capacity

Existing Capacity (if applicable)

Total capacity after expansion

Unit of Capacity

NIC No.

Item Description

Proposed Annual Capacity

Existing Capacity (if applicable)

Total capacity after expansion

Unit Capacity

VII. Whether the Item(s) of manufacture/by-products/co-products is covered in Schedule I (Reserved for Public Sector), Schedule II (Under Compulsory License or Schedule III (whether it is reserved for manufacture in small scale sectore the Notification No. 477 (E) dated 25th July, 1991 as amended from time to time

Schedule – I		Schedule-II		Schedule-III	
Yes	☐	Yes	☐	YEs	☐
No	☐	No	☐	No	☐

....

Signature of Promoter(s)

....

(Name in block letters)

....

Designation of Promoter

Place ....

Date		Month		Year			

* **To be filled wherever applicable**

Part B

To be submitted at the time of Commencement of Commercial Production to the Secretariat for Industrial Spproval (SIA) Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhavan, New Delhi – 110011 in 6 copies.

I Reference Number

II Actual Date of commencement

III Actual Investment : (Amount in Rupees)

	Existing	Proposed
(a) Land (for rented), premises, capitalised value of the same to be indicated		
(b) Building		
(c) Palnt & Machinery		
(i) Indigenous		
(ii) Imported		
(a) CIF Value		
(b) Landed Cost		
(iii) Total [(i) + (ii) (b)]		

IV. Item(s) of manufacture : In case of more than one item supplementary sheets may be attached

*NIC No.

*ITC Code

Proposed Annual Capacity	
Existing Capacity, (if applicable)	
Total Capacity after Expansion	
Unit of Capacity	

V. Employment	Proposed	Actual
(a) Supervisory		
(b) Non – supervisory		

Place..

....

Signature of Promoter(s)

....

(Name in block letters)

....

(Designation of the Promotert)

....

Date	Month	Year

*** To be filled wherever applicable**

ANNEXURE

ADDENDUM TO MEMORANDUM TO BE FILED BY THE ENTERPRENEURS IN RESPECT OF PROPOSALS FOR DRUGS AND PHARMACEUTICALS COVERED UNDER NOTIFICATION REGARDING EXEMPTION FROM INDUSTRIAL APPROVALS

Information to be furnished for each item of manufacture separately :

A. PROPOSALS FOR BULK DRUG INTERMEDIATED/FORMULATIONS*

1. Name of the proposed item of manufacture:

2. Approval under Drugs and cosmetics Act, 1940 and Rules made therunder :

(Please indicate date and reference number of the approval, for use in the country, of the proposed bilk drug or of the bilk drug for which the proposed drug intermediates will be used, as the case may be, and enclosed a copy therof)

3. Proposed Annual Capacity

1. Quantity (Unit) :

2. Ex-factory Value of Production (Rs. In ?Lakhs) :

3. CIF Value of :

(i) Imported raw material reguited per kg. of product (Rs.):

(ii) Product (if imported) (Rs. Per Kg.):

4. Derscription of Proposed Process :

(Please furnish schematic diagram of chemical reaction sequences by giving chemical structure or reactants and products at each step.)

5. Source of Technology :

(a) Development through own R&D:

(Please give details of work done)

(b) Procured from indegenous sources(*):

(c) Involves foerign collaboration(*):

(*Please furnish name and address of the source and terms of payment.)

* (The name of the item of manufacture should comply with British Approved Name (BAN); United State Adoption Name (USAN) or International Non- Proprietary NAmes.)

6. Raw material requirement for the proposed annualk capacity :

S.No	**Name of Raw Material**	**Unit**	**Quantity**	**Rs.In Lakhs**	
				CIF Value If imported	**Cost at Factory**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

B. PROPOSALS FOR FORMULATIONS

Sl. No.	**Name of the formulation and Dosage Form**	**Capacity**	**Composition Bulk___________Drug Name _______Strength**	**Total Qty. In Lakhs**	**Value Rs. In Lakhs**	**DCI/SDC Approval No. and Date**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Note for Guidance of Entrepreneurs for Submitting IEMs

(This part contains information for guidance of entrepreneurs and may be retained by them; it need not accompany the application)

1. Under the notification N. 277 (E) dt. 25.07.1991 Industrial undertakings have been exempted from the operation of sections 10, 11, 11A and 13 of the I (D & R) Act, 1951 subject to fulfillment of certain conditions. Section 10 refers to the requirement of licensing of new industrial undertakings. Section 11 A deals with licenses for the production of new Articles. Section 13 refers, inter alia to the requirement of licensing for effecting substantial expansion.

Extracts form notification No. 477 (E) dated 25.07.1991.

Para 1 of Notification N. 477 (E) dated 25.07.1991.as amended form time to time.

"EXEMPTION FROM INDUSTRIAL LICENSING"

The Central Government hereby exempts from the operation of the provisions of Sections 10, 11, 11A, 13 of the 1 (D & R) Act, 1951, industrial undertakings exempted licensing are specified below :

A. (i) The article (S) of manufacture shall not be an article (s) included in schedule 1, Schedule II or schedule II to the Notification and

(ii) The proposed project shall not be located within 25 kms from the periphery of standard urban area limits of cities having population of more than 10 lakhs according to the 1991 Census.

This condition shall not apply to :

(a) Electronics, computer software and printing industries and other non-pollution industries that may be notified from time to time.

(b) Other industries provided they are located with the industrial areas designated by the State Government(s) before 24.07.1991.

(c) The small scale or ancillary industrials undertakings on their exceeding the investment limits Prescribed for such industrial undertakings on the notification of government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. 232 (E) dated 2.4.1991 (as amended by S. O. 857(E), dated 10.12.1997.

B. Section 11 A of the said Act subject to the condition that the new article shall not be an article included in Schedule I, Schedule II, Schedule III to this notification and shall not involve any additional investment in plant and machinery.

II. Industrial undertakings, other than the small scale and ancillary industrial undertakings covered by notification No. S. O. 232 (E), dated the 2.4.1991 (as amended by S. O. 857 (E), dated 10.12.1997 availing of the exemption under Notification shall file with the Department of Industrial Development (Secretariat for Industries Assistance), Memoranda as may be prescribed in this behalf by the Central government,"

2. Subsequent to above Notification vide which only 18 industries were exempted form licensing, now only 9 industries remain compulsory licensing for which IEM can not be filed.

3. In the case of proposals for drug and Pharmaceuticals the applicants should also fill up Annexure in prescribed Form. Part A is to be filled for Bulk Drugs/Intermediates and Part-B is to be filled for formulation. One IEM

application should not contain more than 10 items of manufacture. Please read the Instructions carefully before filling the IEM application from.

4. Definition of a Small Industrial Undertaking (a) An industrial undertaking in which the investment in fixed assets in plant and machinery whether held on ownership terms or on lease or by hire-purchase does not exceed rupees One crore and equity holding by other industrial undertaking in it does not exceeded 24 percent of its total equity. The list of items reserved for exclusive production in the Small Scale Sector has been notified along with Gazette Notification No. 398(E), dated 3.4.1997.

5. Location while designated industrial estates located within 25 kms of Standard Urban Area limit of 23 major cities are generally exempted form locational restriction for filling IEM, entrepreneurs should ensure that the industries proposed to be located in such designated industrial estates/areas are according a land use and zonal policies of the respective State governments.

6. Classification system Entrepreneurs may not that the description of article (s) to be manufactured should be stated according to the national industrial classification of all Economic Activity, (NIC-1987). Copies of the Notification Industrial Classification of all Economic Activity, 1987 can be obtained on payment form the controller of Publication, 1 Civil Lines, Delhi-110054 or from any of the agents authorized to sell Government of India Publication. It has to be in conformity with the item (s) of manufacture.

7. General Instructions
   (a) For each item of manufacture, separate supplementary prescribed sheet, including annexure for drugs and pharmaceuticals be added.
   (b) In a single IEM not more than 10 items be indicated. If IEMs is required for more than 10 items and additional fee of Rs. 250 for each additional ten items should be paid.
   (c) Item(s) of manufacture falling under different Administrative Ministries require filling of separate IEM, alongwith a separate Demand Draft.
   (d) While submitting intimation of commencement of production return, (from B) it may be ensured that NIC No. given in the return should be conformity with the NIC No. given in the IEM.
   (e) Separate applications may be filed for Ayruvedic (including Herbal preparations, Unani medicines and other related medicines) and Allopathic medicines.
   (f) If may be ensured that the IEM is complete in all respect.